मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 52 जनवरी, 2012 अंक : 7

प्रकाशन तिथि : 2 जनवरी, 2012

शिक्षा का अधिकार विशेषांक

मूल्य : 10 रुपये

सत्यमेव जयते

डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

"मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बचपन में स्कूल जाने के लिए मुझे एक लम्बा रास्ता तय करना पड़ता था। रात में मुझे मिट्टी के तेल के लैम्प की हल्की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ, शिक्षा की ही बदौलत हूँ।"

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश

बुनियादी शिक्षा का मौलिक अधिकार

लगभग सौ साल पहले भारत के एक महान सपूत श्री गोपालकृष्ण गोखले ने 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली' में भारतीय लोगों को शिक्षा का अधिकार देने का कानून बनाने की बात कही थी। इसके तकरीबन 90 साल बाद शिक्षा के अधिकार को एक बुनियादी हक के तौर पर शामिल करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया है। आज हमारी सरकार सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार देने के अपने उस अहद को पूरा कर रही है।

बच्चों को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए अगस्त 2009 में संसद में कानून बनाया था। यह कानून आज (1 अप्रैल, 2010) से लागू हो गया है। संविधान की धारा 21(ए) में दिया गया शिक्षा का बुनियादी हक भी आज से लागू हो गया है। इससे इस बात का पता चलता है कि हम बच्चों की शिक्षा और भारत के भविष्य को कितनी अहमियत देते हैं।

हमारा देश नौजवानों का देश है। हमारे बच्चों और नौजवानों की सेहत, उनकी शिक्षा और उनके हुनर, हमारे देश को खुशहाल और ताकतवर बनाएंगे। शिक्षा कामयाबी की कुंजी है, यह हमको मजबूत और देश को ताकतवर बनाती है। हमारी सरकार का यह मानना है कि अगर हम अपने बच्चों और नौजवानों को सही शिक्षा दें तो एक मजबूत और खुशहाल देश के रूप में भारत का भविष्य सुरक्षित होगा। हमने इस बात का पक्का इरादा कर रखा है कि सभी बच्चों की पहुँच शिक्षा तक हो। चाहे वे बालक हो या बालिकाएं, चाहे इनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। उनको शिक्षा के जरिए ऐसा ज्ञान और ऐसे मूल्य होने चाहिए जो उनको भारत का एक जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक बना सके।

शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों तथा जिला और ग्रामीण स्तर की सरकारों को इस साझा राष्ट्रीय प्रयास में मिलकर काम करना होगा। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करता हूँ कि वे इस राष्ट्रीय प्रयास में दृढ़ निश्चय के साथ शामिल हों। हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि धन की कमी की वजह से शिक्षा के अधिकार को लागू करने में कोई अड़चन न आए।

शिक्षा के लिए की गई कोई भी कोशिश तभी कामयाब हो सकती है जब हमारे शिक्षक योग्य हों और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हों। शिक्षा के अधिकारों को लागू करने के लिए भी यह जरूरी है। मैं देशभर के शिक्षकों से इस प्रयास में भागीदार बनने का अनुरोध करता हूँ। हम सभी की यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारे शिक्षक सम्मान के साथ अपना काम कर सकें और हमें उनकी प्रतिभा और रचनात्मकता का पूरा फायदा मिल सके।

शिक्षा के अधिकार के इस कानून में बच्चों के माँ-बाप और संरक्षकों को भी कुछ अहम जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। उन्हें स्कूलों के मैनेजमेन्ट में हाथ बंटाना होगा। इस कानून को अमल में लाते हुए हमें बच्चियों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की जरूरतों पर खास ध्यान देना होगा।

मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बचपन में स्कूल जाने के लिए मुझे एक लम्बा रास्ता तय करना पड़ता था। रात में मुझे मिट्टी के तेल के लैम्प की हल्की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं आज जो कुछ भी हूँ, शिक्षा की ही बदौलत हूँ।

मैं यह चाहता हूँ कि भारत का हर एक बच्चा, चाहे वह लड़की हो या लड़का, शिक्षा की रोशनी से फायदा उठाए। मैं चाहता हूँ कि हर देशवासी एक उज्ज्वल भविष्य का सपना देख सके और इस सपने को साकार कर सके।

आइए, हम सब मिलकर इस कानून को भारत के बच्चों को समर्पित करें। अपने नौजवानों के लिए। अपने देश के भविष्य के लिए। जयहिन्द।

(प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम यह संदेश दिनांक 01 अप्रैल 2010 को प्रसारित हुआ था। यह प्रेरणादायी संदेश शिक्षा का अधिकार के लिए काम करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।)

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 52 अंक : 7

जनवरी, 2012

प्रकाशन तिथि : 2 जनवरी, 2012

प्रधान सम्पादक
आलोक गुप्ता

•

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

•

सहायक
लक्ष्मी नारायण शर्मा
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा
  - शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
  - संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता	5	संदेश माननीय मुख्यमंत्री
साधन की नाव - साधना की पतवार	6	अपील माननीय शिक्षामंत्री
तालीम में निहित है तरक्की व खुशहाली	7	अपील माननीय शिक्षा राज्यमंत्री
शिक्षक हैं ज्योतिपुंज	8	अपील मा. प्रमुख शासन सचिव
शिक्षा ही समग्र जीवन दर्शन	9	अपील माननीय शासन सचिव
शिक्षा का हक - हमारी ताकत	10	अतिथि संपादकीय आयुक्त, रा.प्रा.शि.परिषद
हम होंगे कामयाब एक दिन	11	दिशाकल्प
होगी शिक्षा सबके पास	12	अनिल बोर्दिया
गुणवत्तापूर्ण हो प्राथमिक शिक्षा	15	विजयशंकर व्यास
गाँधीवाद में निहित है सफलता	17	नन्दकिशोर आचार्य
परीक्षा नहीं, अब शिक्षा सर्वोपरि	20	शिवरतन थानवी
सफलता की सीढ़ियाँ	22	ओमप्रकाश सारस्वत
विद्यालय की पाती बच्चों के नाम	63	भवानी शंकर व्यास
बापू की सीख - 8 अस्तेय	65	मो.क. गाँधी
भाषा, साहित्य और संस्कृति का शिक्षा में महत्त्व	66	श्याम महर्षि
बच्चों के नाम समर्पित एक कानून	68	रवीन्द्र सिंह
बीकानेर राज्य में शिक्षा की स्थिति	70	डॉ. महेन्द्र खड़गावत
पवित्र बाइबल के अनुसार शिक्षा	73	अरनी राबर्ट्स
बेशक मिले सभी को शिक्षा का हक	74	सम्पत लाल शर्मा 'सागर'
झोला पुस्तकालय - 6 सरकारी स्कूल में सरकार	79	शिवरतन थानवी

शिविरा विचार मंच

शिक्षा का अधिकार : एक रास्ता यह भी - 76-78
करें बच्चे का स्वागत - ज्ञान चन्द मौर्य/ अभिभावकों का मिले सहयोग - बी.के. शर्मा
प्रभावी हो शाला प्रबन्ध समितियाँ - गुरजीत सिंह बराड़/ महत्त्वपूर्ण जनसहभागिता - ओमप्रकाश झँवर
प्रबन्ध सूचना तंत्र हो मजबूत - जगदीश चन्द्र दशौरा/ शिक्षक में करें विश्वास - दुलीचन्द शर्मा

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र (विशेष) 23-62/चतुर्दिक - 82

मुखावरण

देवीलाल परिहार, प्राध्यापक (चित्रकला)
राजकीय उ.मा.विद्यालय, रायसिंह नगर (श्रीगंगानगर)

पाठक पीठ

चिन्तन

सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में,
शिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में।
शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है,
शिक्षा बिना कल्याण की आशा दुराशा मात्र है।

–मैथिलीशरण गुप्त

शिविरा पत्रिका - शिक्षा विभाग राजस्थान की एक अनूठी पत्रिका है। जिसका कोई सानी नहीं है।

शिविरा पत्रिका में राजकीय आदेश, शिक्षा में नवाचार, शोधपरक आलेख, पर्वों एव जयन्तियों से जुड़ी प्रेरक रचनाएँ विद्यालय से जुड़ी रम्य रचनाएँ जहाँ पत्रिका में चार चाँद लगाती हैं। वहीं इसके गुणात्मक स्तर को बढ़ाकर सुधि पाठकों को चिंतन का सुअवसर प्रदान करती हैं। 'दिशाकल्प' अपने आप में तमस से ज्योर्तिमय तक जाने का सार्थक प्रयास है। शैक्षिक जगत की स्तरीय पत्रिका के लिए संपादक साधुवाद के पात्र हैं।

शिविरा पत्रिका में 'निदेशक से सीधी बातचीत स्तम्भ फिर से लागू करने के साथ, शिक्षक के संस्मरण' - 'कैसे भूलूँ' रम्य रचना के रूप में तथा स्तरीय शैक्षिक लघुकथाएँ - कविता - क्षणिकाएँ को स्थान दें तो पत्रिका सभी स्तर के पाठकों के लिए उपयोगी होगी। पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में अथवा किसी एक पृष्ठ पर पाँच या छः अनमोल वचन देना शुरू करें तो अच्छी पहल होगी।

शिविरा पत्रिका मात्र 'राजस्थान' में ही नहीं वरन् पूरे देश की शैक्षिक प्रतिनिधि पत्रिका बने यही शुभकामना है।

–महेश कुमार चतुर्वेदी, छोटीसादड़ी (प्रतापगढ़)

शिविरा पत्रिका दिसम्बर, 2011 के अंक का आवरण पृष्ठ पर्यावरण का संकेत देते पेड़ों की सुरक्षा को उठे दो हाथ प्रतीकात्मक अच्छे लगे, कैसा हो, प्राथमिक शिक्षा का अध्यापक, आलेख स्तरीय था, हिन्दी बाल काव्य दशा, दिशा एवं सम्भावनाएँ का आलेख - बहुत ही रोचक ज्ञानवर्द्धक, उच्च स्तरीय भाषा शैली से लिखा हुआ था जो शिक्षकों के लिए मेरी दृष्टि में बहुत प्रेरणादायी रहेगा व उनको मार्गदर्शन करेगा। सम्पादक महोदय को बेहतरीन आलेखों के चयन करने व यथा समय पत्रिका को ऑनलाइन करने व स्तरीय पत्रिका के प्रकाशन पर साधुवाद।

–सरदार सिंह चारण, जालोर (राज.)

शिविरा नियत समय पर मिलकर मार्गदर्शन कर रही है, साधुवाद ! प्रत्येक अंक शोभनीय ग्रहणीय बन पा रहा है। बेसब्री से पत्रिका का इन्तजार कर प्राप्ति पर वर्षों से आद्योपान्त पढ़ रहा हूँ। वास्तव में शिक्षा विभाग राजस्थान का चेहरा है शिविरा। प्रबुद्ध गुरुजनों, शिक्षाविदों के ज्ञान, अनुभव का भण्डार है शिविरा। जय जय भारती।

–मोहनराम बिश्नोई, मदासर (जैसलमेर)

शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षा जगत को प्रेरणास्पद एवं अनुगामी पथ प्रदर्शन प्रदान करने के लिए निदेशक महोदय का अत्यन्त साधुवाद। समस्त कल्याणकारी कार्य तथा सकारात्मक सोच के पीछे मूलतः शिक्षा से प्रेरित वह भावना निहित है जिसके द्वारा व्यक्ति न सिर्फ स्वयं, अपने परिवार तथा समाज का बल्कि इससे बढ़कर राष्ट्र के हित में समर्पित योगदान का कारण बन सकता है।

– परमिनास मैघ्वू, दादिया (उदयपुर)

शिविरा अप्रैल 2011 अंक में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को सफल बनाने के लिए मनोयोगपूर्वक जुट जाने का आह्वान सकारात्मक है। शिक्षा प्राप्ति से मनुष्य के विकार चले जाते हैं और सद्गुणों का विकास होता है। आशा है, निदेशक महोदय का संदेश शिक्षा जगत में प्रेरणा का काम करेगा।

– रामजी लाल घोड़ेला, लूणकरणसर (बीकानेर)

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की पालना करते हुए 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में शिक्षक सेतु का काम कर सकते हैं। यदि शिक्षक इस भागीरथी प्रयास में अपनी सार्थक भूमिका निभाकर सभी बच्चों को विद्या के मंदिरों में प्रवेश दिलाने का संकल्प लें तो हमारा देश व प्रदेश अशिक्षा से मुक्त हो सकता है। यह कार्य हमें ईमानदारी व लगन से करना चाहिए।

– महेन्द्र सिंह चौधरी, जोधपुर

निदेशक महोदय के संदेश 'शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जादू है। पढ़ने-लिखने के बाद हर इंसान का एक नया जन्म होता है।' यह बात शत-प्रतिशत सही व सटीक है; लेकिन इस कथन के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि शिक्षा मूल्यपरक हो।

– टेकचन्द शर्मा, झुंझुनूं

शिविरा माह दिसम्बर 2011 में प्रकाशित आलेख 'कैसा हो प्राथमिक शिक्षक' दिल को छू गया। प्राथमिक कक्षाओं का शिक्षक 'मास्टर = माँ जैसा स्तर' वाला होना चाहिए जो बालकों को पढ़ व समझ सके। मेरा शिक्षकों व शिक्षा जगत से जुड़े सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे शिविरा पत्रिका को पढ़ने के लिए समय निकालें तथा उसमें दिए संदेश को बालकों तक जरूर पहुँचाएँ।

– रमेशचन्द मीणा, रावल (स.मा.)

शिविरा पत्रिका के दिसम्बर 2011 अंक में दिशाकल्प 'शिक्षा है एक जादू' पढ़ा। निदेशक महोदय के विचार सोने में सुहागा जैसे हैं। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 बहुत ही महत्त्वपूर्ण है; लेकिन काम केवल कानून बनाने से नहीं होगा। इसके लिए पूरे देश को मन बनाना होगा। खासकर शिक्षक इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

– देवकी नन्दन भगेगा, नीम का थाना (सीकर)

अशोक गहलोत

सत्यमेव जयते

मुख्यमंत्री
राजस्थान
दिनांक : 26 दिसम्बर, 2011

संदेश

शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित 'शिविरा पत्रिका' के जनवरी, 2012 के अंक को 'शिक्षा का अधिकार विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

राजस्थान को सम्पूर्ण शिक्षित प्रदेश बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि सभी बालक-बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हो। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो जाने के बाद कोई भी बालक-बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। अब शिक्षा प्राप्त करना अधिकार का विषय बन गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष देशभर में चलाये जा रहे शिक्षा का हक अभियान में भी हमें महती भूमिका निभानी है।

राज्य सरकार गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा, विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन एवं बच्चों के स्कूलों में ठहराव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और जन प्रतिनिधियों के सहयोग से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। शिक्षा के विकास के अभियान को कामयाब बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार कटिबद्ध है और इस दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

यह शुभ है कि पत्रिका के 'शिक्षा का अधिकार विशेषांक' में शिक्षाविदों एवं विद्वान लेखकों के आलेख प्रकाशित किये जा रहे हैं। आशा है शिक्षा के अधिकार से जुड़े सभी प्रावधानों एवं इसके सफल क्रियान्वयन के साथ शिक्षकों की प्रतिबद्धता की दृष्टि से यह विशेषांक सार्थक सिद्ध होगा।

मैं इस विशेषांक की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

(अशोक गहलोत)

बृजकिशोर शर्मा

सत्यमेव जयते

मंत्री

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा,
देवस्थान, भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक विभाग,
राजस्थान सरकार

अपील

साधन की नाव - साधना की पतवार

राजस्थान के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशाल परिवार से जुड़ कर मुझे अतिशय प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। संस्कृत शिक्षा के साथ-साथ स्कूली शिक्षा का दायित्व भी मुझे सौंपा गया है। मैं राज्य के सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों, भामाशाहों को नव वर्ष 2012 के शुभारम्भ के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ।

वर्ष 2012 शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष है। अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रम में राजस्थान निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 राज्य में लागू हो चुके हैं। शिक्षा का हक अभियान के नाम से एक महती अभियान का सूत्रपात शिक्षा दिवस, 11 नवम्बर 2011 से किया गया है। इसके अन्तर्गत पूरे देश में वर्ष पर्यन्त विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम एवं नियमों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा।

राजस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षा अधिकारियों ने अपनी साधना के बल पर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में सदैव महत्वपूर्ण योगदान किया है। कम साधनों की स्थिति को उन्होंने साधना की ताकत पर जीता है। दरअसल साधन नाव है और हमारी साधना उसकी पतवार। इस प्रकार पतवार रूपी साधना में ही सफलता निहित है। देश के नामचीन कवि श्री बालस्वरूप राही की कविता का एक अन्तरा मैं शिक्षकों को समर्पित कर रहा हूँ।

मैं आने वाली नई भोर का आराधक
मैं नई मान्यताओं, युग-सत्यों का गायक
मैं नई पौध का एक उभरता अंकुर जो
उग आया तोड़ शिला का पाषाणी मस्तक!

मेरी प्रतिभा मिट्टी को स्वर्ण बनाती है,
गाया करता मधुमास, जहाँ वह गाती है,
मुझ को अपने ऊपर केवल अभिमान यही
मेरा अवलम्बन साधन नहीं, साधना है !

वर्ष 2012 की सुनहरी भोर का सूर्य उदय हुआ है। सुनहरी भोर की छाया तले हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं शिक्षकों की तपस्या अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की पालना में राजस्थान को देश में अग्रणी स्थान दिलाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

बृजकिशोर शर्मा
(बृजकिशोर शर्मा)

नसीम अख्तर इंसाफ

सत्यमेव जयते

राज्यमंत्री
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक विभाग
राजस्थान सरकार

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2011

अपील

तालीम में निहित है तरक्की व खुशहाली

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जनवरी 2012 का शिविरा पत्रिका अंक, ''शिक्षा का अधिकार विशेषांक'' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस विशेषांक के प्रकाशन अवसर पर मैं प्रदेश के लाखों शिक्षक भाई-बहिनों को मुबारकबाद देती हूँ। शिक्षण व्यवसाय के प्रति मेरे मन में बाल्यकाल से ही सम्मान भाव रहा है और यह मेरे गुरुजनों का ही आशीर्वाद है कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ।

मुल्क की खुशहाली एवं तरक्की सिर्फ और सिर्फ तालीम में ही निहित है। अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य सरकार के अधिसूचित नियम 2011 के अनुरूप प्रत्येक बालक-बालिका की शिक्षा का बन्दोबस्त करना हम सबका उत्तरदायित्व है। इस वर्ष हम शिक्षा का हक अभियान चला रहे हैं।

मेरा गुरुजनों से कहना है कि वे सम्पूर्ण समर्पित भाव से प्रत्येक विद्यार्थी को तालीम प्रदान कर प्रदेश एवं राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जुट जायें।

मुझे विश्वास है कि यह ''विशेषांक'' कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान एवं लोक कल्याण हेतु किये गये उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुँचाने में उपयोगी एवं प्रेरणास्पद सिद्ध होगा।

मैं ''विशेषांक'' के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई प्रेषित करती हूँ।

नसीम इंसाफ
(नसीम अख्तर इंसाफ)

अशोक सम्पतराम

सत्यमेव जयते

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

अपील

शिक्षक हैं ज्योतिपुंज

शिविरा पत्रिका जैसे सशक्त शैक्षिक संवाद मंच के स्तर से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं तत्विषयक प्रादेशिक नियम, 2011 के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य शिक्षा विशेषांक का प्रकाशन किया जाना निश्चय ही शैक्षिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात छह दशकों की अवधि में केन्द्र एवं राज्यों ने शिक्षा के प्रसार हेतु प्राथमिकता से संसाधनों का विनियोजन किया है तथापि वर्तमान में कानून द्वारा शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना एक युगान्तरकारी घटना है जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों में स्वतः इसके महत्व का बखान करेगा।

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं नियमों तथा समय-समय पर व्यवस्था सम्बन्धी पत्र, परिपत्र, आदेश, निर्देश अधीनस्थ कार्यालयों में भिजवाने के साथ ही उनका प्रकाशन भी शिविरा एवं नया शिक्षक के समकालीन अंकों में किया जाता रहा है। इसके बावजूद, विधेयक, नियम एवं सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेश-परिपत्र एक हैण्डबुक के रूप में हमारे अधिकारियों एवं शिक्षकों को मिल जाए, इस उद्देश्य से शिविरा का यह विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक सराहनीय कदम है।

शिक्षा के लिए वातावरण बनाने की बात हो अथवा वास्तविक रूप में बच्चों को पढ़ाने का काम-हरावल भूमिका तो हमारे शिक्षक भाई-बहनों को ही निभानी है। शिक्षक ज्योति पुंज हैं। उनकी योग्यता एवं क्षमता में मुझे पूरा भरोसा है। मेरा उनसे अनुरोध है–

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में आम-आवाम को जागरूक कर शतप्रतिशत नामांकन एवं ठहराव का पथ प्रशस्त करें।
- बालक-बालिकाओं को न केवल आखर-अंक का ज्ञान ही प्रदान करें अपितु हमारे मूल्यवान आदर्शों एवं संस्कारों की सरिता भी उनके हृदय में प्रवाहित करें।
- संवेदनशील बनकर छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ पात्र छात्र-छात्राओं को दिलवाएँ।
- निरन्तर अध्ययनरत रहते हुए अपने ज्ञान एवं शिक्षण कौशल की धार को पैना करें। याद रखें कि हमारे यहाँ ऐसे स्वाध्यायी शिक्षक हुए हैं जिन्हें उनके अध्ययन एवं ज्ञान के कारण लोग जीवित पुस्तकालय कहते हैं। आप इसी गरिमामय पीढ़ी के उत्तरदायी हैं।

मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर राजस्थान में शिक्षा के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर पाने में समर्थ होंगे। जिसके बल पर शत-प्रतिशत सर्व शिक्षा का हमारा चिर-परिचित स्वप्न निश्चय ही साकार होगा।

(अशोक सम्पतराम)

भास्कर ए. सावन्त

सत्यमेव जयते

शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

अपील

शिक्षा ही समग्र जीवन दर्शन

अनिवार्य एक निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान प्रदेश के अनिवार्य शिक्षा अधिकार विषयक नियम 2011 का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में होने वाला व्यय, व्यय न होकर एक निवेश है जिसका असर तत्काल नहीं देखा जा सकता। अतः अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम का सकारात्मक प्रभाव भविष्य में दिखाई देगा। चूँकि भविष्य का आधार वर्तमान होता है, अतः हमें इस निवेश को फलदायी (Fruitful) बनाने के लिए वर्तमान में कड़ी मेहनत करनी होगी।

शिक्षा को विकास व खुशहाली की कुंजी कहा जाता है। शिक्षा में वह ताकत है जो हमें परिस्थितियों को ठीक से समझने तथा उनसे उबरने की राह दिखाती है। हमारी सामाजिक मान्यताएँ कुछ इस प्रकार की है कि हम शिक्षा प्राप्ति को प्रमुखतः रोजगार और उसमें भी कोई नौकरी प्राप्त करने का साधन मानते हैं। वास्तव में शिक्षा का सरोकार महज रोजगार अथवा नौकरी से नहीं है। शिक्षा तो समग्र जीवन दर्शन को प्रभावित करती है, हमें जीने तथा दूसरों से व्यवहार करने का तरीका सिखाकर हमारे जीवन एवं कर्मपथ को सुगम बनाती है। कहा भी है– सा विद्या या विमुक्तये।

अनिवार्य शिक्षा जैसे सामयिक विषय पर शिविरा पत्रिका का विशेषांक निकलना निश्चय ही शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रकाशन में अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 के साथ महत्वपूर्ण आदेश-परिपत्रों को समाविष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार यह एक उपयोगी एवं संग्रह योग्य प्रकाशन सिद्ध होगा जो हमारे अधिकारियों, शिक्षक शिक्षा से जुड़े दक्ष प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा।

नव वर्ष 2012 का शुभागमन हुआ ही है। इस वर्ष को हम शिक्षा का हक वर्ष के रूप में सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित कर शिक्षा के प्रति जनचेतना जाग्रत करने का महाकार्य करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर राजस्थान को सम्पूर्ण शिक्षित राज्य बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

नव वर्ष 2012 के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं।

(भास्कर ए. सावन्त)

सत्यमेव जयते

वीनू गुप्ता
आयुक्त
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

"अशिक्षा एक सामाजिक बुराई है जिससे लड़ना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सरकार कानून बना सकती है, संसाधन जुटा सकती है लेकिन काम करने की इच्छाशक्ति तो स्वयं शिक्षकों एवं अभिभावकों को जाग्रत करनी होगी।"

अतिथि सम्पादकीय

शिक्षा का हक - हमारी ताकत

अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हाल ही में लागू हुआ है। अलग-अलग राज्य अपनी-अपनी सुविधा एवं सामर्थ्य के अनुसार प्रादेशिक नियम बना रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रदेश राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 अधिसूचित किए जा चुके हैं। इस प्रकार राजस्थान केन्द्रीय अधिनियम 2009 को अंगीकृत कर तत्आशय के अपने नियम बना कर शिक्षा व्यवस्था करने वाले राज्यों में अग्रणी राज्य बन गया है।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ भी विषम और चुनौती भरी है। बावजूद इन सबके उत्साह एवं इच्छाशक्ति के साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार नियम बना कर प्रारम्भ करना सरकार की प्रतिबद्धता को सिद्ध करता है।

अशिक्षा एक सामाजिक बुराई है जिससे लड़ना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सरकार कानून बना सकती है, संसाधन जुटा सकती है लेकिन काम करने की इच्छाशक्ति तो स्वयं शिक्षकों एवं अभिभावकों को जाग्रत करनी होगी। इस अधिनियम की रेखांकन योग्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- न्यूनतम कार्य दिवस एवं प्रतिदिन न्यूनतम घंटे निर्धारित किए गए हैं।
- विद्यालय में प्रवेश हेतु किसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, साक्षात्कार आदि वर्जित है।
- छात्र-छात्राओं का सतत एवं समग्र मूल्यांकन होगा न कि अंक आधारित परीक्षाएं।
- कोई छात्र अनुत्तीर्ण नहीं होगा। वर्ष दर वर्ष कक्षोन्नति मिलेगी।
- छात्र-छात्राओं से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी।
- दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को गैर सरकारी स्कूलों में प्रथम कक्षा में कुल संख्या के 25% की सीमा में प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी बनाया गया है।
- प्रत्येक स्कूल में शाला प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है।
- बच्चों को शारीरिक दण्ड एवं उनका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जा सकेगा।

शिविरा पत्रिका के इस विशेषांक में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, प्रादेशिक नियम 2011 के साथ समय-समय पर जारी आदेश परिपत्रों के साथ ही ख्यातनाम शिक्षाविदों एवं अधिकारियों के चिन्तनपरक आलेख भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर शिविरा का यह विशेषांक (Handbook of Right to Education) के रूप में स्थापित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शिविरा विशेषांक का विचार प्रस्तुत करने तथा उसे कार्यरूप देने के लिए धरातल तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं शिविरा संपादक को साधुवाद।

(वीनू गुप्ता)

सत्यमेव जयते

आलोक गुप्ता
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"जिस अध्यापक ने अपने स्वाध्याय बल से जितना अपने भीतर जमा किया है, वह उतना ही शिक्षण बल से अपने विद्यार्थियों में बाँट सकता है।"

दिशाकल्प

हम होंगे कामयाब एक दिन

नववर्ष 2012 के शुभागमन के अवसर पर छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षाविदों, अधिकारियों, दानदाताओं एवं शाला प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों को मुबारकबाद देते हुए मुझे प्रसन्नता है। नववर्ष आप सबके लिए प्रसन्नता, सफलता एवं यशवर्धक हो, यही कामना है। हमने एक वर्ष पहले वर्ष 2011 की अगवानी करते समय जो संकल्प लिए थे, उन्हें हम कहाँ तक पूरा कर सके तथा अपने विहित उत्तरदायित्वों का कहाँ तक निर्वहन कर पाए, इसका लेखाजोखा करने तथा आगामी बारह महीनों में करने के लिए कार्यों की योजना बनाने का यह समय है।

स्वयं को शिक्षक के रूप में रखकर सोचने पर मैं पाता हूँ कि शिक्षक का मूल काम पढ़ना और पढ़ाना है। पढ़ने से आशय न केवल स्वयं के विषय से सम्बन्धित पुस्तकों को पढ़ने से है अपितु देश-दुनिया में हो रहे ज्ञान के विकास एवं विस्तार से स्वयं को परिपूर्ण रखने से भी है। अतः शिक्षक को स्वाध्यायी होना चाहिए।

सतत अध्ययनशील रहने वाले शिक्षकों का प्रभाव निराला ही होता है। वे अपने विद्यार्थियों एवं सहकर्मियों के बीच सदैव आदर पाते हैं। जैसे बैंक से रुपया निकालने के लिए पहले जमा कराना पड़ता है, वैसे ही प्रभावशाली शिक्षण के लिए पहले पढ़ना आवश्यक है। जिस अध्यापक ने अपने स्वाध्याय बल से जितना अपने भीतर जमा किया है, वह उतना ही शिक्षण बल से अपने विद्यार्थियों में बाँट सकता है। बैंक से रुपया निकालने पर उतनी राशि खाते में से कम हो जाती है लेकिन माँ सरस्वती का ज्ञान-बैंक (Knowledge Bank) तो अद्भुत है, उसमें जमा ज्ञान धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। कहा भी है–

सरस्वती के भण्डार की बड़ी अपूरब बात।
ज्यों खरचे त्यों ही बढ़े, बिन खरचे घट जात॥

अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान के तत्सम्बन्धी नियम 2011 लागू हो चुके हैं। शिविरा पत्रिका का यह अंक अनिवार्य शिक्षा विशेषांक के रूप में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के सहयोग से प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकार अब सभी नियम एवं व्यवस्थाएँ स्पष्ट रूप में हमारे पास है। प्रभावी वातावरण का निर्माण करने के लिए इस वर्ष हम शिक्षा का हक अभियान भी चला रहे हैं।

मुझे विश्वास है कि वर्ष 2012 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम अपने साकार रूप में हमें दिखाई देगा तथा सार्वजनीन शिक्षा का हमारा चिर प्रतीक्षित संकल्प अब सिद्ध होकर रहेगा। इस माह में हमारा गणतंत्र दिवस भी है। धार्मिक पर्व मकर संक्रान्ति एवं महात्मा गाँधी का शहीद दिवस भी इसी माह में है। हमें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व करते हुए महापुरुषों के सपनों के भारत का निर्माण करना है।

एक बार पुनः नववर्ष 2012 के लिए बधाई एवं शुभकामनाएँ–

(आलोक गुप्ता)

शिक्षा के अधिकार का कानून

होगी शिक्षा सबके पास

❑ अनिल बोर्दिया

श्री अनिल बोर्दिया का नाम शिक्षा विभाग में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे प्रशासक हैं, लेकिन उससे पहले एक शिक्षाविद्। वस्तुतः आप प्रशासकों में शिक्षाविद् व शिक्षाविदों में प्रशासक हैं। वर्ष 1964-68 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक रहे श्री बोर्दिया शिविरा के संस्थापक संपादक तथा अनेक शैक्षिक नवाचारों के प्रणेता हैं। आप केन्द्रीय शिक्षा सचिव रहे हैं। राजस्थान में लोक-जुम्बिश जैसी महती शैक्षिक योजना लाने का श्रेय आपही को है। आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है; जिनमें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण तथा यूनेस्को के एविसेना अवार्ड तथा महात्मा गाँधी यूनेस्को मैडल उल्लेखनीय है। आप वर्तमान में दूसरा दशक के अध्यक्ष हैं जिसका पता है, सी-113, शिवाजी मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004 ।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 एक विहंगावलोकन

पृष्ठ भूमि

- संविधान के छियासीवें संशोधन से अनुच्छेद 21ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।
- उस संशोधन के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 में पास हुआ, राष्ट्रपतिजी द्वारा इसे अगस्त में स्वीकार किया गया।
- 1 अप्रैल, 2010 से इस कानून को देश में लागू किया गया।

बालक/बालिकाओं के अधिकार

- नि:शुल्क शिक्षा का अर्थ है ऐसी कोई वित्तीय अड़चन न हो जिसके कारण कोई भी बालक/बालिका आठ साल तक की स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाए।
- अनिवार्यता का अर्थ है सरकार पर यह बाध्यता कि वह ऐसे स्कूली तंत्र की व्यवस्था करे कि जिसमें पढ़ाई करने के लिए बालक/बालिकाएं उत्साहित हों।
- विकलांग बालक/बालिकाओं के लिए विकलांगता (बराबरी के अवसर, संरक्षण तथा पूरी सहभागिता) अधिनियम 1996 के तहत निर्देशित व्यवस्थाओं को लागू किया जाना है।
- कक्षा आठ तक किसी भी बालक/बालिका को फेल नहीं किया जा सकता।
- किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, न उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा सकता है।

लड़कियों और वंचित वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएं

- इन श्रेणियों को प्राथमिकता
- आवश्यकतानुसार छात्रावास तथा घर से स्कूल के बीच यात्रा व्यवस्था।
- कार्यनीति का निर्धारण 1986 की शिक्षा नीति के अनुरूप।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, एनपीईजीईएल तथा महिला सामाख्या में आवश्यक संशोधन।
- वंचित वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए वजीफे तथा अन्य प्रोत्साहन व्यवस्थाएं।

आयु के अनुसार भरती व स्पेशल प्रशिक्षण

- जो बालक/बालिकाएं स्कूल में भरती नहीं हुए या आठवीं पास करने से पहले स्कूल छोड़ दिया उन्हें उनकी आयु के अनुसार कक्षा में भरती किया जाना है।
- भरती के बाद उन्हें स्पेशल प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे अपनी कक्षा के अन्य बालक/बालिकाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकें।
- नियमों और रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन माह से दो वर्ष तक के स्पेशल प्रशिक्षण आयोजित किये जाएंगे, जिनमें स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी को महत्व दिया गया है। रिपोर्ट में सिफारिश है कि तीन माह से कम के प्रशिक्षण भी हो सकेंगे।
- स्पेशल प्रशिक्षण के शिक्षाक्रम में जीवन कौशल शामिल होगा। यह कार्य खासतौर से गठित समूहों द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

स्कूलों के बारे में प्रावधान

- सभी बालक/बालिकाओं की शिक्षा स्कूल में अपेक्षित है।
- विभिन्न प्रकार के स्कूल नहीं हो सकते– जैसा शिक्षाकर्मी स्कूल, ईजीएस स्कूल, शिशु शिक्षा केन्द्र।
- प्रत्येक बालक/बालिका का अधिकार है कि उसे पैदल चलने के एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर के भीतर-भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हों। छोटी ढाणियों और गलियों में यह कैसे संभव होगा? यह एक प्रश्न है।
- स्कूलों के लिए मानदंड अधिनियम के शेड्यूल में दिये गये हैं, जिनमें शामिल हैं– • कक्षा-कक्षों

की संख्या तथा अन्य सुविधाएं। • शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात जो प्रति स्कूल निर्धारित किया गया है, 30:1 होगा। • उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक क्लास के लिए एक शिक्षक। • शिक्षकों के लिए कार्य के घंटों का निर्धारण किया गया है। • स्कूलों के लिए कार्य दिवसों का निर्धारण। • पुस्तकालय। • खेल का मैदान और खेलकूद सामग्री।

स्कूल

- केपीटेशन फी पूरी तरह प्रतिबंधित।
- विद्यार्थियों की भर्ती के लिए किसी प्रकार का परीक्षण प्रतिबंधित।
- प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- सभी प्राइवेट स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि उसकी प्रारम्भिक क्लास (जैसे केजी या नर्सरी या कक्षा-1) में 25 प्रतिशत भर्ती उस क्षेत्र के वंचित व पिछड़े वर्ग के बालक/बालिकाओं की हो। इन बालक/बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देय होगी।

स्कूल तथा स्कूल प्रबन्धन समिति

- स्कूलों को लोक सहभागिता से चलाना है, जो स्कूल प्रबंधन समिति (स्कूल मेनेजमेंट कमेटी) के मार्फत होगा। • इस समिति में तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या अभिभावकों के होंगे। • 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। • कमजोर तथा वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व गांवों में उनकी आबादी के अनुसार होगा, उनके विकास का नियोजन करें, उसका प्रबन्धन देखें और समय-समय पर उसकी प्रगति का जायजा लें।
- स्कूल प्रबन्धन समिति के सदस्यों का सघन प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

शिक्षक

- उनकी अकादमिक तथा प्रशिक्षण की योग्यताएं वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की गई संस्था निर्धारित करें, जैसे एनसीटीई।
- शिक्षकों की अकादमिक जिम्मेदारियाँ की गई हैं।
- वे प्राईवेट ट्यूशन नहीं कर सकेंगे।
- शिक्षकों को जनगणना, प्राकृतिक विपदाओं तथा आम चुनावों के अलावा किसी प्रकार का गैर-शैक्षिक कार्य नहीं दिया जा सकेगा।
- इस समय देश में शिक्षकों के साढ़े पांच लाख पद रिक्त हैं और इस अधिनियम के कारण छह लाख अतिरिक्त पद सृजित होंगे। इन सभी पदों को भरने का कार्य आगामी छह माह में किया जाना है।

शिक्षकों से अपेक्षाएं

- उनसे महत्वाकांक्षी अपेक्षाएं हैं– • वे एसएमसी के कार्य में पूरा सहयोग करें। • स्थानीय समाज तथा माता-पिता के प्रति जवाबदेह होंगे। • शारीरिक/मानसिक दंड नहीं देंगे और न ही विद्यार्थी-विद्यार्थी में किसी प्रकार का भेदभाव करेंगे। • नियमित रूप से समय पर स्कूल आयेंगे और स्कूल में शैक्षिक कार्य ही करेंगे।
- यह विधेयक अपेक्षा करता है कि शिक्षक नैतिकता के आधार पर कार्य करेंगे।
- परन्तु ऐसा न करने पर उन्हें नियमानुसार दण्डित किया जाएगा।

शिक्षाक्रम

- समग्र दृष्टि : शिक्षाक्रम, पठन/पाठन सामग्री, शिक्षार्थी मूल्यांकन तथा शिक्षक प्रशिक्षण, ये सभी एक दूसरे को सुदृढ़ करें।
- शिक्षाक्रम निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें उपयुक्त अकादमिक संस्थाएं निर्धारित करेंगी।
- शिक्षाक्रम के लिए आवश्यक होगा कि– • वह संविधान में लिखित मूल्यों के अनुरूप हों। • बालक/बालिकाओं पर किसी प्रकार का डर या घबराहट पैदा न करें। • वह बाल केन्द्रित तथा गतिविधि आधारित हो।
- शिक्षण का माध्यम यथासंभव बालक/बालिकाओं की मातृभाषा हो।
- हर स्कूल में शिक्षकों के द्वारा व्यापक तथा अनवरत मूल्यांकन की व्यवस्था हो।
- आठवीं कक्षा तक किसी प्रकार की बाह्य परीक्षा या पास/फेल वाली परीक्षा लागू नहीं की जा सकती।

स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी

- स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ प्रोजेक्ट आधारित सहयोग न होकर व्यवस्थाजनक सहयोग अपेक्षित है।
- सर्व शिक्षा अभियान में इस समय जो सहयोग हो रहा है उसके अलावा– • वातावरण निर्माण में- इस अधिकार को आंदोलन का स्वरूप देना। • स्कूल प्रबन्ध समिति तथा पंचायती राज के लोगों के प्रशिक्षण। • शिक्षाक्रम के निर्माण में। • यह देखना कि लड़कियों और पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ बराबरी का रिश्ता रखा जाता है। • विकलांगों का शिक्षण। • आयु अनुसार भरती के बाद स्पेशल प्रशिक्षण मुहय्या करवाना।
- क्षेत्र आधारित जिम्मेदारी।
- यह देखना कि अधिकार दरअसल बालक/बालिकाओं तक पहुँचे।

केन्द्र सरकार के कर्तव्य

- राष्ट्रीय शिक्षाक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करना।
- प्रशिक्षण के मानदंड तथा व्यवस्थाएं निर्धारित करना।
- राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता तथा वित्त उपलब्ध करवाना तथा उन्हें नवाचार और अनुसंधान करने के लिए मदद करना।
- इस विधेयक के क्रियान्वयन के लिए वित्त की जरूरत का अनुमान लगाना।
- जैसा भी राज्य सरकारों के साथ मंत्रणा के बाद तय हो तद्नुसार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देना।
- राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति का गठन करना और उसके माध्यम से इस विधेयक के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना।

राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के कर्तव्य

- यह सुनिश्चित करना कि सभी बालक/बालिकाओं को अच्छे स्तर की निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो।
- निर्धारित मानदंड के अनुसार आगामी तीन वर्ष में सभी बालक/बालिकाओं के लिए स्कूल उपलब्ध करवाना। इसके लिए सामाजिक मानचित्रण किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि कमजोर और वंचित वर्ग के बालक/

बालिकाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो।

- सभी स्कूलों के लिए शेड्यूल में निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
- बालक/बालिकाओं को उनकी आयु के अनुसार कक्षा में भर्ती करवाना और उनके लिए स्पेशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- यह देखना कि बालक/बालिकाओं की भर्ती में विधेयक के अनुसार सहजता रहे और प्रत्येक विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल में आये तथा आठवीं तक की पढ़ाई पूरी करे।
- शिक्षाक्रम निर्धारित करना, शिक्षकों की नियुक्ति करना तथा उनके प्रशिक्षण को देखना।

दण्ड विधान

- ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने में आनाकानी करने या विलंब करने पर संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।
- माता-पिता/अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को स्कूल में भरती करें और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- यदि कोई स्कूल केपीटेशन फी लेता है तो उस पर ली गई केपीटेशन फी का दस गुना जुर्माना।
- यदि कोई स्कूल भरती के लिए किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग करता है तो उस पर पहले केस में 25,000 तक और उसके हर केस में 25,000 तक और उसके बाद हर केस में 50,000 तक का जुर्माना।
- किसी विद्यार्थी को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न देने की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी।
- बिना मान्यता के स्कूल चलाने या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मान्यता रद्द कर देने और उसके बाद भी स्कूल चलाते रहने की स्थिति में 10,000 का जुर्माना और स्कूल के चलते रहने पर प्रतिदिन 10,000 का जुर्माना।
- वे शिक्षक जो विधेयक में लिखित कर्तव्य पूरे नहीं करते उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई।

शिक्षा के अधिकार का उपयोग

- अधिकार से वंचित होने पर सबसे पहले स्थानीय निकाय स्तर पर शिकायत।
- उसके ऊपर राज्य स्तरीय बाल अधिकार संरक्षण कमीशन के पास शिकायत।
- एनसीपीसीआर सारे तंत्र का निरीक्षण करेगा, वह– • देखेगा कि स्थानीय निकाय और राज्य कमीशन स्तर पर ठीक से कार्रवाई हो। • जहाँ बाल अधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर हो रहा है वहाँ प्रभावी हस्तक्षेप करेगा। • वह हर राज्य के लिए विशेष कमीश्नर नियुक्त करेगा।
- यह विधेयक हर पीड़ित व्यक्ति तथा हर नागरिक को अधिकार देता है कि जरूरत पड़ने पर वे अदालत का सहारा लें।

(अनौपचारिका माह मई-जून, 2010 के अंक से साभार)

भारत के राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में समय-समय पर लागू अनिवार्य शिक्षा अधिनियम

1. आन्ध्र प्रदेश : आन्ध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या 1)।

2. असम : असम प्रारम्भिक शिक्षा (प्रान्तीयकरण) अधिनियम, 1974 (1975 का असम अधिनियम संख्या 6)।

3. बिहार : बिहार प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1959, (1939 के बिहार अधिनियम XVI द्वारा यथासंशोधित बिहार और उड़ीसा शिक्षा अधिनियम (1919 का I) तथा बिहार का 1959 का अधिनियम IV)।

4. गोवा : गोवा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1995 (गोवा का 1996 का अधिनियम संख्या 4)।

5. गुजरात : गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 (गुजरात का 1961 का अधिनियम संख्या XLI)।

6. हरियाणा : पंजाब प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1960।

7. हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1953 (1954 का अधिनियम संख्या 7)।

8.जम्मू तथा कश्मीर : जम्मू तथा कश्मीर शिक्षा अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्या XI)।

9. कर्नाटक : कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (1995 का कर्नाटक अधिनियम संख्या I)(कर्नाटक के असाधारण राजपत्र में 20 जनवरी, 1995 को पहली बार प्रकाशित)।

10. केरल : (1960 के अधिनियम 35, 1969 के 31 तथा 1985 के 9 द्वारा यथा संशोधित) केरल शिक्षा अधिनियम 1958 (1959 का अधिनियम संख्या 6)।

11. मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1961 (मध्य प्रदेश का 1961 का अधिनियम संख्या 33)।

12. महाराष्ट्र : बम्बई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1947 (बम्बई का 1947 का अधिनियम संख्या LXI) (30 अप्रैल, 1986 तक यथासंशोधित)।

13. उड़ीसा : उड़ीसा का 1951 का बुनियादी शिक्षा अधिनियम संख्या 18 ।

14. पंजाब : पंजाब का 1960 का प्राथमिक शिक्षा अधिनियम संख्या 39 ।

15. राजस्थान : राजस्थान प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम संख्या 31)।

16. तमिलनाडु : तमिलनाडु अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम संख्या 33)।

17. उत्तर प्रदेश : संयुक्त प्रान्त प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1919(संयुक्त प्रान्त का 1919 का अधिनियम संख्या 7)। संयुक्त प्रान्त (जिला बोर्ड) प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1926 (संयुक्त प्रान्त का 1926 का अधिनियम संख्या 1)। 1950 के एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर द्वारा अनुकूलित और संशोधित।

18. पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1973 (पश्चिम बंगाल का 1973 का अधिनियम संख्या 43)।

19. दिल्ली : दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम संख्या 39)

(डी.पी.ई.पी. ब्यूरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना पत्र चुनौती के माह जून, 1997 (खण्ड-1, सं. 15) में प्रकाशित सूची के आधार पर)

गुणवत्तापूर्ण हो प्राथमिक शिक्षा

❑ विजयशंकर व्यास

कुछ समय पहले नेशनल सैम्पल संगठन द्वारा किये गये देशव्यापी सर्वेक्षण से स्पष्ट हो गया है कि देश में साक्षरता का प्रमाण संतोषजनक गति से आगे बढ़ रहा है। यदि यह गति कायम रही तो संभवतः अगले पाँच वर्षों में 90 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति साक्षर हो जाएंगे अभी भी महिलाओं में साक्षरता प्रसार की गति अपेक्षाकृत धीमी है परन्तु यह और गतिवान हो जाएगी ऐसा लग रहा है। इनका मुख्य कारण यह है कि साधारण जन की भी इस बात से सहमति हो गई है कि साक्षरता, बल्कि उससे भी अधिक कुछ औपचारिक शिक्षा, अत्यन्त आवश्यक है।

साक्षरता से आगे बढ़कर अब हमारा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर होना चाहिए। इस ओर भी काफी प्रगति हो रही है, मगर प्राथमिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की है। देश-भर में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर 'प्रथम' द्वारा किये गये सर्वे से कई चौंका देने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। मसलन, चार-पाँच वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद भी एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी अंक गणित के सरल सवालों को भी हल नहीं कर पाए। हिज्जै की गलतियाँ बेशुमार सामने आईं, और सरल से पाठ को भी समझने में उन्हें कठिनाई आ रही थी। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की यह स्थिति चिंताजनक है।

सर्वप्रथम शिक्षकों के सभी रिक्त पद भरना आवश्यक है। चार-पाँच कक्षाओं की जिम्मेवारी एक शिक्षक को देना, उसके साथ और शाला में आने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। साथ में चयनित शिक्षकों को विषय और शिक्षा पद्धति के बारे में ज्ञान देने की जरूरत है। शिक्षकों को शिक्षा देने हेतु स्थापित विद्यालयों की भरमार है, लेकिन यह सर्वविदित है कि इनमें से अधिकतर महज अधिकाधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई दुकानों से ज्यादा कुछ नहीं है।

जिस प्रकार उच्च शिक्षा की संस्थाओं में निश्चित मापदण्डों के आधार पर गुणवात्मकता की परीक्षा और उसके आधार पर 'रेटिंग' तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वैसा ही काम प्राथमिक शालाओं के स्तर पर भी करने की आवश्यकता है। नियमित और विश्वस्त 'रेटिंग' के आधार पर प्राथमिक स्कूलों की गुणवत्ता का आकलन होते रहना चाहिए। जिन-जिन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने अपने प्रयत्नों से विद्यालयों की 'रेटिंग' में अनुकूल वृद्धि की हो, उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। स्वाभाविकतः विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न वर्ग के विद्यार्थियों के परिणामों का आकलन एक ही प्रकार के मानकों से नहीं हो सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षकों की कार्यक्षमता और स्कूलों की 'रेटिंग' के मापदण्ड तय किये जाने चाहिए।

प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक बाधा स्कूलों के भवन और उपकरणों की कमी भी है। केवल राज्य के बजट में इस हेतु प्रावधान करने से ही समस्याओं का समाधान नहीं होगा। राज्य के शिक्षा विभाग को संजीदगी के साथ उन प्रावधानों को योजनाओं में तब्दील करना होगा, और योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वन करना होगा। सुंदर स्कूल भवन और आवश्यक उपकरण विद्यार्थियों को उत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इन सबसे भी ज्यादा आवश्यकता समाज को प्राथमिक स्कूल से जोड़ने की है। सभी स्कूलों में, चाहे वे राज्य-संचालित हो अथवा निजी क्षेत्र की हों, सजग अभिभावक सभा के गठन की आवश्यकता है। यह सभा नियमित रूप से मिले और हर मीटिंग में कार्यसूची की सूचना पहले से दी जाय। सभा की कार्यवाही का विवरण लिखा जाये और मीटिंग के लिये गए निर्णयों की समीक्षात्मक रिपोर्ट अगली मीटिंग में दी जाय। यह आवश्यक है कि ये सभाएं कागजों तक ही नहीं सिमट जाएं।

सभी प्राथमिक शालाओं का सही निरीक्षण कर समायोचित हिदायतें देने की आवश्यकता स्पष्ट है। साथ ही प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के नाम पर जो विद्यालय दुकानों की तरह चलाये जा रहे हैं उनमें भी उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के साथ-साथ गुणात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा विभाग से अलग एक स्वतंत्र तंत्र बनाया जाय जो स्कूलों के 'रेटिंग' करवाये और कमजोर साबित हो रही स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उन्हें सहायता दे। साथ ही जो शालाएं स्वीकार्य मापदण्डों का पालन नहीं कर रही हों, उन्हें दण्डित किया जाए। प्राथमिक शिक्षा को स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की रचना के लिए नींव का पत्थर समझ कर उस पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रो. विजयशंकर व्यास भारत के लब्धप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। मुम्बई विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट करने के पश्चात् आपने मुम्बई विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM), अहमदाबाद में शिक्षण कार्य किया। आप बोस्टन विश्वविद्यालय में भी विजिटिंग स्कॉलर रहे। वर्तमान में आप प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद् के सदस्य तथा राज्य आयोजना बोर्ड, राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं। भारत सरकार द्वारा आपको पद्मभूषण से नवाजा गया है। आप अजित फाउण्डेशन के अध्यक्ष तथा फाउण्डेशन द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका विकल्प के प्रधान सम्पादक हैं।

वर्तमान में युवकों के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है और रोजगार की चर्चा होते ही आज की शिक्षा का इस समस्या के समाधान में क्या महत्व है, इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। प्रायः यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि आज की शिक्षा युवकों को रोजगार दिलवाने में नाकाफी है।

शिक्षा और रोजगार का सम्बन्ध इतना सरल और स्पष्ट नहीं है जैसा प्रायः मान लिया जाता है। वास्तव में इन दोनों शब्दों का अर्थ भी बहुत व्यापक है। उदाहरणार्थ शिक्षा के तीन विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ साक्षरता और अंकगणित के साधारण ज्ञान को ध्वनित करता है, तो दूसरे अर्थ में शिक्षा को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रमों के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर जब शिक्षित बेरोजगारों की चर्चा होती है। तीसरा अर्थ शिक्षा के व्यापक परिदृश्य से सम्बन्धित है जिसे हम बौद्धिक विकास की प्रक्रिया के रूप में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार रोजगार का सीधा सम्बन्ध 'नौकरी' से बिठाया जाता है। रोजगार का यह अर्थ बहुत संकीर्ण है। स्व-उद्यम से जीविका उपार्जन करना भी रोजगार में ही शामिल होना चाहिए।

शिक्षा का उद्देश्य समझ को विकसित करना है, उसे किसी विशेष दफ्तर में बाबू बनाने का नहीं है। रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है, किसी डिग्री की नहीं। और यह कौशल स्कूल और कॉलेज में ही नहीं सिखाया जा सकता, इसके लिए विशेष प्रकार की विद्यालय अथवा विभिन्न धंधों के लिए उपयोगी विशिष्ट पाठ्यक्रम अधिक उपयुक्त है। संस्थाओं में दी जाने वाली विभिन्न धंधों से सम्बन्धित शिक्षा के उपरान्त जिस संस्थान में व्यक्ति कार्यरत है, उसी में कौशल-विकास की ओर ध्यान दिया जा सकता है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा से किसी विशेष धंधे में कौशल के विकास की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। उक्त संस्थाओं में प्राप्त शिक्षा का मूल्यांकन अलग-अलग विधाओं से प्राप्त शिक्षार्थी की समझ के विकास के आधार पर करना चाहिए।

परम्परागत शिक्षा के तहत भी एक और शायद अधिक महत्वपूर्ण, उद्देश्य मानवीय मूल्यों पर बल देना है। यदि सौद्देश्य और समाजपयोगी रोजगारों का सृजन करना है तो कौशल के साथ धंधे से जुड़े मूल्यों-पेशेवर नैतिकता का भी महत्व समझना होगा। इन मूल्यों को आत्मसात करवाने में परम्परागत शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

इस विवेचन का सारांश यही है कि स्कूल और कॉलेज की शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को रोजगार दिलाना नहीं है। उसकी समझ का विकास करना है और उसमें उन मूल्यों के प्रति आस्था जगाना है जो किसी भी रोजगार को समाज के लिए सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज रोजगार के अवसर मुहैया करवाने में उदासीन हो जाए। कौशल-वृद्धि के लिए अधिकाधिक संस्थाएं और अधिकाधिक अवसर प्रदान करवाना समाज का उत्तरदायित्व है। विशेषकर उन संस्थाओं और अवसरों को प्रधानता देने की आवश्यकता है जो युवकों को नौकरी से हटकर स्व-उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करें।

(प्रो. व्यास की सद्य प्रकाशित कृति आज और आने वाला कल से साभार)

अभियान गीत

शिक्षा बच्चे रो अधिकार

(तर्ज : धरती धोरां री .....)

(राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1999 में शिक्षा आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत गाँव-गाँव और ढाणी-ढाणी में शिक्षा के प्रसार का कार्य किया गया था। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएँ खोलकर बच्चों की शिक्षण व्यवस्था की गई। उस दौर में श्री ओमप्रकाश सारस्वत द्वारा रचित इस अभियान गीत ने थार मरुस्थल की गोद में बसे बीकानेर जिले के सुदूर अंचलों में शिक्षा का वातावरण बनाने में अहम् भूमिका निभाई थी। 'शिक्षा बच्चे रो अधिकार' शीर्षक से रचित यह गीत शिक्षा का हक अभियान के चलते और अधिक अर्थवान हो गया है।)

शिक्षा द्वार पर, ओ ऽऽ शिक्षा द्वार पर।
शिक्षा बच्चे रो अधिकार
इणने माने सो संसार
थे भी अब तो करो विचार
शिक्षा द्वार पर, ओ ऽऽ शिक्षा द्वार पर।

राजीव जी री ही आ इच्छा
सबने मिलणी चइजै शिक्षा
अब ना मांगे कोई भिक्षा
शिक्षा द्वार पर, ओ ऽऽ शिक्षा द्वार पर।

महापुरुषां रो हो ओ कहणो
अणपढ़ बिल्कुल ई ना रहणो
शिक्षा ही है असली गहणो
शिक्षा द्वार पर, ओ ऽऽ शिक्षा द्वार पर।

बेटी बेटे सूं ना कमतर
बेटी हुया करै है भागण
बेटी दोय धरां री तारण
शिक्षा द्वार पर, ओ ऽऽ शिक्षा द्वार पर।

टाबर सगळा पढ़बा जासी
जद नयो उजाळो आसी
मानखो गीत प्रेम रा गासी
शिक्षा द्वार पर, ओ ऽऽ शिक्षा द्वार पर।

देश पांवडां आगे धरसी
खेत खलिहाण आपणां भरसी
नेह रा बादळ घणां बरससी
शिक्षा द्वार पर, ओ ऽऽ शिक्षा द्वार पर।

अनिवार्य शिक्षा अधिकार

गाँधीवाद में निहित है सफलता

❑ नन्दकिशोर आचार्य

शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय सबसे पहले हमें इसके प्रयोजन पक्ष पर ध्यान देना होगा। शिक्षा क्यों और शिक्षा कैसे, अर्थात शिक्षा के उद्देश्य एवं उसकी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। वस्तुतः मनुष्य को सामाजिक बनाने, उसका समाजीकरण करने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। सामाजिक विज्ञान विश्वकोश (Encyclopedia of Social Science) में कहा गया है कि एक वयस्क होते हुए बालक को समाज में प्रवेश करने के योग्य बनाने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है।

इस प्रकार समाज का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह उसमें रहने वाले व्यक्तियों की समुचित शिक्षा की व्यवस्था करे। यहाँ हमें राज और समाज के अन्तर्सम्बन्ध को समझने की जरूरत है। वस्तुतः राज, समाज का एक मात्र प्रतिनिधि है जो समाज में समान्तर व्यवस्था करता दिखाई देता है। इस प्रकार प्रकारान्तर से शिक्षा की व्यवस्था करने का समाज का उत्तरदायित्व राज का उत्तरदायित्व बन जाता है। जो राज व समाज अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं करता है, वह अपने उत्तरदायित्व से पलायन कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना एवं आवश्यक कदम होता है।

हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही संविधान के 45वें अनुच्छेद में यह प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि आगामी 10 वर्षों में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस बात को मानने से कोई इंकार नहीं करेगा कि शिक्षा बच्चों का बुनियादी अधिकार है। ऐसे में भले ही देर से किया गया हो, मगर प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कानून बनाया जाना एक बहुत सार्थक व सही कदम है। देश के हर नागरिक को न केवल इसका स्वागत करना चाहिए वरन इसे सफल बनाने के लिए अपना सकारात्मक सहयोग भी देना चाहिए।

यहाँ मेरी चिन्ता एक बात को लेकर है, हमारे यहाँ राज्य द्वारा निर्धारित व संचालित शिक्षा को ही शिक्षा मानकर उसकी सुनिश्चितता तक अपना उद्देश्य मान लेते हैं। एक सीमा तक यह सही भी है कि एक स्तर तक सम्बन्धित कार्यों का कोई पैमाना बना दिया जावे और इसमें शिक्षा भी सम्मिलित है, लेकिन शिक्षक को प्रयोगधर्मी होकर शोधदृष्टि रखते हुए उस पैमाने से बाहर जाकर भी अपना शिक्षण करना चाहिए। वह बालक के प्रति उत्तरदायी है न कि बाजार के प्रति। उसे ऐसे बालक का निर्माण करना है जो भविष्य के राज व समाज की खुशहाली व स्वतंत्रता के प्रति अन्तःप्रेरित हो। मुझे लगता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षकों को अपने शिक्षण में इस बात की पर्याप्त संभावना देता है। शिक्षकों को अपनी क्षमता, योग्यता व अस्मिता को पहचान कर तद्नुकूल कार्य व परिणाम देना है। इसी में उनके शिक्षक होने की सार्थकता है। उसे हर समय यह स्मरण रखना है कि वह बच्चे के प्रति उत्तरदायी है न कि बाजार के प्रति, भले ही चारों ओर बाजारवाद हावी हो रहा है।

शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह बच्चे में अक्षर-अंक ज्ञान के साथ ही संवेदनशीलता व साहस भी पैदा करे और यह कार्य पाठ्यक्रम से पूरा होने वाला नहीं है। दरअसल यह तो पढ़ाने की विधियों व प्रक्रिया से पूरा होगा। यदि कक्षागत शिक्षण अथवा अन्य किसी भी अवसर पर, जब शिक्षक-शिक्षार्थी की अन्तःप्रक्रिया (Interaction) हो रही हो और उसके दौरान बच्चे में प्रश्न रखने की जिज्ञासा पैदा न हो तो ऐसे शिक्षण को आप क्या कहेंगे? बच्चे में प्रश्नाकुलता एवं जिज्ञासा पैदा करने का काम शिक्षा को करना चाहिए। बच्चे में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का साहस पैदा होना आवश्यक है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था यह नहीं कर पा रही है तो समझो वह सच्चे अर्थ में लोकतंत्र का विकास नहीं कर पा रही है। अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार पठन-पाठन का कार्य करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

हमारे यहाँ अब तक शिक्षा का वास्ता परीक्षा से रहा है। कहने का आशय यह है कि शिक्षा परीक्षोन्मुखी (Examination Oriented) रही है। बच्चे और उसके अभिभावक का ध्यान इसी बात में रहता है कि कैसे परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जाएँ। यह मूल व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। अनिवार्य शिक्षा कानून में यह प्रावधान कर दिया गया है कि अब कोई बच्चा फेल

डॉ. नन्दकिशोर आचार्य हिन्दी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, चिन्तक, समालोचक एवं नाटककार हैं। आप अनेक विशिष्ट काव्य संग्रहों, साहित्यालोचनाओं तथा नाट्यकृतियों के लिए चर्चित रहे हैं। शोध, शिक्षा और समाज दर्शन पर आपने आधिकारिक ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें 'कल्चरल पॉलिटी ऑफ द हिन्दूज़' दी पॉलिटी इन शुक्रनीतिसार (शोध) संस्कृति का व्याकरण आदि प्रमुख हैं। डॉ. नन्दकिशोर आचार्य द्वारा सम्पादित 'अहिंसा-विश्वकोश' अहिंसा से सम्बन्धित सभी पहलुओं को समाहित किए वैचारिक जगत की अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति है। सम्प्रति आईआईआईटी, हैदराबाद से सम्बद्ध हैं।

नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब कोई मूल्यांकन ही नहीं होगा। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक सभी का भला निहित है। विद्यार्थी को यह चिन्ता नहीं है कि उसका साल खराब हो जाएगा, शिक्षक का यह भय मिट गया है कि कहीं उसका रिजल्ट खराब न रह जाए और अभिभावक की वह चिन्ता दूर हो गयी है कि उसका बच्चा कहीं पीछे न रह जाए या कि उसके प्रतिशत कम न रह जाए। अब तो सतत व समग्र मूल्यांकन (CCE) होगा शिक्षक को परीक्षा लेने यानी कि मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने की पर्याप्त आजादी है। समय और टाइमटेबल की भी पहले जैसी प्रतिबंधात्मक व्यवस्था नहीं है। अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जाने के कारण बच्चों एवं उनके अभिभावकों में पनप रही होड़ मिट जाने से व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास सम्भव हो पाएगा।

यदि कोई बच्चा किसी विषय में कमजोर रह गया है, तो भी उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर देने से उसमें हीनभावना नहीं आएगी तथा उसे अपनी डेफीसिएंसी को कवर करने के लिए अवसर भी मिल जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक एवं शिक्षा व्यवस्था सभी को पर्याप्त ईमानदारी तो बरतनी ही होगी। वर्ष दर वर्ष अधिगम स्तर में कमी आती रही तो वह आगे की उच्च कक्षाओं के लिए कठिनाई पैदा करने वाली हो सकती है।

हमारे शिक्षकों को इस नई व्यवस्था को समझने तथा इसमें उनके स्वयं के महत्व को ठीक से अनुभव करने की आवश्यकता है। कक्षा 1 से 8 तक (आयु समूह 6-14) प्रति वर्ष कक्षोन्नति देते समय बच्चे की कमजोरी को पहचान कर आगामी वर्ष अग्रेषित करने में यह समझना है कि उसकी कमजोरी किस विषय में है। जैसे कोई बच्चा गणित व भाषा में कमजोर है तो उसे इस हुनर में अगले वर्ष अतिरिक्त ध्यान देकर आगे लाना है। इतनी ही तो बात है। मुक्त विद्यालय व मुक्त विश्वविद्यालय में आखिर यही तो हो रहा है। किसी एक विषय में कमजोरी, जो कई बार आकस्मिक कारणों से होने के कारण अल्पकालीन ही होती है, के कारण साल भर में की गई पढ़ाई को अंगूठा दिखाकर बालक को फेल घोषित कर देना न्याय नहीं है। अतः अनिवार्य शिक्षा कानून में इस ओर किया गया प्रावधान समयानुकूल है।

हमारे अभिभावक भी वर्षों से एक तरह के साँचे में ढले हुए हैं। छोटे-छोटे बच्चों को प्रवेश दिए जाने हेतु प्रवेश परीक्षाएँ बाल अधिकारों का सीधा हनन है, लेकिन क्या करें हमारे अभिभावक ऐसा करने के लिए तैयार व तत्पर रहते हैं। बच्चे की क्या वे तो स्वयं परीक्षा देने को हाजिर हैं। यह मानवाधिकार के विरुद्ध है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार में ऐसी प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाकर बहुत बड़ा काम कर दिया है। हमारे अभिभावकों को इस बात को समझ लेना चाहिए और कानून के मुताबिक सभी कार्यों की सुनिश्चितता के लिए शिक्षा प्रशासन की सहायता करनी चाहिए। निर्धन एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन स्कूलों की पहली कक्षा में उपलब्ध स्थानों के एक चौथाई स्थानों पर उन्हें भर्ती करने का कानूनी प्रावधान किया गया है। यह अच्छी बात है। मगर यहाँ भी पर्याप्त सावधानी बरती जानी परमावश्यक है। ऐसा होने पर जहाँ निर्धन एवं कमजोर वर्ग के बालक-बालिकाओं को बढ़िया शिक्षा मयस्सर होने लगेगी, वहीं समाज में धन एवं हैसियत के अनुसार स्कूल व्यवस्था पर भी नियंत्रण लगेगा। जब प्रत्येक स्कूल में धनी और बेधनी दोनों ही वर्गों के होनहार पढ़ने आएंगे तब स्कूलों का पैमाना केवल बच्चों की होनहारी ही होगी न कि अभिभावकों की धनवानी। यह समाज में धनवान व निर्धन दो वर्गों के स्थान पर केवल ज्ञानवर्ग (Knowledge Caste) को बढ़ावा देगा जिससे सभी प्रकार के संघर्षों का अन्त होना सम्भावित होगा। इस कार्य में समाज के प्रतिष्ठित महानुभावों के साथ ही जन-प्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा। चाहे शासन-प्रशासन हो और चाहे जन प्रतिनिधि, भामाशाह, प्रतिष्ठित नागरिक और अन्य लोग, सभी को भलीभाँति समझ लेना होगा कि उनका सर्वप्रथम उत्तरदायित्व उस बालक के प्रति है जो भावी समाज व राष्ट्र का रचयिता है। बालक ही हमारा ईष्ट है।

शिक्षा के संदर्भ में बात करते समय यह समझना भी जरूरी है कि शिक्षा का मकसद क्या है? सन् 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गाँधीजी को देशभर में भ्रमण करते समय यह अहसास हुआ कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा भी एक बुनियादी जरूरत है तथा उसका मिलना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। यह बात बिलकुल सही है लेकिन हमारे समाज में शिक्षा की उपयोगिता सम्प्रेषित नहीं हो पाई है। राज्य का काम केवल स्कूल खोल देना ही नहीं है लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। भले ही शिक्षा का बड़ा उद्देश्य व्यक्ति की सोच व व्यक्तित्व का विकास करना है लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यह सोचना अनिवार्य है कि शिक्षा रोजगार उपलब्ध करवाए ताकि वयस्क होकर समाज में प्रवेश पाने वाला व्यक्ति सुखमय व यशमय जीवन जी सके। इस हेतु देश की आर्थिक नीतियों को नए सिरे से सोचकर तद्नुकूल बनाया जाना आवश्यक है। हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की लम्बी लाइन सबसे बड़ी चिन्ता है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है। कई बार लगता है कि राज्य बाजार का प्रतिनिधि बन गया है। वह अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी न हो, अपनी बाल सम्पदा के प्रति उत्तरदायी न हो तो यह अच्छी बात नहीं कही जा सकती। वस्तुतः अपने नागरिकों एवं बच्चों के प्रति राज्य को उत्तरदायी होना चाहिए। तभी इनका व स्वयं राष्ट्र का भला होगा और यही कल्याण का रास्ता है।

शिक्षा के अधिकार को सही मायने में सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय की अपनी प्रबन्ध समिति हो और वह भी लोकतांत्रिक ढंग से अभिभावकों एवं शिक्षकों से चुनी हुई। इन समितियों को विद्यालय संचालन की निगरानी करने के लिए पर्याप्त अधिकार होने चाहिए। लोक जुम्बिश परियोजना में राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक कमेटियों का गठन किया गया था। उन कमेटियों के सदस्यों का आमुखीकरण होता था, नियमित बैठकें होती थी और उनके निर्णयों को अंगीकार किया जाता था। ऐसा ही कुछ इस कानून में प्रावधान की गयी शाला प्रबन्ध समितियों के अधिकार में होना चाहिए। दरअसल बात केवल समितियाँ गठन करने की नहीं है, प्रत्युतः उनके प्रभावी होने में ही स्वयं कमेटी तथा उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभावीपन दिखाई देगा। मेरी तो मान्यता है कि ऐसी कमेटियों को स्थानीय परिवेश के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना करने का भी अधिकार होना चाहिए। कुल मिलाकर विद्यालय स्तर पर प्रबन्ध समिति

का गठन किए जाने से समाज की भागीदारी तो बढ़ेगी ही। शिक्षा का काम सामाजिक भागीदारी की सुनिश्चितता करने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

गैर सरकारी क्षेत्र में निजी प्रबन्ध द्वारा संचालित किए जाने वाले विद्यालयों की भी इस महान काम को पूरा करने में पूरी भागीदारी होनी आवश्यक है। उन्हें चाहिए कि वे शिक्षा कानून के प्रावधानों का ईमानदारी के साथ पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं अथवा इसमें कोई चूक करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। आखिर वे शिक्षा विभाग से ही तो मान्यता प्राप्त किए होते हैं। ऐसी स्थिति में वैधानिक कार्यवाही करने का विभाग का हक उसके पास सुरक्षित रहता है। जो विद्यालय अच्छा काम करते हैं, उन्हें सराहना भी मिलनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक बड़ा आरोप उनमें काम कर रहे शिक्षकों को अल्प वेतन दिए जाने का रहता है। यह बात ठीक नहीं है। शिक्षकों को उचित वेतन व सेवा सुविधाएँ अवश्य प्रदान की जावें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षकों को आर्थिक कष्ट न होवे, उनसे शिक्षण के अलावा अन्य गैर-शैक्षणिक काम नहीं करवाया जावे। विषयवार शिक्षक नियुक्त किए जावें। शिक्षकों का समय-समय पर आमुखीकरण किया जावे।

शिक्षक में भरोसा कीजिए। वे भरोसा करने लायक हैं। मैंने ऐसे विद्यालय देखे हैं जहाँ शिक्षकों की हाजरी दर्ज नहीं की जाती। किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाता। बावजूद इसके वे अच्छा काम करते हैं। जितनी कक्षाएँ लेनी होती है, लेते हैं। पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों में मदद करते हैं, यह सब अन्तःप्रेरित होता है। कोई कुछ नहीं कहता। सब काम अच्छा होता है। यह स्वप्रेरणा (Self Motivation) की बात है। उन्हें सुविधाएँ व सम्मान देते हुए भरोसा कीजिए। शिक्षक को स्वाध्यायी एवं प्रयोगधर्मी होने का अवसर व साधन दीजिए। वह आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं।

शिक्षक शिक्षा (Teacher Education) का भी प्रभावी शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े संस्थाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए। मजबूत भौतिक संसाधनों की दृष्टि से भी और मजबूत फैकल्टी की दृष्टि से भी। वहाँ अलग-अलग विषयों के आधिकारिक प्रोफेसर होने ही चाहिए। शोध व अनुसंधान को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इन संस्थाओं की पाठ्यक्रम निर्माण एवं टीचिंग मैथड डेवलप करने में पूरी-पूरी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पाठ्यक्रम में स्थानीयता को व्यापकता से जोड़ने का प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है। स्थानीयता की अवहेलना करना बड़ा महँगा सौदा है। स्थानीयता का पुट देने से बच्चे का अधिगम प्रभावी व बोधगम्य हो जाता है। स्वयं बच्चे के स्थानीय ज्ञान को मान्यता दी जानी चाहिए। मेरे एक मित्र विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वे बच्चों के सोलर सिस्टम के ज्ञान व तकनीक को न जानने पर असहज होते थे। एक बार जब खुद उनसे ही परिसर में खड़े एक पेड़ की तरफ इशारा करके पूछा गया कि क्या वे इस पेड़ के बारे में जानते हैं। तब प्रोफेसर साब निरुत्तर हो गये। कहने का आशय यह है कि हम दुनिया को जानने से पहले अपने घर को तो जानें। दूसरों को जानने से पहले स्वयं को पहचानें।

एक बात बच्चों पर बढ़ते पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के वजन को लेकर है। हमने बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया है कि वह कुछ सोच-समझ नहीं सकता। स्कूल में काम और घर आते ही होमवर्क पूरा करने का काम। काम ही काम। इस प्रकार एक यांत्रिकता सी हो गई है। शिक्षा का काम यांत्रिकता से मुक्ति दिलाने का है न कि यांत्रिकता की स्थापना का। बच्चे को अपनी मातृभाषा में सीखने दीजिए। सभी शिक्षाशास्त्री व मनोवैज्ञानिक एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। मातृभाषा को अनदेखा कर दूसरी किसी भी भाषा में शिक्षण करने की जिद एक तरह से सांस्कृतिक हिंसा (Cultural Voilence) है। मुझे लगता है कि इन सब प्रश्नों के उत्तर गाँधीवाद में हैं। गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा को मॉडल मानकर चलने पर निश्चय ही ऐसे शिक्षित तथा संस्कारशील समाज की स्थापना की जा सकेगी जिसका आदर्श जीवन मूल्य एवं नैतिकता होगी। यह बात कमोबेश शिक्षा के लिए बने प्रत्येक दस्तावेज में देखने को मिलेगी।

(यह आलेख श्री आचार्य के साथ शिविरा की भेंटवार्ता के आधार पर तैयार किया गया है।)

–सुथारों की बड़ी गुवाड़, बीकानेर

हो चित्त जहाँ भयशून्य, माथ हो उन्नत,
हो ज्ञान जहाँ पर मुक्त*, खुला यह जग हो–
घर की दीवारें बनें न कोई कारा,
हो जहाँ सत्य ही स्रोत सभी शब्दों का,
हो लगन ठीक से ही सब-कुछ करने की,
हों नहीं रूढ़ियाँ रचतीं कोई मरुथल–
पाये न सूखने इस विवेक की धारा।
हो सदा विचारों-कर्मों की गति फलती,
बातें हों सारी सोची और विचारी,
हे पिता ! मुक्त वह स्वर्ग रचाओ हममें,
बस, उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा।

(रूपान्तर : गीताञ्जलि/गीत 35)

* Where knowledge is free;

शिक्षा अधिकार कानून

परीक्षा नहीं, अब शिक्षा सर्वोपरि

❑ शिवरतन थानवी

श्री शिवरतन थानवी सेवानिवृत्त संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं। आप शिविरा के वरिष्ठ सम्पादक रहे हैं। आपके कार्यकाल में शिविरा व नया शिक्षक के अनेक उपयोगी व संग्रहणीय विशेषांक प्रकाशित हुए, शिविरा का यश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा। आप अनेक पुस्तकों के लेखक एवं समीक्षक हैं। सतत् स्वाध्यायी श्री थानवी का पसीना शिविरा की अनमोल विरासत है। थानवी साहब शिविरा के लिए नियमित रूप से लिखते हैं। उनके द्वारा लिखी जा रही शृंखला 'झोला पुस्तकालय' शिविरा के पाठकों द्वारा बहुत सराही जा रही है। शिविरा उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है।

शिक्षा-जगत ने इस नए कानून (निःशुल्क और अनिवार्य बाल-शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009) के साथ एक नए युग में प्रवेश किया है। इस नए कानून की धारा 16 कहती है– 'किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा।' अर्थात् किसी कारण फेल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं तो उनका सीखना तो होगा ही।

ऐसा कानून ने माना है। अब असल डोर तो हम शिक्षकों के हाथ में है। उसका सीखना होगा कि नहीं या होगा तो कैसा होगा यह हमारे लिए एक चुनौती है और शिक्षा-व्यवस्था को नया रूप देने का व उसे सही दिशा में ले जाने का एक स्वर्णिम अवसर भी। इसे न केवल शिक्षा से सम्बन्धित अवसर भी। इसे न केवल शिक्षा से सम्बन्धित लोगों को समझना है बल्कि माता-पिताओं सहित समाज के सभी लोगों को भी इसे ठीक से समझना है।

ट्यूशन खत्म– परीक्षा और प्रमाण-पत्रों की हमें ऐसी लम्बी आदत पड़ चुकी है कि हम चाहे शिक्षक हों चाहे अभिभावक, शिक्षा को देखते ही नहीं। घर हो चाहे स्कूल, हर जगह एक ही रटना रहती है कि परीक्षा में नम्बर लाने हैं अच्छे नम्बरों से पास होना है। छोटे-छोटे बच्चों से लगाकर बड़ी से बड़ी क्लास तक परीक्षा का यह भूत ऐसे भयंकर रूप में विद्यमान रहता है कि हर व्यक्ति यही समझता है कि ट्यूशन जरूरी है। और ट्यूशन करने वाले शिक्षकों के घर-आँगन भरे रहते हैं।

सारे झंझट खत्म– परीक्षाएँ होती हैं तो तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षाओं के लिए साल में तीन बार फर्नीचर इधर-उधर करना पड़ता है, शिक्षकों व शिक्षार्थियों दोनों का समय जाता है और परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षा से बहुत पहले ही शिक्षार्थी एड़ी-चोटी का जोर मात्र इसी बात पर लगाते हैं कि परीक्षा में पता नहीं क्या पूछा जाएगा। गैस पेपर बनाए जाते हैं। बच्चे बहुत हैरान होते हैं इन गैस पेपरों के चक्कर में। पढ़ते कम हैं, गैस पेपरों की खोज-खबर की दौड़-भाग और चर्चा में समय अधिक गँवाते हैं।

ज्यों ही फैसला हो गया कि अब किसी को भी रोकना नहीं है किसी भी क्लास में त्यों ही ये सारे झंझट खत्म।

क्यों हो कोई पेपर-मुद्रण अब ? – खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन देखा यह जा रहा है कि ये झंझट खत्म हुए नहीं हैं। लोग परीक्षाएं अभी भी करा रहे हैं। अखबारों में पढ़ने को आया है कि प्रति छात्र 4 रुपए विभाग दे रहा है पेपर छपवाने को, सो प्रेसों पर प्रधानाध्यापक टूट पड़े हैं पेपर छपवाने या छपे-छपाए (कहीं-कहीं तो पिछली समान परीक्षाओं वाले भी) पेपरों के पैकेट लेने को। फिर खबर आती है कि छपे पेपर नहीं मिले तो या नई समझ आ गई तो श्यामपट्ट (ब्लैक बोर्ड) पर ही प्रश्न लिखे जाने लगे हैं।

अभी नया कानून है इस कारण समझने में अधिकारियों को और उनके सलाहकार शिक्षकों को शिक्षा और परीक्षा के सम्बन्ध को समझने में समय लग रहा है। समझने की बात यह है कि औपचारिक परीक्षाओं को तो हम भूल ही जाएँ। अब आप पर विश्वास किया जा रहा है तो आप स्वतंत्र हैं अपना तरीका ईज़ाद करने को। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जाँच लें अपने छात्र-छात्राओं को। कोई बाधा नहीं। निर्बाध काम करें आप अपना। क्या जरूरत है परीक्षाओं वाले उस पुराने ताम-झाम की?

सच्ची पढ़ाई– ठीक से समझें तो सच्ची पढ़ाई अब शुरू हो रही है। अब हमारी जिम्मेवारी पहले से ज्यादा बढ़ी है। अब हम परीक्षा से बँधे हुए नहीं हैं। अब हमें पूरे समय पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगाना है। हम अब यह सोचें कि हमने हर बच्चे की प्रगति पर अलग से ध्यान दिया है कि नहीं, हर बच्चे की कमियों को जाना है कि नहीं, और यदि उसकी कमियों को जान लिया है तो उन्हें दूर करने का कोई उपाय भी कर रहे हैं कि नहीं? अब यह जिम्मेवारी हमारी है। हम पर विश्वास किया है सरकार ने और समाज ने। तो हमें भी इस विश्वास पर खरा उतरना है।

समस्या– कठिनाइयाँ कई हैं। कुछ दूर हो सकती हैं, कुछ दूर नहीं भी हो सकती हैं। खास तौर से वे जो हमारे वश में नहीं हैं। जैसे पहली कक्षा के योग्य भी नहीं हो बालक और उम्र देखते शिक्षा के इस नए कानून के अनुसार हमें चौथी-पाँचवीं या सातवीं में उसे भरती कर लेना पड़े तो

कैसे उसे अन्यों के बराबर लाएँगे हम? एकदम असंभव है लेकिन मौका तो उसे प्रेमपूर्वक देना ही है। यह हमारी जिम्मेवारी है। इसे कानून की बुराई न मानें। कानून बच्चों के हित में बना है। कौन जाने, अवसर मिले तो कोई विकास भी कर ले, प्रतिभा ऊपर भी आ जाए। बहुत संभव है उम्र अधिक है इस कारण क्षमता भी अधिक हो, वह बच्चा जल्दी ही आवश्यक सारा ज्ञान अल्प समय में ग्रहण कर ले। हमें हिम्मत से काम लेना है और बच्चे की प्रगति में मदद करनी है। हमसे यही अपेक्षा है कि हम उसे स्नेह दें, शाबाशी दें, सीखने का अवसर दें और सीखने में उसकी अधिक से अधिक सहायता करें।

समाज से सम्बन्ध– समाज से भी शिक्षकों को गहरा सम्बन्ध रखना होगा। शिक्षक-अभिभावक सम्मेलनों में यह बात लोगों तक ठीक से पहुँचानी होगी कि नए कानून में परीक्षाएँ समाप्त करने की जो व्यवस्था हुई है वह उपयोगी है, विद्यार्थियों को इससे लाभ अधिक होगा और शिक्षकों को हर बच्चे पर ध्यान देने का अधिक अवसर मिलेगा। समाज के लोगों में अभी कई भ्रांतियाँ हैं। परीक्षाओं का न होना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। शिक्षक यदि खुद ठीक से इस नई व्यवस्था के लाभ को समझें और अभिभावकों को भी समझाते रहें तो उन्हें यह समझ आ जाएगा कि निर्बाध शिक्षण में जो लाभ है वह औपचारिक परीक्षाओं या प्रमाण-पत्रों में नहीं है। असली प्रमाण-पत्र तो बालक स्वयं है। वह कितना सीखा है यह तो बच्चा स्वयं जान रहा होता है, माता-पिता भी खुद देख सकते हैं, और माता-पिता यदि पढ़े-लिखे नहीं हैं तो शिक्षक उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि बच्चा आगे बढ़ा है, सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। यह भरोसा होगा अभिभावकों को तभी समाज में फैली भ्रांतियाँ दूर होंगी। विश्वास नहीं जमेगा तब तक तो समस्या रहेगी ही रहेगी। इसलिए शिक्षकों को जन-सम्पर्क पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। शिक्षाधिकारी भी जब दौरों पर जाएँ तब अभिभावक-सम्मेलन बुलाएँ और उनकी शंकाओं को दूर किया करें। यह बहुत जरूरी काम है। शिक्षकों और शिक्षाधिकारियों ने इसमें ढिलाई बरती तो समाज में गलत फहमियाँ बढ़ती चली जाएँगी और अंततः इस नए युग का अंत होकर वही पुरानी व्यवस्था फिर लागू हो जाएगी।

सतत मूल्यांकन– शिक्षक स्वतंत्र हुआ है, बँधी हुई शिक्षा-प्रणाली में खुलापन आया है, तो हमें इस अवसर का उपयोग ध्यान देकर पूरी समझदारी से करना है। औपचारिक परीक्षाएँ समाप्त हुई हैं तो अब आप जाँच, परख, मूल्यांकन या परीक्षा को अपने रोजमर्रा के शिक्षण का एक सशक्त अंग बना सकेंगे। ये सब क्या है? विधियाँ-प्रविधियाँ ही तो हैं? मेथड्ज, डिवाइसेज या तकनीकें ही तो हैं। शिक्षण प्रणाली के ही अभिन्न अंग हैं, तरीके हैं। जाँच कहो चाहे परख-परीक्षा या मूल्यांकन, इसकी सहायता से आप बच्चे की प्रगति का रूप जब चाहे तब देख सकते हैं। बच्चा भी देखे। आगे बढ़े।

शिक्षण प्रक्रिया का यह एक लगातार काम में आने वाला अंग होना चाहिए। अभ्यास पुस्तिका या कॉपी में कभी नम्बर दें और कभी अच्छा-बहुत अच्छा लिखकर विद्यार्थी को उसकी प्रगति में मदद कर सकते हैं, उत्साहवर्द्धन कर सकते हैं, यदि जरा भी उसकी विशेष सक्रियता देखें तो, और यह प्रक्रिया लगातार (सतत) चलती रहे तो इसका चमत्कारी परिणाम भी आप लगातार देख सकते हैं। जिन स्कूलों में ऐसा होता है वहाँ बच्चे का स्तर उठता ही रहता है।

हिम्मत मत हारिए– नए कानून को देखकर, परीक्षाओं का लोप होता देखकर, आप न तो खुद घबराएँ और न अभिभावकों को घबराने दें। इसी वातावरण में चारों ओर मायूसी और मतिभ्रम है। उसे आप दूर कर सकते हैं लेकिन तभी जब आप खुद इस कानून का फायदा भली प्रकार समझ लें। यह कानून आपको शक्ति देता है, विद्यार्थी को भी शक्ति देता है। इस कानून के कारण परीक्षाओं के भय से उसकी मुक्ति हुई है और अपनी गति से, अपनी क्षमता के अनुसार, और मात्र पढ़ाई पर ही ध्यान देकर अच्छी पढ़ाई कर सकता है। हौसला बढ़ाइए उसका।

सहपाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ– अब वह निश्चिंत होकर खेल-कूद, स्काउटिंग, वाद-विवाद, नृत्य, संगीत, अभिनव आदि कई ऐसे कार्यक्रमों में खुलकर भाग ले सकता है। लेना चाहिए। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी रुचियों और शक्तियों का क्रियात्मक प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना उसे ज्ञात ही नहीं होगा कि वह किन-किन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रतिभा रखता है। अब हमें निश्चिंत होकर छात्र-छात्राओं को सहपाठ्यक्रमीय प्रवृत्तियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। यह भी हमारी शिक्षा प्रणाली का ही एक भाग है।

पाठ्यक्रमेतर पठन– अंत में एक और तथ्य की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। वह है पाठ्यक्रमेतर पुस्तकें-पत्रिकाएं पढ़ने का कार्य। यह कार्य भी छात्र-छात्राओं के भाव, विचार और बुद्धि के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। कहानी-कविता पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, जीवनी या आत्मकथाएँ पढ़ें महान लोगों की तो प्रेरणा मिलेगी। दैनिक समाचार-पत्र पढ़ेगा, साप्ताहिक-पाक्षिक पढ़ेगा, तो सामाजिक परिदृश्य को समझने में और उसमें जुड़ा रहने में उसे बहुत भारी सहारा मिलेगा। जिसे आजकल 'जीके' (जनरल नॉलेज) कहते हैं, वह सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक (कला, संगीत, नाटक आदि) हलचलों से दिन-ब-दिन परिचित होता रहेगा। उसे परिवेश का पूरा ज्ञान रहेगा।

यों देखें तो सच्ची, शिक्षा का सही आधार यह नया कानून हमें देता है। हमें इसका अधिक से अधिक समझदारी से उपयोग करना चाहिए और अपनी रूढ़िग्रस्त परीक्षा-मोह की भावनाओं से मुक्ति पानी चाहिए। अब परीक्षा नहीं, शिक्षा ही सर्वोपरि है।

–मोची स्ट्रीट, फलोदी-342301
जोधपुर (राज.)

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009

सफलता की सीढ़ियाँ

❑ ओमप्रकाश सारस्वत

संविधान लागू होने के दस वर्षों में संविधान में वर्णित नीति निर्देशकों के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी थी। इस प्रकार जो काम 26 जनवरी 1960 तक पूरा हो जाता था। वह संविधान लागू होने के ठीक साठ वर्ष पश्चात अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में हमारे देश में पहली अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। इस प्रकार देर से ही सही; मगर एक शानदार पहल हमारे देश ने की है। इसका सर्वत्र स्वागत किया जाना चाहिए। अंकों का संयोग भी गजब का है। वर्ष 1960 में लागू होना था; वह 60 वर्ष पश्चात तथा जिसे 10 वर्षों में सामने आना था, वह 1910 में प्रकट हुआ। हमारे शिक्षा मनीषी कहते हैं कि शिक्षा जीवन जीना सिखाती है। इस प्रकार जीवन जीने की तैयारी से सम्बन्धित होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार के रूप में हमें जीवन जीने का बुनियादी अधिकार प्राप्त हो गया है।

जिस प्रकार किसी भी नये काम को लेकर सर्वप्रथम यह आशंका प्रकट की जाती है कि यह काम होगा कैसे? अर्थात् इसमें जो दर्शनपक्ष है, उसे व्यवहार रूप में कैसे ढाला जाएगा। दर्शन और यथार्थ में बड़ा अन्तर होता है। दर्शन किसी भी कार्य के शीर्ष सौन्दर्य पर प्रकाश डालता है; उससे होने वाले उपकारों का चित्रण करता है, उनके दीर्घकालीन प्रभावों का वर्णन करता है। वहीं यथार्थ उस कार्य की सीमाओं एवं उसे पूरा करने में आ सकने वाली कठिनाइयों की तरफ ध्यान आकृष्ट करता है। ये कठिनाइयाँ हमें उन रास्तों की तलाश करवाने में मदद करती है, जिधर से होकर सफलता की मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। सफलता जैसे कोई शिखर है और शिखर तक पहुँचने के लिए क्रमिक सीढ़ियाँ चाहिए। आप न तो उड़कर वहाँ जा सकते और न ही सीढ़ियों को लाँघकर। उड़ेंगे अथवा एकाधिक सीढ़ियाँ लाँघने का प्रयास करेंगे तो गिरने का, दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा रहेगा। हमें न तो उड़ना है और न ही पड़ना। न डरना है और न डराना। बस निर्भीक एवं आत्मविश्वासी बनकर मंजिल तक पहुँचना है। रास्ते में ठोकरें आएंगी, हम गिरेंगे। लेकिन गिरकर उठ जाना है और उठकर चल पड़ना है। जैसे पर्वतारोहण करने वाले जाम्बाज धीरे-धीरे, एक-एक कदम बढ़ाते चलते हैं। वे अपने साथ एक ध्वज लिए होते हैं। मन में संकल्प होता है कि कब शिखर पर पहुँचे और कब वहाँ ध्वज फहराकर घोषित करें कि हमने मंजिल फतह कर ली है। ऐसे ही लाखों-करोड़ों शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं को शिक्षण संस्थाओं से जोड़ने के बाद हम खुशी से कह सकेंगे कि दुनियावालों, लो देख लो। हमने मंजिल प्राप्त कर ली है। अब हमारा एक भी लाडला अथवा लाडली स्कूल से मरहुम नहीं है। हम विजय पताका फहराते हुए शिक्षा की आरती उतार रहे होंगे तब, ढोल, नगाड़े, घण्टे, घड़ियाल, शंख नरसिंहादि बाजे सब बज रहे होंगे।

बच्चों के साथ काम करना बड़ा रोचक एवं हर्षवर्धक कार्य होता है। वे जिज्ञासामय होते हैं। उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न बड़ों का ज्ञान ही नहीं बढ़ाते अपितु कभी-कभी तो आँखें खोल देने वाले भी होते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने की पूर्ण आजादी दीजिए।

यों तो चाहे कोई भी कार्य हो, वह परिश्रम, प्रतिबद्धता एवं समर्पण की माँग करता ही है; लेकिन शिक्षा का काम तो व्यक्ति से व्यक्ति का काम है। यह एक तरह से परकाया प्रवेश जैसा काम है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को बहुत ही सावधानी से, परिश्रम, प्रतिबद्धता एवं समर्पण भाव से अपना काम करना होता है। यदि हम किन्हीं पदार्थों के साथ डील कर रहे हैं; तो वे बोलकर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मादा नहीं रखते। इसके विपरीत बालकों को पढ़ाने लिखाने के काम में तो भले ही बालक भय अथवा संकोच से बोलकर कुछ ना भी कहें, उनकी भाव-भंगिमा (Body Language) सब कुछ कह जाती है। एक छोटे बच्चे के सिर पर हाथ फेरिये; पीठ पर हाथ रखकर सहलाइये और देखिये उसके चेहरे के भाव। ऐसा लगता है कि जैसे अमृत वर्षा हो रही हो। इसके विपरीत किसी और अवसर पर अथवा कुछ समय के अन्तराल के पश्चात उसी बच्चे को डाँटकर अथवा शारीरिक दण्ड देकर चेहरे की ओर निहारिये। लगता है कि जैसे आग बरस रही हो। अतः भूलकर भी बच्चे को दण्ड मत दीजिए। शारीरिक दण्ड देना हमेशा से ही वर्जित रहा है और अब अनिवार्य शिक्षा कानून में तो बकायदा इसे गैर-कानूनी करार दे ही दिया गया है। मेरा तो यह मानना है कि बच्चे का शिक्षण करते समय आप भी शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। बालक की निर्दोष बातों एवं निश्छल व्यवहार में न जाने सीखने के कितने पाठ होते हैं। इसे समझने की जरूरत मुझे महान शिक्षाविद् जॉन होल्ट याद आ रहे हैं। अपनी विश्वप्रसिद्ध कृति 'बच्चे असफल क्यों होते हैं' के आभार व्यक्त में वे कहते हैं– 'मैं उन बच्चों के प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मुझे उससे कहीं ज्यादा सिखाया, जितना कि मैंने उन्हें।' इस प्रकार बच्चों से हम सीखते हैं, उन्हें सिखाने के समान्तर। बल्कि यों भी कर सकते हैं कि हम बच्चों को शिक्षा देने के साथ-साथ उनसे शिक्षा ग्रहण भी करते हैं।

शिक्षा प्रदान करने का काम अत्यन्त सम्मान का कार्य होता है। शिक्षक को अपनी इस विशेष हैसियत को समझकर कार्य एवं व्यवहार करना चाहिए। अब, चूँकि शिक्षा एक अधिकार के रूप में बच्चे का मूल हक हो गई है, अतः शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों को बहुत सतर्कता एवं सजगता के साथ सभी कार्य करने चाहिए। इस महान अभीष्ट को पूरा करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं चल सकता। इसके लिए तो वाकायदा धीर-गम्भीर होकर कार्यरत रहना जरूरी होता है।

इसमें सफल होने के लिए शिक्षक को स्वाध्यायी होना जरूरी है ताकि वह देश दुनिया की अद्यतन जानकारियों से वाकिफ रह सके। एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा विद्यार्थी भी होता है। वह जानता है कि बिन पढ़े पढ़ाया नहीं जा सकता। लिहाजा वह पढ़ता है। लिखता है। परस्पर चिन्तन-मनन करता है। विचारों का विनिमय करता है। लिखता है। शोध और अनुसंधान करता है।

सफल शिक्षक समय व संसाधनों का समुचित प्रबंधन करता है। वह कभी अनियमित नहीं होता। दरअसल समय व संसाधनों की कमी का रोना वे लोग रोते हैं जिन्हें इन्हें मैनेज करना नहीं आता। अच्छा शिक्षक भामाशाहों का सहयोग लेकर बच्चों एवं शाला के हित में मदद दिलाता है। विद्यालय समय और कार्य दिवसों में वह अपनी ड्यूटी पर स्वप्रेरणा से उपस्थित रहता है। वह ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है। वह किसी निरीक्षक अथवा पर्यवेक्षक का इंतजार नहीं करता। अपना निरीक्षण स्वयं करता रहता है। –व.सं., शिविरा

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दि. 16.02.10 □ 2. राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 : राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दि.29.03.11 □ 3. राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पत्र दि. 28.5.2010 □ 4. राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पत्र दि. 20.7.2010 □ 5. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के स्थान पर 'विद्यालय प्रबन्धन समिति' नाम किये जाने की आज्ञा दि. 12.8.2010 □ 6. कक्षा 8 वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा समाप्ति पत्र दि. 6.8.2010 □ 7. कक्षा 8 वीं की अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं जिला समान परीक्षा योजनान्तर्गत आयोजित करने का आदेश दि. 23.8.2010 □ 8. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 के अन्तर्गत बच्चों के प्रवेश सम्बन्धी निर्देश दि. 4.4.2011 □ 9. किसी भी बालक को कक्षा में नहीं रोकने तथा निष्कासित नहीं किये जाने सम्बन्धी निर्देश दि. 27.4.2011 □ 10. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सभी प्रकार के शुल्कों से मुक्त करने सम्बन्धी आदेश दि.13.5.2010 □ 11. बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश देन हेतु निर्देश दि. 3.9.2010 □ 12. बालकों को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश दि. 20.8.2010 □ 13. समेकित बाल संरक्षण योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश दि. 19.01.2011 □ 14. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश सम्बन्धी निर्देश दि. 29.3.2011 □ 15. असुविधाग्रस्त समूह (Disadvantaged Group) के बालक-बालिकाओं के निर्धारण की अधिसूचना दि. 29.3.2011 □ 16. कमजोर वर्ग (Weaker Section) के बालक-बालिकाओं के निर्धारण की अधिसूचना दि. 29.3.2011 □ 17. राज्य में गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश दि. 5.7.2011 □ 18. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 परिवेदना निस्तारण दि. 16.5.2011 □ 19. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 परिवेदना निस्तारण दि. 16.5.2011 की निरन्तरता में जारी निर्देश दि. 23.09.2011 □ 20. विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश दि. 12.09.2011 □ 21. अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 35(1) के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन; निदेशालय का पत्र दि. 5.10.2011 □ 22. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण पत्र दि. 3.11.2011 □ 23. नवीन पदों के सृजन का आदेश दि. 2.8.2011 □ 24. शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नवीन सृजित पदों के अधिकारियों का कार्य निर्धारण पत्र दि. 13.9.2011 □ 25. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत निजी विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 : भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दि. 16.02.10

अधिनियम (No. 35 of 2009)

छः वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए विधेयक भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है।
   (2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।
   (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
   (क) 'समुचित सरकार' से-
      (i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा, जिसकी कोई विधान सभा नहीं है, स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में, केन्द्रीय सरकार
      (ii) उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट विद्यालय में भिन्न-
      (क) किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में, राज्य सरकार
      (ख) विधान सभा वाले किसी संघ राज्य क्षेत्र के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार,

अभिप्रेत है:

(ख) 'प्रति व्यक्ति फीस' से, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है।

(ग) 'बालक' से, छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु का कोई बालक या बालिका अभिप्रेत है।

(घ) 'असुविधाग्रस्त समूह का बालक' से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, असुविधाग्रस्त ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है।

(ङ) 'दुर्बल वर्ग का बालक' से ऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।

(च) 'प्रारंभिक शिक्षा' से पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है।

(छ) किसी बालक के संबंध में 'संरक्षक' से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी देख-रेख और अभिरक्षा में वह बालक है और जिसमें कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक सम्मिलित है।

(ज) 'स्थानीय प्राधिकारी' से, कोई नगर निगम या नगर परिषद् या जिला परिषद् या नगर पंचायत या पंचायत, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और इसमें विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला किसी नगर, शहर या ग्राम में किसी स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त ऐसा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय सम्मिलित है।

(झ) 'राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग' से, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है।

(ञ) 'अधिसूचना' से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(ट) 'माता-पिता' से, किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है।

(ठ) 'विहित' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ड) 'अनुसूची' से, इस नियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(ढ) 'विद्यालय' से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय,

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय,

(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग का कोई विद्यालय,

(iv) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर सहायता प्राप्त विद्यालय,

(ण) 'अनुवीक्षण प्रक्रिया' से, किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है।

(त) किसी विद्यालय के संबंध में 'विनिर्दिष्ट प्रवर्ग' से, किसी सुभिन्न लक्षण वाला, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय या किसी अन्य विद्यालय के रूप में ज्ञात कोई अन्य विद्यालय अभिप्रेत है।

(थ) 'राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग' से, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षक आयोग अभिप्रेत है।

अध्याय-2
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

1. (1) छह वर्ष में चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

2. उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, कोई बालक किसी प्रकार की फीस या प्रभार या व्यय का संदाय करने का दायी नहीं होगा जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे :

3. परन्तु निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ळ) में यथापरिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त किसी बालक को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों के अनुसरण में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4. जहां, छह वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश दिया गया है या उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा :

परन्तु जहां किसी बालक को, उसकी आयु के अनुसार किसी कक्षा में प्रत्यक्षतः प्रवेश दिया जाता है,वहां उसे अन्य बालकों के समान रहने के लिए ऐसी रीति में और ऐसा समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रविष्ट किया गया कोई बालक, चौदह वर्ष की आयु के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा।

5. (1) जहां किसी विद्यालय में, प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने की व्यवस्था नहीं है वहां किसी बालक की किसी अन्य विद्यालय में, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को अपवर्जित करते हुए अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहां ऐसे बालक को किसी अन्य विद्यालय में, धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को अपवर्जित करते हुए अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा।

(3) ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रधान अध्यापक या विद्यालय का भारसाधक, जहां ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था, तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करेगा :

परन्तु स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब, ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश के लिए विलंब या प्रवेश से इंकार करने के लिए आधार नहीं होगा :

परंतु यह और कि विद्यालय का प्रधान अध्यापक या भारसाधक, स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब के लिए उसको लागू सेवा नियमों के अधीन आधुनिक कार्यवाही के लिए दायी नहीं होगा।

अध्याय-3
समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता-पिता के कर्तव्य

6. इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आसपास में ऐसे क्षेत्र या सीमाओं के भीतर जो विहित की जाएं, जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे।

7. (1) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के प्राक्कलन तैयार करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्ययों का ऐसा प्रतिशत प्रदान करेगी, जैसा वह, समय-समय पर

राज्य सरकारों के परामर्श से अवधारित करे।

(4) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रपति की अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (घ) के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्रदान किए जाने की आवश्यकता का परीक्षण करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने की प्रार्थना करेगी ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपनी निधियों का अंश प्रदान कर सकें।

5. उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों और उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए विधियां प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगी।

6. केन्द्रीय सरकार :

(क) धारा 29 के अधीन निविर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम के ढांचागत कार्य को विकसित करेगी;

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और लागू करेगी;

(ग) नवीकरण, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार की तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।

8. समुचित सरकार :

(क) प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी :

परन्तु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक द्वारा, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः, या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है वहां ऐसा बालक पर यथास्थिति, उसके माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : "अनिवार्य शिक्षा" पद से समुचित सरकार की-

(i) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और

(ii) छह वर्ष से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा अनिवार्य प्रवेश, प्राथमिक शिक्षा में उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है।

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता की सुनिश्चित करेगी;

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न हो तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने का निवारण न हों;

(घ) अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारीवृंद और शिक्षा के उपस्कर भी है, उपलब्ध कराएगी;

(ङ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी।

(च) प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूरा करने की सुनिश्चित और मानीटर करेगी;

(छ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मापमान के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करेगी;

(ज) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित करना सुनिश्चित करेगी; और

(झ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी।

9. प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी,-

(क) प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा:

परन्तु जहां किसी बालक को, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक द्वारा समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, वहां ऐसा बालक या, यथास्थिति, उसे माता-पिता या संरक्षक ऐसे अन्य विद्यालय में बालक की प्राथमिक शिक्षा पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(ख) धारा 6 में यथाविनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि दुर्बल वर्ग के बालक और असुविधाग्रस्त समूह के बालक के प्रति पक्षपात न होने देने तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने का निवारण न हो।

(घ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले चौदह वर्ष तक की आयु के बालकों के ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अभिलेख रखेगा।

(ङ) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मानीटर करेगा।

(च) अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारिवृंद और शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध कराएगा।

(छ) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा।

(ज) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मापमान के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा की अच्छी क्वालिटी सुनिश्चित करेगा।

(झ) प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रम को समय से विहित करने को सुनिश्चित करेगा।

(ञ) शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा।

(ट) प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा।

(ठ) अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालय के कार्य को मानीटर करेगा, और

(ङ) शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा।

10. प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा में अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश करे या कराए।

11. प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से ऊपर के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी करते हैं, आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

अध्याय-4

विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

12. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों लिए-

(क) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

(ख) धारा 2 में खंड (ढ) के उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, उसमें प्रविष्ट कराए गए बालकों को ऐसे अनुपात तक, जो इस प्रकार प्राप्त इसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का, उसके वार्षिक आवर्ती व्यय में वहन किया जाता है, न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन रहते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

(ग) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की, उसके पूरा होने तक, व्यवस्था करेगा।

परंतु यह और कि जहां धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने वाले धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय को, उसके द्वारा उपगत व्यय की राज्य द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हों, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रतिपूर्ति की जाएगी।

परंतु यह कि ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (i) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रति बालक व्यय से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह और कि जहां ऐसी विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं या तो निःशुल्क या रियायती दर पर प्राप्त करने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो उपलब्ध कराएगा।

13. (1) कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रहेगा।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति, यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में,-

(क) प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(ख) किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपये तक और प्रत्येक पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

14. (1) प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए किसी बालक को आयु को, जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर ऐसे दस्तावेज के आधार पर, जो विहित किया जाए, अवधारित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी बालक की, आयु के सबूत के न होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा

15. किसी बालक को, शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो विहित की जाए किसी विद्यालय में प्रविष्ट किया जाएगा।

परंतु किसी बालक को प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रवेश विस्तारित अवधि के पश्चात इंगित है।

परंतु यह और कि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रविष्ट किया गया कोई बालक ऐसी रीति में, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, अपना अध्ययन पूरा करेगा।

16. किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा के पूरा किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा।

17. (1) किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का दायी होगा।

18. (1) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् स्थापित नहीं किया जाएगा या ऐसे प्राधिकारी से, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना कार्य नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन निहित प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, मान्यता प्रमाणपत्र जारी करेगा।

परंतु यह कि किसी विद्यालय को मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

(3) मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर, विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले लेगा।

परंतु ऐसे आदेश में ऐसा निदेश होगा कि आसपास गैरमान्यता प्राप्त विद्यालय कौन सा है जिसमें अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को ऐसी रीति में जो विहित की जाए सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।

(4) कोई ऐसा विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य जारी नहीं रखेगा।

(5) कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए ,जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

19. (1) किसी विद्यालय की, धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

(2) जहां इस अभिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय मान और पाठकों को पूरा नहीं करता है वहां वह ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के कदम उठाएगा।

(3) जहां कोई विद्यालय, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, वहां धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय को अनुदत्त मान्यता को उसकी उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा।

(4) कोई विद्यालय उपधारा (3) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य जारी नहीं रखेगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो मान्यता वापस लेने के पश्चात् कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रुपए के जुर्माने का दायी होगा।

20. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक की अनुसूची में परिवर्धन या उसका लोप करके उसका संशोधन कर सकेगा।

21. (1) धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रविष्ट बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा।

परंतु यह कि ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे।

परंतु यह और कि असुविधाग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात-

(क) विद्यालय के कार्यकरण को मानीटर करना।

(ख) विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना।

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मानिटर करना। और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

22. (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

23. (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित ऐसी न्यूनतम अहताएं हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं है या उपधारा (1) के अधीन या अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं का पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

परंतु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन ओर भत्ते तथा उसके सेवा के

निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

24. (1) धारा 23 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात-

(क) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन,

(ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना।

(ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना।

(घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना।

(ङ) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना।

(च) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों के पालन में व्यक्तिक्रम करने वाला, वाली कोई शिक्षक/शिक्षिका, उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए दायी होगा/होगी।

परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे शिक्षक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) शिक्षक की शिकायतों का, यदि कोई हो, ऐसी रीति में दूर किया जाएगा, जो विहित की जाए।

25. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छः मास के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए किसी विद्यालय में पदस्थापित किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर-शिक्षण प्रयोजन के लिए तैयार नहीं किया जाएगा।

26. नियुक्ति प्राधिकारी, समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागतः वित्तपोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

27. किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विभीषिका राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर-शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।

28. कोई शिक्षक/शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा।

अध्याय-5
प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना

29. (1) प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी।

(2) शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा-

(क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता।

(ख) बालक का सर्वांगीण विकास।

(ग) बालक के ज्ञान, अन्तः शक्ति, योग्यता का निर्माण करना।

(घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास

(ङ) बाल अनुकूल और बालकेन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण।

(च) शिक्षा का माध्यम, जहां तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा।

(छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिन्तामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना।

(ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन।

30. (1) किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक बालक को, जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

अध्याय-6
बालकों के अधिकारों का संरक्षण

31. (1) यथास्थिति, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, उस अधिनियम के अधीन उन्हें समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का भी पालन करेगा, अर्थात्-

(क) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना।

(ख) निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना और

(ग) उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन यथाउपबंधित आवश्यक उपाय करना।

(2) उक्त आयोगों को उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वहीं शक्तियां होंगी, जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समनुदेशित की गई है।

(3) यहां किसी राज्य में, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं किया गया है वहां समुचित सरकार उपधारा (1)के खंड (क) से खंड (ग) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का अनुपालन करने का प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं ऐसे प्राधिकरण का गठन कर सकेगी।

32. (1) धारा 31 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी, संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् मामले का तीन मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग को या यथास्थिति धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(4) उपभाग 3 के अधीन की गई अपील का विनिश्चित बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग या यथास्थिति धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जैसे कि धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन उपबंधित है।

33. (1) केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बालक विकास के क्षेत्र में ज्ञात और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार की, अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कृत्य होंगे।

(3) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते नियुक्ति के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

34. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जिसमें पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जो राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बालक विकास के क्षेत्र में ज्ञात और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी।

(2) राज्य सरकार को, अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के लिए परामर्श देना राज्य सलाहकार परिषद् के कृत्य होंगे।

(3) राज्य सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

अध्याय-7
प्रकीर्ण

35. (1) केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे।

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या विद्यालय प्रबंध समिति के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(3) स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंध समिति के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

36. धारा 13 की उपधारा (2), धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन दंडनीय अपराधी के लिए कोई भी अभियोजन समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

37. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

38. (1) समुचित सरकार, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबंध कर सकेंगे, अर्थात-

(क) धारा 4 के पहले परंतुक के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति और उसकी समय-सीमा।

(ख) धारा 6 के अधीन किसी पड़ौसी विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र या सीमाएं।

(ग) धारा 9 के खंड (ब) के अधीन चौदह वर्ष तक की आयु के अभिलेखों के अनुरक्षण की रीति।

(घ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति का रीति और सीमा।

(ङ) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन बालक को आयु की अवधारण करने हेतु अन्य दस्तावेज।

(च) धारा 15 के अधीन प्रवेश लेने के लिए विस्तारित अवधि और यदि विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश लिया जाता है तो अध्ययन पूरा करने की रीति।

(छ) प्राधिकारी, प्ररूप और रीति, जिसको और जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जाएगा।

(ज) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र का प्ररूप, अवधि, उसे जारी करने की रीति और शर्तें।

(झ) धारा 18 की उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने की रीति।

(ञ) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किए जाने वाले अन्य कृत्य।

(ट) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विद्यालय विकास योजना तैयार करने की रीति।

(ठ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते और उसकी सेवा की शर्तें।

(ड) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन शिक्षक द्वारा पालन किए जाने वाले कर्त्तव्य।

(ढ) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन शिक्षकों की शिकायतों को दूर करने की रीति।

(ण) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए प्रमाणपत्र देने का प्ररूप और रीति।

(त) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण, उसके गठन की रीति और उसके निबंधन और शर्तें।

(थ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें।

(द) धारा 33क की उपधारा (3) के अधीन राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्यों के भत्ते और नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 20 और धारा 23 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन को समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वे ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनायी जानी चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम या अधिसूचना बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

'विद्यालय के लिए मान और मानक'

अनुसूची (धारा 19 और धारा 25 देखें)

क्र.सं.	मद	मान और मानक	
1. (क)	शिक्षकों की सं.: पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए	प्रवेश किए गए बालक	शिक्षकों की संख्या
		60 तक	दो
		60-90 के मध्य	तीन
		91-120 के मध्य	चार
		121-200 के मध्य	पांच
		150 बालकों के ऊपर	पांच धन एक प्र.अ.
		200 बालकों के ऊपर	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्र.अ. को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।
(ख)	छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए	1. कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो (i) विज्ञान और गणित (ii) सामा. अध्ययन (iii) भाषा। 2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। 3. जहाँ 100 से ऊपर बालकों के लिए प्रवेश दिया गया है वहाँ– (i) पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक (ii) अंशकालिक शिक्षण के लिए (अ) कला शिक्षा (ब) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (स) कार्य शिक्षा	
2.	भवन	सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे– (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय-सह-भण्डार-सह प्रधान अध्यापक कक्ष। (ii) बाधा मुक्त पहुँच। (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय। (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल। (v) रसोई, जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय पकाया जाए, (vi) खेल का मैदान, (vii) सीमा दीवार या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था।	
3.	एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या	अ. पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस, ब. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस स. पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे, द. छठी कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे।	

क्र.सं.	मद	मान और मानक
4.	शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या	45 शिक्षण घंटे जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं।
5.	अध्यापन शिक्षण उपस्कर	प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।
6.	पुस्तकालय	प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
7.	खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर	प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 : राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दि.29.03.11

राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.21(9)शि-1/प्राशि/2009 जयपुर, दिनांक 29 मार्च, 2011

अधिसूचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

(3) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

भाग-1
प्रारम्भिक

2. परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) 'अधिनियम' से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) अभिप्रेत है;

(ii) 'आंगनबाड़ी' से भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित कोई आंगनबाड़ी केन्द्र अभिप्रेत है;

(iii) 'ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी' से किसी ब्लाक में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(iv) 'निःशक्त बालक' से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के खण्ड (न) के अधीन 'निःशक्त व्यक्ति' की परिभाषा के अधीन आने वाला कोई बालक अभिप्रेत है;

(v) 'आयुक्त/निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान' से राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् का प्रमुख अभिप्रेत है;

(vi) 'निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा' से प्रारम्भिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(vii) 'जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी' से किसी जिले में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी अभिप्रेत है;

(viii) 'जिला' से राज्य का कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(ix) 'कार्यकारी समिति' से किसी विद्यालय के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्ध के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है;

(x) 'प्राथमिक विद्यालय' से कोई ऐसा विद्यालय अभिप्रेत है जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करता है;

(xi) 'छात्र संचित अभिलेख' से विस्तृत और सतत् मूल्यांकन पर आधारित बालक की प्रगति का अभिलेख अभिप्रेत है;

(xii) 'राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अभिकरण' से राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(xiii) 'विद्यालय प्रबन्ध समिति' से अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(xiv) 'विद्यालय मान-चित्रण' से सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना अभिप्रेत है;

(xv) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(xvi) 'राज्य' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(xvii) 'राज्य सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है; और

(xviii) 'उच्च प्राथमिक विद्यालय' से कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये समस्त अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट है।

भाग-2
विद्यालय प्रबन्ध समिति

3. विद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना और कृत्य– (1) गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्ध समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस भाग में उक्त समिति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन किया जायेगा और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जायेगा।

(2) उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(क) विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का माता-पिता/संरक्षक;

(ख) विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, से निर्वाचित व्यक्ति, और

(घ) स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम/वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य।

(3) कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव होंगे।

(4) उक्त समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराये जायेंगे।

(5) उक्त समिति, धारा 21 की उप धारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्–

(क) अधिनियम में यथा-प्रतिपादित बालक के अधिकारों के साथ ही समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय, माता-पिता और संरक्षक के कर्तव्यों को भी विद्यालय के आसपास की जनसाधारण को सरल और सृजनात्मक रूप से संसूचित करना;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) और (ङ) तथा धारा 28 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना;

(ग) धारा 27 की अनुपालना को मानीटर करना;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों के नामांकन और निरन्तर उपस्थिति को सुनिश्चित करना;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के बनाये रखने को मॉनीटर करना;

(च) बालक के अधिकारों से किसी विचलन को, विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, प्रवेश से इन्कार किये जाने और धारा 3 की उप धारा (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबन्ध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना,

(छ) आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबन्धों के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मानीटर करना और प्रारम्भिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करने को सुनिश्चित करना;

(झ) विद्यालय मे दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मानीटर करना;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।

(6) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त समिति द्वारा प्राप्त किसी धनराशि को पृथक खाते में रखा जायेगा, जिसकी वार्षिक रूप से संपरीक्षा की जायेगी।

(7) उप-नियम(5) के खण्ड (ञ) में और उप-नियम (6) में निर्दिष्ट लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उनके तैयार किये जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. विद्यालय प्रबन्ध समिति की कार्यकारी समिति– (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

(क) विद्यालय का प्रधानाध्यापक;

(ख) विद्यालय से एक अध्यापक, अधिमान्यतः एक महिला अध्यापक;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड, जिसमें विद्यालय स्थित है, का निर्वाचित व्यक्ति;

(घ) छात्रों के माता-पिताओं/संरक्षकों में से विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा निर्वाचित ग्यारह सदस्य;

(ङ) कार्यकारी समिति के शेष सदस्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट एक स्थानीय शिक्षाविद् या विद्यालय का छात्र :

परन्तु कार्यकारी समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्यकारी समिति माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। विद्यालय का प्रधानाध्यापक कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(3) कार्यकारी समिति प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी। कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का 1/3 होगी। बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे और विद्यालय प्रबन्ध समिति की अगली बैठक में रखे जायेंगे।

5. विद्यालय विकास योजना तैयार करना– (1) विद्यालय प्रबन्ध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनाएं होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात्–

(क) प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन के प्राक्कलन;

(ख) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों के प्रति निर्देश से परिकलित, कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक रूप से, अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अध्यापक/अनुदेशक भी हैं, की संख्या की अपेक्षा;

(ग) अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के प्रति निर्देश से परिकलित, अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक अपेक्षा;

(घ) ऊपर (ख) और (ग) के सम्बन्ध में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता, जिसके अन्तर्गत धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों जैसी बालकों की हकदारी और अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय अपेक्षा भी है।

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे

उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाना है, अंत से पूर्व ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग-3
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

6. विशेष प्रशिक्षण– (1) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबन्ध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और निम्नलिखित रीति में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित करेगी, अर्थात्–

(क) विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गयी आयु अनुसार शिक्षा सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों पर लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जायेगा;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा दिया जायेगा;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की कालावधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिए होगी, जिसे विद्या की प्रगति के आवधिक निर्धारण के आधार पर दो वर्ष से अनधिक अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर, बालक विशेष प्रशिक्षण के पश्चात्, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा, जिससे कि उसे शेष कक्षा के साथ सफलतापूर्वक जुड़ने में शैक्षिक रूप से और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाया जा सके।

भाग-4
राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

7. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं– (1) आसपास का क्षेत्र या सीमाएं, जिनके भीतर राज्य सरकार द्वारा कोई विद्यालय स्थापित किया जाना है, निम्न होंगी–

(क) कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के सम्बन्ध में विद्यालय आसपास की 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जायेगा।

(ख) कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के सम्बन्ध में विद्यालय आसपास की 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जायेगा।

(2) जहाँ कहीं अपेक्षित हो, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी कक्षा 6 से 8 तक को सम्मिलित करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यमान विद्यालयों को प्रोन्नत करेगा और ऐसे विद्यालयों के सम्बन्ध में, जो कक्षा 6 से प्रारम्भ होते हैं, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जहाँ कहीं अपेक्षित हो, कक्षा 1 से 5 तक को सम्मिलित करने का प्रयास करेगा।

(3) कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और छितरायी हुई जनसंख्या वाले क्षेत्रों के मामले में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी किसी ऐसे आवास में, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है और 6 से 11 वर्ष तक के आयु वर्ग के न्यूनतम 20 बालक हैं, कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय स्थापित करेगा, और किसी ऐसे आवास में, जहाँ कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में न्यूनतम 30 बालक हैं, कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय स्थापित करेगा।

(4) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा यथा– परिभाषित छोटे गाँवों (ढाणियों) के बच्चों के लिए जहाँ ऊपर उप-नियम (1) और (3) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है, वहाँ राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उप-नियम (1) और (3) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के शिथिलीकरण में निःशुल्क परिवहन और आवासीय सुविधाओं जैसे पर्याप्त इंतजाम करेगा।

(5) सघन जनसंख्या वाले स्थानों में, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आसपास एक से अधिक विद्यालय स्थापित कर सकेगा।

(6) स्थानीय प्राधिकारी आसपास के ऐसे विद्यालय (विद्यालयों) की पहचान करेगा, जहाँ बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है, और अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक आवास के लिए ऐसी सूचना को सार्वजनिक करेगा।

(7) ऐसी निःशक्तता से ग्रस्त बालकों के सम्बन्ध में, जो उन्हें विद्यालय में पहुँचने से रोकती है, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी उन्हें विद्यालय में उपस्थित होने और उनकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन इंतजाम करने का प्रयास करेगा।

(8) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुँच सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण प्रतिबाधित न हो।

8. राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व– (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, और धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में उपबंधित किये गये अनुसार निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और सहायक सामग्रियों के लिए हकदार होगा–

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी हकदार होगा।

स्पष्टीकरण– उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक और धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक के सम्बन्ध में निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व क्रमशः धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (ii) और धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय का होगा।

(2) आसपास के विद्यालयों का अवधारण करने और उनकी स्थापना करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी

विद्यालय की योजना तैयार करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों के बालकों, निःशक्तताग्रस्त बालकों, अलाभप्रद समूह के बालकों, कमजोर वर्ग के बालकों और धारा 4 में निर्दिष्ट बालकों सहित सभी बालकों की प्रत्येक वर्ष पहचान करेगा।

(3) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक जाति, वर्ग, धर्म या लिंग सम्बन्धी दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन न हो।

(4) धारा 8 के खण्ड (ग) और धारा 9 के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी कमजोर वर्ग के किसी बालक और अलाभप्रद समूह के किसी बालक को कक्षा में दोपहर के भोजन के दौरान, खेल के मैदानों में, सामान्य पेयजल और प्रसाधन सुविधाओं के उपयोग में अलग न रखा जाये या उसके विरुद्ध विभेद न किया जाये।

9. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना– (1) स्थानीय प्राधिकारी अपनी अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का एक अभिलेख रखेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जायेगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जायेगा और उसका उपयोग धारा 9 के खण्ड (ङ) के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख में, प्रत्येक बालक के सम्बन्ध में निम्नलिखित सम्मिलित होगा–

(क) नाम, लिंग, जन्म प्रमाण-पत्र की संख्यांक के साथ जन्म की तारीख, जन्म का स्थान;

(ख) माता-पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय;

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र, जहाँ बालक (6 वर्ष की आयु तक) उपस्थित रहा है;

(घ) प्राथमिक विद्यालय जहाँ बालक को प्रवेश दिया जाता है;

(ङ) बालक का वर्तमान पता;

(च) कक्षा, जिसमें बालक पढ़ रहा है (6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बालकों के लिए), और यदि स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता में शिक्षा जारी नहीं रहती है तो ऐसे जारी न रहने का कारण;

(छ) क्या बालक धारा 2 के खण्ड (ङ) के अर्थ में कमजोर वर्ग का है;

(ज) क्या बालक धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थ में किसी अलाभप्रद समूह का है;

(झ) क्या बालक– (क) अप्रवास और अपर्याप्त जनसंख्या; (ख) आयु अनुसार समुचित प्रवेश; और (ग) निःशक्तता, के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है।

(5) स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि अपनी अधिकारिता के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये हैं।

भाग-5
विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व

10. कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश– (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जायेगा और न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जायेंगी।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक का पाठ्य पुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसी हकदारियों और सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार किये गये प्रवेशों के प्रयोजनों के लिए आसपास का क्षेत्र या सीमाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद्/यथास्थिति, नगर निगम, जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है, की भौगोलिक सीमाएं होंगी–

परन्तु यदि किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गाँव/नगर पालिका वार्ड, जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है, के बालकों को दी जायेगी।

(4) धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार बालक का प्रवेश लॉट के ड्रा द्वारा किया जायेगा या राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) कोई विद्यालय या व्यक्ति, बालक को प्रवेश देते समय, कोई भी केपिटेशन फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता/संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग के अध्यधीन नहीं रखेगा।

(6) ऐसे विद्यालयों के मामले में, जिन्हें अनन्य रूप से बालकों या बालिकाओं के लिए स्थापित किया गया है, प्रवेश धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) के अनुसार केवल बालकों या, यथास्थिति, बालिकाओं के लिए मंजूर किया जायेगा।

(7) सहायता प्राप्त और गैर-सहायताप्राप्त विद्यालयों और धारा 12 के अधीन विनिर्दिष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिये गये छात्रों के कक्षावार नाम विद्यालय के प्रमुख स्थान/सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किये जायेंगे। यदि विद्यालय की वेबसाइट है तो ऐसे नाम विद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

11. राज्य सरकार द्वारा प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति– (1) राज्य सरकार द्वारा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों, और केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित करने पर, राज्य सरकार

द्वारा उपगत प्रति-बालक-व्यय होगा।

स्पष्टीकरण– प्रति-बालक-व्यय का अवधारण करने के लिए धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (ii) मे निर्दिष्ट विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत किया गया व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के सम्बन्ध में एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

(3) राज्य द्वारा उपगत प्रति-बालक-व्यय, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा, प्रत्येक वर्ष संगणित किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या सचिव से अनिम्न रैंक का उसका प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगा। गैर-सहायताप्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा इस समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायेगा। समिति इन नियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् तीन मास के भीतर और, तत्पश्चात् आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए प्रति-बालक-व्यय के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष मई मास में बैठक करेगी।

(4) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालयों में धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालकों के सम्बन्ध में फीस की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को समिति का विनिश्चय संसूचित करेगा।

(5) प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जायेगी। अप्रैल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जायेगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जायेगी।

(6) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, अपना दावा विद्यालय मे प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रैल मास में प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

12. आयु के सबूत के लिए दस्तावेज– जहाँ कहीं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है वहाँ निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालयों में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जायेगा– (क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम.) रजिस्टर/अभिलेख; (ख) आँगनबाड़ी अभिलेख; और (ग) माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा।

13. प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि– (1) प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की होगी।

(2) जहाँ किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात् किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है वहाँ वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यथा- अवधारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा।

14. विद्यालयों को मान्यता– केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) के अधीन मान्यता प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जायेगा या कृत्य नहीं करेगा।

15. विद्यालय की मान्यता वापस लेना– राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 (1992 का अधिनियम सं. 19) के अधीन मान्यता, मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, किसी भी समय, वापस ली जा सकेगी।

भाग-6
अध्यापक

16. न्यूनतम अर्हता– (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएँ धारा 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों पर लागू होंगी।

(2) किसी भी विद्यालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले किसी व्यक्ति की अध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती।

17. न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण– (1) राज्य सरकार धारा 2 के खण्ड (ढ) में निर्दिष्ट समस्त विद्यालयों के लिए अनुसूची में मानकों के अनुसार अध्यापक की आवश्यकता का प्राक्कलन करेगी।

(2) यदि राज्य के पास अध्यापक शिक्षण में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त संस्थाएँ नहीं हैं, या धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा यथा-अधिसूचित न्यूनतम अर्हताएँ रखने वाले व्यक्ति उप-नियम (1) के अधीन प्राक्कलित अध्यापकों की आवश्यकता के सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से विहित न्यूनतम अर्हताओं को शिथिल करने के लिए अनुरोध करेगी।

(3) किसी विद्यालय के लिए अध्यापक की कोई नियुक्ति ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जिसके पास धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, उप नियम (2) में निर्दिष्ट शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना नहीं की जायेगी।

18. न्यूनतम अर्हताओं का अर्जित किया जाना– (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अध्यापक शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करायेगी कि धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट

विद्यालयों और धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (iii) के अधीन राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट विद्यालयों में के सभी अध्यापक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित कर लें।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (ii) और (iv) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय या धारा 2 के खण्ड (ढ) के खण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी विद्यालय, जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन नहीं है और उनके द्वारा प्रबंधित नहीं है, में किसी ऐसे अध्यापक के लिए, जिसके पास अधिनियम के प्रारम्भ के समय धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, ऐसे विद्यालय का प्रबंधन अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त अध्यापन शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराएँगे।

19. अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें– अध्यापकों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें तत्समय प्रवृत्त सुसंगत सेवा नियमों अर्थात् राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 और, यथास्थिति, राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 के अनुसार होंगी।

20. अध्यापकों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले कर्तव्य– (1) धारा 24 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अनुपालन में और धारा 29 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के क्रम में, अध्यापक एक फाइल रखेगा, जिसमें प्रत्येक बालक के लिए शिष्य संचयी अभिलेख होगा, जो धारा 30 की उप-धारा (2) के विनिर्दिष्ट शिक्षा पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र देने का आधार होगा।

(2) अध्यापक, धारा 24 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात्–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, और

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण और पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तक विकास में भाग लेना।

21. प्रत्येक विद्यालय में शिष्य-अध्यापक अनुपात बनाए रखना– (1) किसी विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या राज्य सरकार या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जायेगी–

परन्तु राज्य सरकार या, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी अधिसूचना के तीन मास के भीतर उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना से पूर्व स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः तैनाती की जायेगी।

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता निम्नलिखित रीति से पूर्ववर्ती शैक्षणिक सत्र में गत संकलित मूल्यांकन में वर्णित छात्रों की संख्या के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित की जायेगी–

(क) विद्यालय स्तर पर, विद्यालय का प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रबंध समिति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में एक रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट शिष्य-अध्यापक अनुपात सम्बन्धी अधिनियम के सन्नियमों के अनुरूप तैयार की जायेगी और सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष 10 अप्रैल तक भेजी जायेगी।

(ख) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में ब्लाक में के समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट, ब्लाक में विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के पदस्थापन के सुव्यवस्थीकरण के लिए आधार तैयार करेगी। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिवर्ष 10 मई तक, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को अधिनियम में विहित सन्नियमों के अनुसार अध्यापकों के अधिशेष/कमी की रिपोर्ट भेजेगा।

(ग) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जिले के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट, जिले के एक ब्लाक से अन्य ब्लाक में अध्यापकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए आधार तैयार करेगी। जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रतिवर्ष 20 मई तक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा को अधिनियम में विहित सन्नियमों के अनुसार अध्यापकों के अधिशेष/कमी की रिपोर्ट भेजेगा।

(घ) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राज्य की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा और अध्यापकों के अधिशेष/कमी, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करेगा और प्रतिवर्ष 15 जून तक राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।

(3) यदि राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति, धारा 25 की उप-धारा (2) के उपबन्धों का अतिक्रमण करता है तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए व्यक्तिशः दायी होगा।

भाग-7

पाठ्यचर्या और प्रारम्भिक शिक्षा का पूरा होना

22. शैक्षणिक प्राधिकारी– (1) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगा।

(2) पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय, शैक्षणिक प्राधिकारी–

(क) सुसंगत और आयु समुचित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा;

(ख) सेवा में अध्यापक प्रशिक्षण डिजाइन प्रस्तुत करेगा; और

(ग) निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करेगा।

(3) शैक्षणिक प्राधिकारी नियमित आधार पर सम्पूर्ण विद्यालय क्वालिटी निर्धारण की प्रक्रिया डिजाइन और कार्यान्वित करेगा।

23. प्रमाण-पत्र प्रदान करना– (1) प्रारम्भिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण-पत्र, प्रारम्भिक शिक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र,–

(क) प्रमाणित करेगा कि बालक ने धारा 29 के अधीन विहित समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है।

(ख) इसमें बालक का शिष्य संचयी अभिलेख अन्तर्विष्ट होगा और वह विहित पाठ्यक्रम के बाहर के क्रियाकलापों के क्षेत्रों में बालक की उपलब्धियों को भी विनिर्दिष्ट करेगा और उसमें संगीत, नृत्य, साहित्य, खेल इत्यादि सम्मिलित कर सकेगा।

भाग-8
शिकायत निवारण

24. अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तन्त्र– (1) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, विद्यालयो में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए, निम्नलिखित से मिलकर बनी एक ब्लाक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी–

(i) ब्लाक विकास अधिकारी – अध्यक्ष

(ii) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य

(iii) अपर ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य-सचिव

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन, किसी विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य-सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। कोई अध्यापक, जो ब्लाक स्तरीय समिति के विनिश्चय से संतुष्ट नहीं है, जिला स्तरीय शिकायत समिति में अपील कर सकेगा।

(4) जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

(i) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल परिषद् – अध्यक्ष

(ii) जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य

(iii) अपर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य-सचिव

(5) ब्लाक और जिला स्तरीय समितियाँ आवश्यकतानुसार किन्तु प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बैठक करेंगी।

(6) समिति का सदस्य-सचिव समिति के विनिश्चय से सम्बन्धित अध्यापक को संसूचित करेगा।

(7) प्रत्येक सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपने अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए स्वयं अपना तन्त्र विकसित करेगा।

25. बालकों/माता-पिता की शिकायत का निवारण– (1) अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन या अतिक्रमण से उत्पन्न कोई शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को की जायेगी।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति, बालक/संरक्षक/माता-पिता से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर करने की व्यवस्था करेगी।

(3) विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठकों में शिकायत में उठाये गये विवाघकों पर विचार करेगा और उन पर समुचित कार्रवाई करेगा–

परन्तु मामले की गंभीरता पर निर्भर रहते हुए आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(4) आवेदक को भी विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में बुलाया जायेगा और उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जायेगी।

(5) विद्यालय प्रबंध समिति उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध परिवाद प्राप्त हुआ है, को भी बुला सकेगी और व्यक्तिगत सुनवाई कर सकेगी।

(6) दोनों पक्षकारों की समुचित सुनवाई करने के पश्चात्, विद्यालय प्रबन्ध समिति यदि उसके स्तर पर कार्रवाई की जानी है तो समुचित कार्रवाई करेगी अन्यथा मामले को संबंधित समुचित प्राधिकारी को आगे और समुचित कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट करेगी।

(7) समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा और तीन मास से अनधिक की कालावधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगा।

(8) यदि आवेदक, उपर्युक्त उप-नियम (6) और (7) में यथा-वर्णित की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो वह राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जा सकेगा।

भाग-9
बाल अधिकारों का संरक्षण

26. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन– राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी।

27. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति– राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के सम्बन्ध में परिवादों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक चाइल्ड हैल्प लाइन की स्थापना कर सकेगा जो उसके द्वारा आन-लाइन तंत्र के माध्यम से मानीटर की जा सकेगी।

28. राज्य सलाहकार परिषद् का गठन और उसके कृत्य– (1) अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी रीति से क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को राय देने के लिए, राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस नियम में परिषद् के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का गठन करेगी जो एक अध्यक्ष और चौदह सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने

वाले व्यक्तियों में से की जायेगी।

(3) परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्–

(क) विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) कम से कम तीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक हैं;

(ग) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो;

(घ) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा;

(ङ) कम से कम एक सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा, जिसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञताप्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है;

(च) परिषद् के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे–

(i) प्रारम्भिक शिक्षा के प्रभारी सचिव;

(ii) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

(iii) आयुक्त/निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, और

(iv) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

(छ) राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) परिषद् की एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

(5) परिषद् अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेगी।

(6) विद्यालय शिक्षा विभाग, परिषद् की बैठकों और उसके अन्य कृत्यों के लिए तर्क सम्बन्धी समर्थन उपलब्ध करायेगा।

(7) परिषद् के कार्य के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

(क) परिषद्, ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष ठीक समझे, नियमित रूप से बैठक करेगी किन्तु उसकी पिछली और अगली बैठक के बीच तीन मास का अन्तर नहीं होगा।

(ख) परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। यदि किसी कारण से, अध्यक्ष परिषद् की बैठक में हाजिर होने में असमर्थ है तो वह ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए परिषद् के किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। परिषद् की बैठक की गणपूर्ति पूर्ण समझी जायेगी यदि उसके कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित हैं।

(8) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तें निम्नलिखित होंगी–

(क) प्रत्येक सदस्य, उस तारीख, जिसको वह पद ग्रहण करता है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा किन्तु कोई सदस्य दो अवधियों से अधिक के लिए पद धारित नहीं करेगा।

(ख) कोई सदस्य, राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर या निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक या अधिक के होने पर, उसके पद से हटाया जा सकेगा–

(i) न्यायनिर्णीत दिवालिया है;

(ii) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो गया है;

(iii) विकृतचित्त है;

(iv) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर निरंतर बने रहना लोकहित में हानिकारक है;

(v) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है; या

(vi) परिषद् से अनुपस्थिति की इजाजत अभिप्राप्त किये बिना परिषद् की दो लगातार बैठकों से अनुपस्थित है।

(ग) किसी सदस्य को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना उसके पद से हटाया नहीं जायेगा।

(घ) यदि सदस्यों के पद में, चाहे मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा, कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति 120 दिन की कालावधि के भीतर नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी।

(ङ) परिषद् के सदस्य, राज्य सरकार द्वारा समितियों, आयोगों के गैर-शासकीय सदस्यों, और ऐसे ही व्यक्तियों के प्रवर्गों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार शासकीय भ्रमणों और यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

भाग-10
प्रकीर्ण

29. शंकाओं का निराकरण– जहाँ इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन या उनके लागू होने के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सरकार के शिक्षा विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा। • राज्यपाल के आदेश से, अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव।

3. राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पत्र दि. 28.5.2010

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/4146/08/एसडीएमसी/वो-1/215 दिनांक 28.5.10 • **विषय** : राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन के सम्बन्ध में। • **प्रसंग** : राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक : प.2(2)शिक्षा-1/प्राशि/03 दिनांक 21.4.10 • राज्य के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक-2009 की धारा-21 के प्रावधानानुसार गठित की जाने वाली विद्यालय

प्रबन्ध समिति (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के गठन हेतु दिशा-निर्देश जारी करने की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक- प.2(2)शिक्षा-1/प्राशि/03 दिनांक 21.4.10 द्वारा प्रदान की है।

प्रत्येक राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 की धारा-21 के प्रावधानानुसार गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबन्ध समिति (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी सभी आदेश एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन सम्बन्धी दिशा-निर्देश प्रेषित कर लेख है कि समितियों का गठन तत्काल कर इस कार्यालय को सूचित करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता पाई जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेवारी स्वयं प्रधानाध्यापक की ही होगी। यदि कहीं पर एक ही शिक्षक है और किसी अन्य विद्यालय से सहयोग हेतु सदस्य बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रधानाध्यापक स्वतंत्र रहेंगे। नवीन विद्यालय प्रबन्ध समिति का जिले के समस्त विद्यालयों में गठन हो चुका है, इसका प्रमाण पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा इस कार्यालय को अवश्य भेजेंगे। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

4. राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उ.प्रा. विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन पत्र दि. 20.7.2010

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/4146/एसडीएमसी/08/वो-1/223 दिनांक 20.7.10 • **विषय :** राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन के सम्बन्ध में। • **प्रसंग :** इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.05.2010 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के पृष्ठांकन में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके अधीनस्थ प्रत्येक राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रावधानानुसार गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन तत्काल करवाया जाकर जिले के रजिस्ट्रार सहकारी समिति में पंजीकरण आवश्यक रूप से कराने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

5. विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के स्थान पर 'विद्यालय प्रबन्धन समिति' नाम किये जाने की आज्ञा दि. 12.8.2010

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक : प.2(2)शिक्षा-1/प्रा.शि./2003 दिनांक 12.08.2010 • **आज्ञा** • इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.5.2003 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति' का गठन करने के आदेश जारी किये गये थे।

तदोपरांत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-21 के प्रावधानानुसार राज्य के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त (अनुदानित) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'विद्यालय प्रबन्धन समिति' (स्कूल मैनेजमेंट कमेटी) के गठन हेतु इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.4.2010 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये हैं। विद्यालय प्रबन्धन समितियाँ पूर्व में गठित 'विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समितियों' द्वारा बैंक में संधारित खाते में खाताधारक का नाम परिवर्तन कर 'विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति' के स्थान पर 'विद्यालय प्रबन्धन समिति' किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। विद्यालय प्रबन्धन समिति में परिचालन कोष हेतु संधारित बैंक खाता समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित होगा। • ह. प्रमुख शासन सचिव।

6. कक्षा 8 वीं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा समाप्ति पत्र दि. 6.8.2010

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प.17(3)प्राशि/2008 जयपुर, दिनांक 6.8.10 • **विषय :** कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा समाप्त करने के सम्बन्ध में। • **संदर्भ :** निदेशक, प्रा.शि. बीकानेर का पत्रांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/ए/8बोर्ड /09-10 दिनांक 03.07.2010 • उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रम में राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 30(1) व (2) के प्रावधान के अनुरूप सत्र 2010-11 से कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा प्रणाली को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है एवं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।

अतः शैक्षणिक सत्र 2010-11 में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें। • भवदीय, ह. अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।

7. कक्षा 8 वीं की अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाएं जिला समान परीक्षा योजनान्तर्गत आयोजित करने का आदेश दि. 23.8.2010

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/ए/8वीं बोर्ड/09-10 दिनांक 23.8.10 • **विषय :** कक्षा 8 की बोर्ड पैटर्न परीक्षा समाप्त करने के सम्बन्ध में। • **प्रसंग :** प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा के पत्रांक- प.17(3)प्राशि/2008 जयपुर दिनांक 6.8.10 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के अनुसार राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-30(1) व (2) के प्रावधान के अनुरूप सत्र 2010-11 से कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा प्रणाली को एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है एवं प्राथमिक

शिक्षा पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

अतः शैक्षणिक सत्र 2010-11 से कक्षा 8 की अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा जिला समान परीक्षा योजनान्तर्गत आयोजित करना सुनिश्चित करें। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

8. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2009 के अन्तर्गत बच्चों के प्रवेश सम्बन्धी निर्देश दि. 4.4.2011

Government of Rajasthan
School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Dated: April 04, 2011 •
Subject : Implementation of the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act) regarding admission of children.

The RTE Act has become effective from April 01, 2010. In exercise of the powers conferred by section 38 of the RTE Act the State Government has framed, and notified on March 29, 2011, the "Rajasthan Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011". Copies of the RTE Act and the Rules of 2011 notified by the State Government on 29/03/2011 can be downloaded from the website of Rajasthan Council for Elementary Education (rajssa.nic.in).

The provisions of the RTE Act are applicable to all schools in the State, including the non-government schools, whether or not receiving aid from the State Government, which are imparting Elementary Education i.e. all Primary and Upper Primary Schools and those Secondary/Senior Secondary schools which have any of the classes from Class I to VIII.

As per the provisions of section 12 of the RTE Act all Non-Government educational intuitions in the State are under obligation to admit in Class I to the extent of at least twenty-five per cent of the strength of that class, children belonging to "weaker section" and "disadvantaged group" and provide free elementary education to such children till its completion. Where a school also imparts pre-school education i.e. pre-primary education and the admissions are made at the pre-primary stage and not in Class I, the provisions of admitting children belonging to "weaker section" and "disadvantaged group" are applicable for admission to such pre-school education.

The State Government has issued two separate notifications on March 29, 2011 specifying the categories of children who are covered under these two categories i.e. "weaker section" and "disadvantaged group". Copies of these two notifications are enclosed for your ready reference.

Now all the schools to which the provision of the RTE Act are applicable are under obligation to give admissions to the children belonging to "weaker section" and "disadvantaged group" to the extent of at least 25% of the strength of Class I or at the pre-primary stage, as may be the case.

Your attention is invited to section 13(1) of the RTE Act which provides, inter alia, that while admitting a child, no school or person shall subject the child or his or her parents or guardian to any screening procedure. Section 2(o) of the Act defines the term "screening procedure" to mean "the method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method". A copy of the guidelines issued by the Ministry of Human Resource Development on 23/11/2010 regarding the procedure for admission in schools in enclosed herewith for your ready reference. In respect of the seats other than those which are reserved for the children belonging to the "weaker section" and the "disadvantaged group" each school is required to formulate a policy under which the admissions are to take place in that school. This policy shall include the criteria for categorization of the applicants in terms of the objectives of the school on a rational, reasonable and just basis. Within each category the selection of the children will have to be done on a random basis. The admission policy should be explicitly stated in the school prospectus. Where the schools have a website, the admission policy shall also be prominently displayed on the school website.

The provisions relating to admission of children belonging to the "weaker section" and "disadvantaged group" have been made in Rule 10 of the above mentioned Rules of 2011. Sub-rule (5) of rule 10 provides that the admission of children in accordance with clause (c) of section 12 shall be done by draw of lots.

Attention is invited to Clause (b) of sub-section (2) of section 13 of the RTE Act which provides that any school or person who subjects a child to screening procedure shall be punishable with fine which may extend to Rs. 25000 for the first contravention and Rs. 50000 for each subsequent contravention.

Attention is further invited to sub-section (1) of section 13 of the RTE Act which provides that no school or person

shall collect any capitation fee while admitting children to the school. Clause (a) of sub-section (2) of section 13 provides that any school or persons who receives capitation fee shall be punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charged.

For ensuring that all the schools in the State comply with the provisions of the RTE Act in the matter of giving admissions in Class I or at the pre-primary stage, as the case may be, the State Government have decided to constitute district-level committees under the chairmanship of the Collectors. The Chief Executive Officer, Zila Parishad shall be a member of the committee and the District Elementary Education Officer shall be the Member-Secretary of the committee. Collectors will be free to include other officers as members of this committee.

All the Collectors are requested to give wide publicity to the above mentioned provisions of the RTE Act and the GOI guidelines. All Collectors are also requested to immediately convene a meeting of the representatives of the Non-Government Educational Institutions, aided as well as non-aided, so as to bring the above mentioned provisions of the RTE Act and the GOI guidelines to their knowledge and to impress upon them to ensure full compliance of these provisions/guidelines. The Collectors shall take all necessary action to ensure that:

1. All schools admit the children belonging to "weaker section" and "disadvantaged group" accordance with the provisions of the RTE Act and the Rules of 2011.

2. Each school formulates a policy under which the admissions are to take place in that school in respect of the seats other than those which are reserved for the children belonging to the "weaker section" and the "disadvantaged group".

3. No school or person subjects any child or his or her parents or guardian to any screening procedure and that the admission of children is done by draw of lots.

4. No school or person collects any capitation free while admitting children to the school. • Yours faithfully, Ashok Sampatram, Principal Secy. to Government.

9. किसी भी बालक को कक्षा में नहीं रोकने तथा निष्कासित नहीं किये जाने सम्बन्धी निर्देश दि. 27.4.2011

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/समानपरीक्षा/10-11 दिनांक 27.4.2011 • **विषय** : परीक्षा परिणाम सत्र 2010-11 के सम्बन्ध में। • **प्रसंग** : प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर के पत्रांक प.21(19)शिक्षा-1/प्राशि/2009 दिनांक 31.03.2011 • उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 निर्मित कर राज्य सरकार द्वारा 29 मार्च 2011 को अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त पत्र के दिशानिर्देश बिन्दु संख्या (च) में वर्णित धारा-16 के प्रावधानानुसार किसी भी बालक को न तो किसी कक्षा में रोका जायेगा और न ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा। उक्त दिशानिर्देश की पालना सत्र 2010-11 के परीक्षा परिणाम में कराना सुनिश्चित करें। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सभी प्रकार के शुल्कों से मुक्त करने सम्बन्धी आदेश दि.13.5.2010

राजस्थान सरकार

क्रमांक : प.6(1)शिक्षा-1/2002 जयपुर, दिनांक 13.5.2010 • **विषय** : राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को सभी प्रकार के शुल्कों से मुक्त करने के सम्बन्ध में। • **सन्दर्भ** : आपका पत्रांकः शिविरा-माध्य/लेखा/डी-2/25445/08 दिनांक 5.5.10 • उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा-3 के परिप्रेक्ष्य में राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को समस्त प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखने का राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लिया है।

अतः उक्त नीतिगत निर्णय की पालना में 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के समस्त प्रकार के शुल्क जिनमें छात्र निधि कोष एवं विद्यालय विकास कोष भी सम्मिलित है, को माफ करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय के अनुमति से एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शुल्क वसूली के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश ही यथावत रहेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू माना जाये। • भवदीय, ह. उप शासन सचिव-प्रथम। • कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/बी/3554/वौ-2/02-10/ दिनांक : 21.5.10

11. बालक-बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश देन हेतु निर्देश दि. 3.9.2010

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/बी/3515/नि.अ.शि.अ/10-11 दिनांक 03.9.10 • **विषय** : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत विशेष प्रशिक्षण में नामांकित बालकों-बालिकाओं का आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश देने हेतु संस्थाओं को निर्देश जारी करने के क्रम में। • **प्रसंग** :

आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर का पत्रांक :- राप्राशिप/जय/वै.शि/प.26/10-11/27529/दिनांक 16.8.10 • उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है कि इस वर्ष अनामांकित एवम् ड्राप आउट बालक-बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण यथा आवासीय ब्रिजकोर्स शिविर, गैर आवासीय ब्रिज कोर्स शिविर एवं शिक्षा मित्र केन्द्र आयोजित किये जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार ऐसे अनामांकित एवं ड्राप आउट बालक-बालिकाओं को विशेष प्रशिक्षण देने से पूर्व उनको आयु अनुरूप कक्षा में नामांकित कराया जाना अनिवार्य है तथा आर.टी.आई. शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 14(2) के अनुसार किसी भी बालक को जन्मतिथि का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर प्रवेश देने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को आयु अनुरूप बालक-बालिकाओं को कक्षा में प्रवेश दिलवाने हेतु तत्काल निर्देश जारी करें। उक्तानुसार नामांकन पश्चात् प्राप्त संख्या को आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद जयपुर एवं इस कार्यालय को 10 दिन में अवगत करावें ताकि नामांकन पश्चात् विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो सकें। • ह. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

12. बालकों को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश दि. 20.8.2010

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/बी/3630/शा.दण्ड/07-09 दिनांक 20.8.10 • **विषय :** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों में बालकों को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबन्ध बाबत। • **प्रसंग :** प्रमुख शासन सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा जयपुर का पत्रांक-एफ21(19)शिक्षा-1/ई.ई/2009 दिनांक 16.8.10 • उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में लेख है, कि विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न देने पर पूर्णतः पाबंदी है, इस बाबत इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर आपको पत्र लिखे गये हैं। फिर भी प्रायः विभिन्न स्रोतों एवं समाचार पत्रों से विद्यालय में छात्र-छात्राओं को शारीरिक दण्ड दिये जाने की घटनाएँ प्रकाशित होती रही हैं।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधान की धारा 17 की ओर दिलाना चाहूँगा जिसके अन्तर्गत बालकों को स्कूलों में शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लगाया गया है–

धारा 17 (1) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

आप अपने अधीनस्थ समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करने के सम्बन्ध में तत्काल निर्देश जारी करें। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ किसी भी विद्यालय में, किसी भी शिक्षक के विरुद्ध बालकों को दिये गये शारीरिक दण्ड सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त होती हो अथवा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होने पर आप तत्काल दोषी शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को तत्काल अवगत करावें। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

13. समेकित बाल संरक्षण योजना सम्बन्धी दिशा-निर्देश दि. 19.01.2011

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/एनपीसीआर/10-11 दिनांक 19.01.11 • **विषय :** 'समेकित बाल संरक्षण योजना' के सम्बन्ध में। • **प्रसंग :** राज्य सरकार के पत्रांक प.2(3)शिक्षा-1/प्राशि/11 दिनांक 07.01.2011 • उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सरकार बच्चों के संरक्षण हेतु संकल्पित होकर इस हेतु निरन्तर प्रयासरत है। इस हेतु 'किशोर न्याय अधिनियम 2000' एवं नवआरम्भ 'समेकित बाल संरक्षण योजना' के क्रियान्वयन हेतु बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार शोषण, हिंसा की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस हेतु शालाओं में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को विद्यालय के ही शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शारीरिक/मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसके कारण कुछ बच्चों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा, ये घटनाएं बाल संरक्षण से जुड़े कानून एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना है। बच्चों के साथ हो रही इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ-2 उनके अधिकारों का उल्लंघन शारीरिक/मानसिक प्रताड़ना की संभावना होने पर वे इस सम्बन्ध में कहाँ सम्पर्क करें, इसकी उन्हें जानकारी हो।

किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 31 में अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानानुसार प्रत्येक जिले में गठित 'बाल कल्याण समिति' को बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास एवं पुनर्वास के निस्तारण तथा उनकी आवश्यकताओं तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु अंतिम प्राधिकारी बनाया गया है। इस समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा 29(5) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राज्य के चार जिला मुख्यालयों पर

(अलवर, कोटा, उदयपुर व जयपुर) पर ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क आपातकालीन दूरभाष सेवा 'चाइल्ड लाईन' (जिसका टोल फ्री नम्बर 1098 है।) संचालित की जा रही है जिसे निकट भविष्य में प्रत्येक जिलों में विस्तारित किया जाना है।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि निम्नांकित निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करावें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावें ताकि राज्य सरकार को अवगत कराया जा सके–

राज्य के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में बाल कल्याण समिति के बारे में सहज दृशित होने वाले स्थान (यथा नोटिस बोर्ड, विद्यालय प्रवेश द्वार आदि) पर संक्षिप्त जानकारी एवं समिति के अध्यक्ष/सदस्यों का नाम पता व दूरभाष अंकित कराए जावें।

इसके साथ निःशुल्क आपातकालीन दूरभाष सेवा चाईल्ड लाईन (जिसका टोल फ्री नम्बर 1098 है) का अंकन भी करावें।

शिक्षकों को पाबंद किया जावे कि वे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार शोषण, हिंसा, शारीरिक/मानसिक प्रताड़ना से दूर रहें तथा इस प्रकार की घटना घटित होने पर अविलम्ब बाल कल्याण समिति व पुलिस को सूचित करें। इस प्रकार की घटनाओं में शिक्षकों के संलिप्त होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

समय-समय पर आयोजित होने वाले शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों शिक्षक सम्मेलनों में शिक्षकों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जावे।

प्रत्येक माह में दो तिथि निर्धारित कर बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जावे, इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में एक अध्यापक को प्रभारी बनाया जावे। • ह. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षिक), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

14. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश सम्बन्धी निर्देश दि. 29.3.2011

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक : प.21(19)शिक्षा-1/प्रा.शि./2009 जयपुर दिनांक मार्च 29, 2011 • **विषय :** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों को प्रवेश देने के सम्बन्ध में। • निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) सम्पूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर लागू होते हैं, चाहे वह अनुदानित हों अथवा गैर-अनुदानित तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हों या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हों अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से सम्बद्ध हों।

उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, चाहे वह अनुदानित हों या गैर-अनुदानित हों, के लिए यह बाध्यकारी है कि कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों को प्रवेश देंगे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार ने दिनांक 29.03.2011 को दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करके 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' को परिभाषित कर दिया है। दोनों अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियाँ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

अब सभी गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि वह कक्षा 1 में अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों को प्रवेश दें।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय उक्त प्रावधान के अनुसार 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के जिन बालकों को प्रवेश देंगे उनसे कोई भी शुल्क नहीं वसूलेंगे। गैर-अनुदानित विद्यालयों द्वारा इन वर्गों के जिन बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा उनके लिए राज्य सरकार द्वारा उन्हें राशि का पुनर्भरण किया जायेगा जो कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा बालकों से प्रभारित वास्तविक रकम या राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति बालक व्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक किया जायेगा।

आपके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देशित करें कि उक्त प्रावधानों का अपने-अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें तथा उक्त प्रावधानों की अनुपालना कड़ाई से सुनिश्चित करायें। • ह. अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव। • कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/निशुअशि/3515/वौ-3/11 दिनांक 30.3.11

15. असुविधाग्रस्त समूह (Disadvantaged Group) के बालक-बालिकाओं के निर्धारण की अधिसूचना दि. 29.3.2011

Government of Rajasthan
School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011

NOTIFICATION

In pursuance of clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as 'child belonging to disadvantaged group', namely–

a) the Scheduled Castes,

b) the Scheduled Tribes,

c) Other Backward Classes and Special Backward Classes whose parents' annual income does not exceed Rs. 2.50 lacs, and

d) a child covered under the definition of "person with disability' under clause (t) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. • By Order of the Governor, Sd. (Ashok Sampatram), Principal Secretary to Govt.

16. कमजोर वर्ग (Weaker Section) के बालक-बालिकाओं के निर्धारण की अधिसूचना दि. 29.3.2011

Government of Rajasthan
School Education Department

F.21(19)Edu.-1/E.E./2009 Jaipur, the 29th March, 2011

NOTIFICATION

In pursuance of clause (e) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009), the State Government hereby specifies the child belonging to the following categories as "child belonging to weaker section", namely–

a) A child whose parents are included in the list of Below Poverty Line families (both Central and State lists) prepared by the Rural Development Department / Urban Development Department of the State Government, and

b) A child whose parents' annual income does not exceed Rs. 2.50 lacs.• By Order of the Governor, Sd. Ashok Sampatram, Principal Secretary to Govt.

17. राज्य में गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में आदेश दि. 5.7.2011

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग
(प्रारम्भिक शिक्षा)

क्रमांक : प.9(2)शिक्षा-5/05 पार्ट दिनांक : 05 जुलाई, 2011•

विषय : राज्य में गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में। • उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में लागू हो चुका है जिसके अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 दिनांक 29 मार्च, 2011 को अधिसूचित किये जा चुके हैं। उक्त नियमों के नियम 14 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य में कोई भी गैर-सरकारी विद्यालय राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 के अधीन मान्यता प्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जायेगा या कृत्य नहीं करेगा। उक्त नियमों के नियम 15 में यह प्रावधान किया गया है कि राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 के अधीन मान्यता, मंजूरी उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी समय वापस ली जा सकेगी।

राज्य में गैर-सरकारी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रावधान पूर्व से ही राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 में किये गये हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के अनुसरण में अभी हाल ही में दिनांक 21 जून, 2011 को राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 में विद्यालयों की मान्यता से सम्बन्धित प्रावधानों में विस्तृत संशोधन अधिसूचित किये जा चुके हैं तथा संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा प्रदान करने वाली समस्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को अब मान्यता प्राप्त करनी होगी। अधिसूचना दिनांक 21 जून, 2011 सर्व शिक्षा अभियान की वेब साइट (website) पर उपलब्ध है।

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2011-12 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता दिये जाने का कार्यक्रम पूर्व में ही घोषित किया जा चुका है। अतः तदनुसार ही सक्षम अधिकारी मान्यता प्रदान करने की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे। मान्यता जारी करते समय सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में वर्णित सभी मान एवं मानदण्डों (Norms and Standards) की पूर्ति अवश्य की हो।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 लागू होने से पूर्व गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का संचालन मान्यता से मुक्त था लेकिन उक्त अधिनियम/नियमों के लागू होने के पश्चात इनके लिए भी मान्यता लिया जाना अनिवार्य हो गया है। अतः प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी–

(1) संस्थाओं द्वारा आवेदन फार्म नं. 1 में जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने की तिथि 31 जुलाई 2011 होगी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के उपरान्त मान एवं मानदण्ड पूरा करने

वाले विद्यालयों की मान्यता फार्म नं. 2 में दिनांक 31 अगस्त 2011 तक जारी करनी होगी।

(2) इन विद्यालयों के लिए मान्यता शुल्क रुपये 1000/- तथा आरक्षित कोष की राशि रुपये 10,000/- होगी जो बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर में जमा करानी होगी।

(3) संस्था को संस्था के नाम से रुपये 50,000/- सावधि जमा (एफ.डी.) खाते में जमा कराने होंगे।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 के नियम 8(ए) के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 लागू होने से पूर्व संचालित एवं मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी विद्यालयों को मान्यता देने सम्बन्धी नियम में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 21 जून 2011 को जारी होने के कारण इस अधिसूचित दिनांक से तीन माह अर्थात् 20 सितम्बर 2011 तक फार्म नम्बर-1 में स्वघोषणा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रस्तुत करनी होगी। इस सम्बन्ध में निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है–

1. जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी स्वघोषणा को प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर पब्लिक डोमेन (Public Domain) में जारी करेंगे।

2. जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी स्वघोषणा प्राप्ति के तीन माह के अन्दर मान एवं मानदण्डों की पूर्ति हेतु मौका निरीक्षण करेंगे/करवाएंगे।

3. विद्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पब्लिक डोमेन (Public Domain) में प्रसारित किये जाएंगे तथा जो विद्यालय मान एवं मानदण्डों की पूर्ति करते हैं उन्हें निरीक्षण तिथि के 15 दिवस के अन्दर फार्म नम्बर-2 में मान्यता पत्र जारी करेंगे।

4. जो विद्यालय मानदण्डों की पूर्ति नहीं करेंगे उन्हें जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा एवं अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के अन्दर मान व मानदण्ड पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सत्र 2011-2012 में गैर-सरकारी संस्थाओं को नवीन मान्यता एवं पूर्व से संचालित गैर-सरकारी संस्थाओं को स्वघोषणाओं के आधार पर आवश्यक कार्यवाही को व्यापक कार्यक्रम बनाएंगे। समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा अपने परिक्षेत्र में एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे जिससे चालू सत्र में कोई भी गैर-सरकारी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित न हों। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उपरोक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक विज्ञप्ति भी प्रकाशित करेंगे।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सत्र 2011-2012 में घोषित पूर्व कार्यक्रम के अनुसार जो गैर-सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्व परिपत्रों के आधार पर आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी मान्यता देते समय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित मान एवं मानदण्डों की पूर्ति होना सुनिश्चित करेंगे। •

ह. अशोक सम्पतराम, प्रमुख शासन सचिव।

18. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 परिवेदना निस्तारण दि. 16.5.2011

राजस्थान सरकार

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

No.: F.21(19)Edu-1/E.E./2009 Dated: 16.05.2011

परिपत्र

विषय : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 - परिवेदना निस्तारण (Grievence Redressal)। • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं–

1. शिक्षकों के लिए : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं तत्सम्बन्धी नियमों को लागू करने की दृष्टि से शिक्षकों को किसी भी प्रकार कोई परिवेदना है तो वे निम्नानुसार निस्तारण हेतु प्रक्रिया का पालन करेंगे–

– शिक्षक द्वारा परिवेदना इस कार्य के लिए ब्लॉक स्तर पर गठित समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत की जाएगी।

– ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक में कार्यरत अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों में से किसी एक को नियम 24 के अनुसार परिवेदना निस्तारण के लिए सदस्य सचिव का दायित्व घोषित करना होगा।

– उपरोक्तानुसार आवंटित कार्य के अनुसार सदस्य सचिव प्राप्त परिवेदनाओं को पंजीकृत करेंगे।

– सदस्य सचिव द्वारा समिति के अध्यक्ष की अनुमति से परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए प्रति माह एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आवश्यकता होने पर शिक्षक तथा जिस पक्ष के विरुद्ध परिवेदना प्रस्तुत की गई है, को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

– सुनवाई के बाद समिति को अपना निर्णय पत्रावली पर अंकित करना होगा जिस पर अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव के हस्ताक्षर होंगे। सदस्य सचिव द्वारा समिति का निर्णय सम्बन्धित शिक्षक को तत्काल प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्णय पर की जाने वाली कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर की है तो निर्णय की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

– यदि शिक्षक ब्लॉक स्तरीय समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो

उसके विरुद्ध अपील जिला स्तरीय समिति में की जा सकती है।

– जिले में प्राप्त अपील का पंजीकरण जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

– जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव का दायित्व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को आवंटित किया जाएगा।

– जिले में प्राप्त समस्त अपीलों पर अध्यक्ष की अनुमति से मासिक बैठक आयोजित होगी तथा इस बैठक में भी सम्बन्धित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

– जिला स्तरीय समिति का निर्णय पत्रावली पर अंकित होगा जिस पर अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य सचिव के हस्ताक्षर होंगे। सदस्य सचिव इस निर्णय से सम्बन्धित शिक्षक को अवगत कराएगा।

– निर्णय करने में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ब्लॉक स्तर पर पंजीकृत होने के बाद जिला स्तर पर अंतिम निर्णय होने तक तीन माह से अधिक का समय नहीं लगे।

2. बालकों/माता-पिता के लिए : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन होने अथवा पालना नहीं होने की स्थिति में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी–

– पीड़ित पक्ष द्वारा अपनी शिकायत विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को दर्ज कराई जाएगी।

– शाला प्रबंधन समिति द्वारा यह व्यवस्था की जाएगी कि इस प्रकार की शिकायतों के लिए एक पंजिका संधारित कर शिकायतें इस पंजिका में संधारित करें।

– इस प्रकार दर्ज की गई समस्त शिकायतों के निस्तारण पर शाला प्रबंधन समिति की नियमित बैठक में विचार किया जाएगा। आवश्यकता होने पर विशेष बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।

– समिति की बैठक में सम्बन्धित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

– सभी पक्षों को सुनने के बाद समिति द्वारा अपना निर्णय पारित किया जाएगा।

– इस निर्णय पर कार्यवाही यदि समिति के स्तर पर सम्भव नहीं है तो निर्णय कार्यवाही हेतु सक्षम स्तर पर प्रेषित किया जाएगा।

– सक्षम अधिकारी यह व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार के निर्णय पर कार्यवाही में शिकायत दर्ज होने की तिथि से तीन माह के अन्दर कार्यवाही कर ली जावे।

– शिकायतकर्ता यदि उक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एस.सी.पी.सी.आर.) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) में भी जा सकता है।

नोट– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 के प्रावधानों की पालना/उल्लंघन के सम्बन्ध में यदि अन्य वर्गों को भी कोई परिवेदना हो तो वे उक्त दी गई व्यवस्था के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार अपनी परिवेदना दर्ज करा सकते हैं। • ह. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग। • कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/अनिशिअ/4146/एसएमसी/10-11 दिनांक 19.05.2011

19. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 परिवेदना निस्तारण दि. 16.5.2011 की निरन्तरता में जारी निर्देश दि. 23.09.2011

राजस्थान सरकार

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

No.: F.21(19)Edu-1/E.E./2009 Dated: 23.09.11 • **विषय :** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2011 – परिवेदना निस्तारण (Grievence Redressal)। • परिवेदना निस्तारण के लिए राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 24 एवं 25 में एक विकेन्द्रित व्यवस्था प्रतिपादित की जा चुकी है। इस व्यवस्था के अनुसरण में राज्य सरकार ने अपने परिपत्र दिनांक 16.05.2011 के द्वारा विभिन्न स्तरों पर करणीय कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस परिपत्र की निरंतरता में निम्न निर्देश सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पालनार्थ प्रेषित किये जाते हैं–

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2(ज) के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 32(1) एवं (2) की पालना में शिकायत निस्तारण हेतु राजस्थान बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 24 में विद्यालय स्तर पर अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति, ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकृत किये गये हैं।

2. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 9 में उल्लेखित कार्यों को करने के लिए राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (20), (21), (22), एवं (23) में व्यवस्थाएं प्रतिपादित की गई हैं।

3. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार विभिन्न धाराओं में दी गई समय सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को वैधानिक देयता (Legal Entitlements) संलग्नक के अनुसार होंगी।

4. परिवेदना निस्तारण हेतु विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों के अध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि उनके यहाँ प्राप्त शिकायत/अपील का विधिवत पंजीयन हो, शिकायतकर्ता को उसकी रसीद दी जावे तथा संलग्न परिशिष्ट में दी गई समयावधि में निस्तारण कर सम्बन्धित को अवगत कराया जावे।

5. शिकायत का निस्तारण करते समय निस्तारण करने वाले अधिकारी को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपने निर्णय का सकारण आदेश (Reasoned Order) जारी करेगा तथा आदेश में अपीलीय

अधिकारी के पदनाम का भी स्पष्ट उल्लेख करेगा।

6. जिस स्तर पर शिकायत दर्ज की गई है यदि उस पर निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है तो शिकायत दर्ज करने वाला अधिकारी तत्काल उसे सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित कर समय पर निर्णय करायेगा और इस आशय की सूचना शिकायतकर्ता को भी देगा।

7. शिकायतकर्ता यदि निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को अपील दाखिल करेगा।

8. सभी सम्बन्धित अध्यक्ष प्राप्त शिकायतों का तत्काल विश्लेषण करेंगे तथा शिकायत की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अपने विवेक के आधार पर संलग्न परिशिष्ट की व्यवस्थानुसार कार्यवाही करेंगे। उदाहरणस्वरूप प्रवेश के समय यदि किसी बालक के प्रवेश से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे अधिकतम 7 दिन की अवधि में निस्तारित करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रकार की शिकायतें, जो भारतीय दण्ड संहिता का उल्लंघन से सम्बन्धित हों जैसे– हिंसा, बालकों का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न आदि के मामलों में आवश्यकता होने पर एफ.आई.आर. भी दर्ज करायेगा।

उपरोक्त परिपत्र को अपनी अधीनस्थ समस्त कार्यालयों/विद्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रचारित करें एवं इस पर समयबद्ध तरीके से की जाने वाली कार्यवाही के मॉनिटरिंग की प्रक्रिया निर्धारित करें। • ह. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग।

Matrix For Grievance Redressal

Sl. No.	*Legal Entitlement*	*Authority/ Officer charged with provision*	*Authority/ Officer charged with redressal*	*Time frame for Redressal*	*Appellate Authority/ Process*
			Admission Related Grievances		
1.	Admission without documents	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	7 days	DEEO/DD(s)
2.	Age appropriate admission	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	7 days	DEEO/DD(s)
3.	Any time admission	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	15 days	DEEO/DD(s)
4.	Timely Public Display of all admission related information	HM	BEEO/DEEO	1 month	DEEO
5.	No Screening Tests	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	7 days	Dy. Dir. Elementary/Sec.
6.	25% Reservation in private schools	HM/Principal	DEEO/DEO(s)	1 month	DEEO/DD(E)/(S)
			School Related Grievances		
7.	Availability of neighbourhood school	BEEO	DEEO	1 Year	Dir. Elementary
8.	Transport, where required	BEEO	DEEO	2 months	Dy. Dir. Elementary
9.	Other specific entitlements (such as aids and appliances), where required	HM / Principal	BEEO/DEO(s)	6 months	DEEO/DD(s)
10.	Special Training	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	1 month	DEEO/DD(s)
11.	No Tuition fees/ No Fees/Fund/No Application form fees/ No Capitation fees/ No Entrance Fees	HM/Principal	BEEO/DEO(s)	15 days	DEEO/DD(s)
12.	Corporal Punishment/ Discrimination	HM/Principal	SMC	7 days	BEEO/DEO(S)
13.	Text books/Workbooks	HM/Principal	BEEO/DEO(S)	15 days	DEEO/DD(S)
14.	Scholarships	HM/Principal	BEEO/DEO(S)	3 months	D.D.Ele./Sec.

15.	Mandated working days/Instructional hours	HM/Principal	SMC	15 days	BEEO/DEO(S)
16.	Pupil–Teacher Ratio	HM/Principal	BEEO/DEO(S)	As per RTE Rules	Dy. Dir. Ele
17.	Requisite classrooms	SMC	BEEO/DEO(S)	1 year	DEEO/DD(S)
18.	Functional toilets/ Drinking water	SMC	BEEO/DEO(S)	2 months	DEEO/DD(S)
19.	Mis-use of school building/infrastructure	SMC	BEEO/DEO(S)	7 days	DEEO/DD(S)
20.	No striking off Rolls	HM/Principal	SMC	7 days	BEEO/DEO(S)
Teacher Related Grievances					
21.	Non-Compliance of teachers with duties	SMC	BEEO/DEO(S)	15 days	DEEO/DD(S)
22.	Private Tuition by Teachers	HM/Principal	SMC	15 days	DEEO/DEO(S)
23.	No failure No detention	HM/Principal	BEEO/DEO(S)	15 days	DEEO/DD(S)
24.	Non-teaching duties	SMC	BEEO/DEO(S)	1 month	DEEO/DD(S)
25.	Issuance of Transfer Certificate	HM/Principal	BEEO/DEO(S)	7 days	DEEO/DD(S)
26.	Issuance of Completion Certificate	HM/Principal	BEEO/DEO(S)	1 month	BEEO/DEO(S)
27.	No segregation of reserved children in private schools	HM/Principal	DEEO/DEO(S)	1 month	DEEO/DD(E)/(S)

20. विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिकाओं को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश दि. 12.09.2011

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

क्रमांक : 7782-83 दिनांक : 12.09.11 • आदेश • निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु आने वाले प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिका को उसकी आयु-अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी विकलांगता से ग्रसित बालक-बालिका के द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन करने पर उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानानुसार अनिवार्यतः विद्यालय में प्रवेश दिया जाकर उसके लिए समुचित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। इन बालक-बालिकाओं की प्रभावी शिक्षण व्यवस्था हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक स्तर पर लगाये गये विशेष शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में जाकर अपेक्षित तकनीकी संबलन प्रदान किया जाएगा। यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऑटिज्म से ग्रस्त बालक-बालिकाओं को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जावे। • ह. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग। • कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./3515/वो-3/11-12/104 दिनांक 21.09.11

21. अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 35(1) के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन; निदेशालय का पत्र दि. 5.10.2011

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/अ.शि.अ./19626/2011-12/48 दिनांक 5.10.11 • **विषय :** अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 35(1) के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन। • **प्रसंग :** मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली का अ.शा. पत्रांक-1-9/2011 EE-4 दिनांक 04.07.11 और राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर का पत्रांक राप्राशिप/जय/आर.टी.ई./2011/6810-11 दिनांक 24.08.11 • विषयान्तर्गत राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर के प्रासांगिक पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार से प्राप्त गाइड लाइन्स के अनुसार (1) धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक संस्थाएं, जिनमें मदरसे और वैदिक पाठशालाएं सम्मिलित है, संविधान के आर्टिकल 29 और 30 से रक्षित है। आर.टी.ई. एक्ट, 2009 इन संस्थाओं के संचालन की निरन्तरता में बाधक नहीं है और (2) एक्ट के अनुच्छेद 2(n) में

परिभाषित विद्यालयों में ये संस्थाएं भी सम्मिलित हैं तथा आर.टी.ई. एक्ट इन पर भी लागू है।

आपके परिक्षेत्र में संचालित ऐसी संस्थाओं हेतु सूचनार्थ पत्र प्रेषित है। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

22. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण पत्र दि. 3.11.2011

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./19926/निःशुल्क/10-11/वो-1/127 दिनांक : 03 नवम्बर, 2011 • **विषय :** निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण करने बाबत्। • जैसा कि आपको विदित है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सम्पूर्ण देश में दिनांक 01 अप्रैल 2010 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य होता है पर लागू होते हैं, चाहे वह विद्यालय अनुदानित अथवा गैर-अनुदानित हो तथा चाहे वह केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हो या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हो अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था से सम्बद्ध हों। उक्त अधिनियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट (www.rajssa.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 38 में राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम की क्रियान्विति हेतु 'राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011' निर्मित कर मार्च 29, 2011 को अधिसूचित किए हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उक्त अधिनियम में विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं जिनकी पालना सुनिश्चित किया जाना समस्त सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के लिए बाध्यकारी है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान निम्नांकित प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है–

– उक्त अधिनियम की धारा 13(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा (shall not collect any capitation fee) और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया (screening procedure) के अधीन नहीं रखेगा।

– 'अनुवीक्षण प्रक्रिया' को उक्त अधिनियम की धारा 2 में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है– 'अनुवीक्षण प्रक्रिया' से किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर अधिमानता में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन की पद्धति अभिप्रेत है।'

"screening procedure" means the method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method."

उक्त अधिनियम की धारा 35(1) के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों हेतु ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने उनके पत्र क्रमांक 1-15/2010-EE-4 दिनांक 23.11.2010 के द्वारा भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं–

(1) With regard to admissions in class I (or re-primary class as the case may be) under section 12(1)(c) of the RTE Act in unaided and "specified category" schools, schools shall follow a system of random selection out of the applications received from children belonging to disadvantaged groups and weaker sections for filling the pre-determined number of seats, in that class, which should not be less than 25% of the strength of the class.

(2) For admission to the remaining 75% of the seats (or a lesser percentage depending upon the number of seats fixed by the school for admission under section 12(1)(c) in respect of unaided schools and specified category schools, and for all the seats in the aided schools, each school should formulate a policy under which admissions are to take place. This policy should include criteria for categorisation of applicants in terms of the objectives of the school on a rational, reasonable and just bases. There shall be no profiling of the child based on parental educational qualifications. The policy should be placed by the school in the public domain, given wide publicity and explicitly stated in the school prospectus. There shall be no testing and interviews for the child/parent falling within or outside the categories, and selection would be on a random basis. Admissions should be made strictly on this basis."

उक्त अधिनियम तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश की स्पष्ट नीति बनाई जानी आवश्यक है जिसमें निम्न प्रावधानों को स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया जावे–

1. अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान के अनुरूप समस्त गैर-सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षण कार्य लागू होता है, कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में, जैसी भी स्थिति हो, दाखिल किये जाने वाले बालकों की कुल संख्या की कम से कम 25 प्रतिशत सीमा तक 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों को प्रवेश देंगे। 'दुर्बल वर्ग' तथा 'असुविधाग्रस्त समूह' को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.21(19)Edu.1/E.E./2009 दिनांक 29 मार्च, 2011 के द्वारा परिभाषित किया गया है। दोनों अधिसूचनाओं की प्रतिलिपि राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. 'दुर्बल वर्ग' और असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों को विद्यालय में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन पत्र गुलाबी (Pink) रंग के होंगे तथा इस श्रेणी (category) के बालक/बालिकाओं से प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्रों को एक पृथक रजिस्टर में क्रमवार दर्ज किया जाएगा। समस्त आवेदन पत्रों की पावती (Receipt) आवश्यक रूप से छात्र/

अभिभावक को निर्धारित प्रपत्र में दी जानी है।

3. 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालक/बालिकाओं हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों हेतु प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्र इस श्रेणी (category) की सीटों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 10 के प्रावधानानुसार लौटरी द्वारा प्रवेश प्रदान किया जायेगा। लौटरी की कार्यवाही शाला प्रबन्धन समिति (एस.एम.सी.) के सदस्य एवं अभिभावकों की उपस्थिति में सम्पन्न की जाएगी। लौटरी निकालने की दिनांक, समय व स्थान का प्रचार-प्रसार पर्याप्त समय पूर्व करना आवश्यक होगा।

4. प्रवेश आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जारी किया जायेगा।

5. विद्यालय में 1 से 8 की कक्षाओं में प्रवेश के लिए किसी भी बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षण को किसी अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। यह सुनिश्चित किया जाना है कि सभी विद्यालयों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रखी जावे तथा उनके द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को आमजन के सूचनार्थ प्रसारित किया जावे।

6. प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय उक्त प्रावधानानुसार अपने विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया तैयार कर दिनांक **30.11.2011 तक मय टाइम-फ्रेम प्रपत्र-13** के अनुसार जारी करेगा।

7. सभी गैर-सरकारी विद्यालय प्रवेश-प्रक्रिया को शाला के बाहर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। यदि उस विद्यालय की वेबसाइट हो तो उस पर भी डालें व अन्य माध्यमों से सार्वजनिक डोमेन में रखेंगे। सभी विद्यालय निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया को उनकी शाला के प्रॉस्पेक्टस में भी सम्मिलित करेंगे।

8. तय की गई प्रवेश प्रक्रिया की एक प्रति प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय द्वारा अपने परिक्षेत्र के नॉडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे। उक्त प्रवेश प्रक्रिया के प्रबोधन (मॉनिटरिंग) के लिए संलग्न प्रपत्रों अनुसार (प्रपत्र संख्या 1 से 13) परिवीक्षण कर गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।

9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम तिथि) को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार सभी गैर सरकारी विद्यालयों को पालना हेतु पाबन्द करें। नॉडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी उनके परिक्षेत्र में स्थित गैर सरकारी विद्यालयों की 14.11.2011 तक बैठक लेकर उन्हें उक्तानुसार जानकारी देकर पालना हेतु निर्देशित करेंगे।

10. नॉडल प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय), ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी उनके क्षेत्र की पंचायत राज संस्थाओं/नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को उक्त बैठक में आमंत्रित करेंगे ताकि पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों के माध्यम से 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालकों का गैर-सरकारी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करवाया जा सके।

11. 'दुर्बल वर्ग' और 'असुविधाग्रस्त समूह' के बालक/बालिकाओं हेतु निर्धारित 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिये गये बालकों की सूचना का निर्धारित प्रपत्र में संकलन करेंगे। नॉडल प्रधानाध्यापक इस सूचना की शालावार संकलित कर ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी को, ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), उप निदेशक (प्रा.शि.) को तथा उप निदेशक (प्रा.शि.) निदेशालय को प्रेषित करेंगे। • ह. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

प्रपत्र-1

.....

(विद्यालय का नाम)

दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु

आवेदन-पत्र

(भाग-अ)

1. प्रवेशार्थी बालक/बालिका का नाम : .....
   (अंग्रेजी भाषा में केपिटल लेटर्स में) : .....
2. जाति ..... धर्म .....
3. प्रवेशार्थी की जन्मतिथि (अंकों में) ..... शब्दों में .....
4. प्रवेशार्थी का वर्ग - दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह .....
5. माता/पिता/संरक्षक सम्बन्धी विवरण

	पिता	माता	संरक्षक
नाम			
योग्यता			
व्यवसाय			
वर्तमान पता			
स्थाई पता			
फोन नं. निवास			
फोन नं. कार्यालय			
मोबाइल नं.			
ई-मेल			

6. संरक्षक की स्थिति में प्रवेशार्थी से सम्बन्ध : .....
7. बीपीएल सूची (राज्य/केन्द्र) में नाम हो तो विवरण : .....
8. विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का विवरण : .....

नोट : जन्म तिथि, जाति, निवास स्थान, वार्षिक आय, बीपीएल सूची, विकलांगता सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(भाग-ब)

माता/पिता/संरक्षक द्वारा सशपथ घोषणा

1. मैं सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि भाग अ में प्रवेशार्थी के सम्बन्ध में दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं सदैव जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय के नियमों/उप नियमों का सदैव पालन करूँगा/करूँगी। अन्यथा विद्यालय प्रबन्धन का निर्णय हमें स्वीकार होगा।

प्रस्तुत करने का दिनांक : .....

हस्ताक्षर
(माता/पिता/संरक्षक)

(भाग-स)

(विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्ति की रसीद)

प्रवेशार्थी का नाम ..... पुत्र/पुत्री श्री .... का आवेदन पत्र रजिस्टर में ..... क्रम संख्या पर दर्ज कर लिया गया है।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर

(संस्था प्रधान/अधिकृत शिक्षक)

प्रपत्र-2 ए

आवेदन-पत्र जारी करने की पंजिका

क्र.सं.	दिनांक	फार्म क्रमांक	नाम छात्र/छात्रा	माता/पिता संरक्षक का नाम	कक्षा जिसके लिए आवेदन पत्र जारी किया गया	माता/पिता का वर्ग	टिप्पणी

प्रपत्र-2 बी

आवेदन पत्र प्राप्त करने की पंजिका

क्र.सं.	आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक	फार्म क्रमांक	नाम छात्र/छात्रा	माता/पिता संरक्षक का नाम	कक्षा जिसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ	माता/पिता का वर्ग	टिप्पणी

प्रपत्र-3

..... शाला .....

छात्र स्कॉलर रजिस्टर (एस.आर. रजिस्टर)

लेख प्रमाण (क) ..... छात्र प्रवेशांक .....

रजिस्टर संख्या .....

प्रवेश दिनांक	छोड़ने का दिनांक	छोड़ने का कारण

छात्र/छात्रा का नाम तथा धर्म	जन्म तारीख (अंकों में व शब्दों में)	इस शाला में प्रथम प्रवेश का दिनांक	माता तथा पिता का नाम व्यवसाय व पता	संरक्षक का नाम व्यवसाय व पता	छात्र/छात्रा का निवास स्थान	पूर्व शाला का नाम जिसमें छात्र/ छात्रा इस शाला में प्रवेश होने से पहले पढ़ा हो	पूर्व विद्यालय को छोड़ते समय उत्तीर्ण हुआ था/ किस कक्षा में प्रवेश किये जाने योग्य था	दुर्बल वर्ग/ असुविधाग्रस्त समूह
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र-4

(विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाने वाला प्रपत्र)

विद्यालय का नाम ..... नोडल केन्द्र का नाम .....

प्रथम/पूर्व प्राथमिक कक्षा प्रवेश फार्म पंजिका

(सत्र .....)

क्र.सं.	एस.आर. नं. व दिनांक	नाम छात्र/छात्रा	माता/पिता/ अभिभावक का नाम	वर्ग (दुर्बल/ असुविधाग्रस्त समूह)	प्रमाणितकर्ता के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर संस्था प्रधान

प्रपत्र-5

नोडल अधिकारी को भेजा जाने वाला प्रपत्र

1. विद्यालय का नाम : .....
2. पूर्व प्राथमिक/प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या : .....
3. सीटों की संख्या का प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का 25 प्रतिशत : .....
4. रिक्त स्थान की स्थिति : .....
5. प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का वर्गवार विवरण कुल प्रवेश कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक असुविधाग्रस्त समूह/दुर्बल समूह : .....

प्रमाणीकरण (संस्था प्रधान द्वारा)

प्रपत्र-6

नोडल द्वारा प्रवेशित बालकों की सूचना ब्लॉक को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

नोडल केन्द्र का नाम :

नोडल केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले निजी विद्यालयों की कुल संख्या (प्रावि/उप्रावि/मावि एवं उमावि)

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा/पूर्व प्राथमिक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1.								
2.								
3.								
4.								
योग								

प्रपत्र-7

ब्लॉक द्वारा प्रवेशित बालकों की सूचना जिशिअ को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

क्र.सं.	नोडल केन्द्र का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1.								
2.								
3.								
4.								
योग								

प्रपत्र-8

जिशिअ द्वारा प्रवेशित बालकों की सूचना मंडल कार्यालय को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

क्र.सं.	ब्लॉक कार्यालय का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1.								
2.								
3.								
4.								
योग								

प्रपत्र-9

मंडल कार्यालय द्वारा प्रवेशित बालकों की सूचना निदेशालय को भिजवाया जाने वाला प्रपत्र

क्र.सं.	जिले का नाम	25 प्रतिशत के अंतर्गत प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या			कक्षा प्रथम के अलावा कक्षा 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या			टिप्पणी
		दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	दुर्बल वर्ग	असुविधाग्रस्त समूह	योग	
1.								
2.								
3.								
4.								
योग								

प्रपत्र-10

आर.टी.ई. प्रावधानान्तर्गत विद्यालय निरीक्षण प्रतिवेदन

1. विद्यालय का नाम : .....
2. निरीक्षण तिथि : .....
3. निरीक्षणकर्ता का नाम व पद : .....
4. विद्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति : .....

क्र.सं.	स्वीकृत पद अध्यापक	कार्यरत	रिक्त	आरटीई मानदण्डानुसार अधिशेष	आरटीई मानदण्डानुसार आवश्यकता
1	2	3	4	5	6

5. निरीक्षण के दिन उपस्थिति

क्र.सं.	नाम	पद	उपस्थिति/अनुपस्थिति/अवकाश
1	2	3	4

6. प्रथम कक्षा/प्री-प्राईमरी के प्रवेश की संख्या (नामांकन उपस्थिति)

कक्षा	निरीक्षण तिथि तक नवीन प्रवेश			आर.टी.ई. के अन्तर्गत प्रविष्ट (25%)			निरीक्षण के दिन आईटीई अन्तर्गत प्रविष्ट छात्रों की								
							उपस्थिति			अनुपस्थिति			अवकाश		
कक्षा	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															

7. विद्यालय में परिवाद पेटिका का संधारण एवं क्रियान्वयन
8. (1) विद्यालय भवन की स्थिति (आरटीई के सम्बन्ध में)
   कमरों की संख्या ..... पर्याप्त/अपर्याप्त
   (2) पेयजल की व्यवस्था
   (3) शौचालय/मूत्रालय की व्यवस्था बालकों के लिए/बालिकाओं के लिए
   (4) विद्युत व्यवस्था
   (5) विद्यालय की चारदीवारी
   (6) कम्प्यूटर की व्यवस्था

9. कक्षा शिक्षण में आरटीई के अन्तर्गत प्रविष्ट बालकों की बैठने की व्यवस्था पर टिप्पणी
10. निरीक्षणकर्ता की समग्र टिप्पणी

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता अधिकारी
मय पदनाम

प्रपत्र-11

आरटीई सम्बन्धी बालकों/माता-पिता की शिकायत निवारण पंजिका

विद्यालय का नाम ..... सत्र .....

क्र.सं.	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत निवारण की दिनांक	एस.एम.सी. अध्यक्ष की टिप्पणी	गत माह तक अनिस्तारित शिकायतों का नोडल अधिकारियों को प्रेषित विवरण मय कारण

प्रपत्र-12

नोडल अधिकारी को आरटीई सम्बन्धी बालकों/माता-पिता की अनिस्तारित शिकायत को भेजने का प्रारूप

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायतकर्ता का विवरण	निस्तारण नहीं होने का कारण	एस.एम.सी. अध्यक्ष की टिप्पणी

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर **एसएमसी अध्यक्ष के हस्ताक्षर**

प्रपत्र-13

(यह टाइम फ्रेम प्रतिवर्ष 31 मार्च से पूर्व जारी करना आवश्यक है।)

गैर सरकारी विद्यालयों में आर.टी.ई. एक्ट प्रावधानानुसार प्रवेश प्रक्रिया का टाइम फ्रेम

विद्यालय का पूरा नाम मय पता ..... ग्राम पंचायत/ वार्ड .....
ब्लॉक का नाम/जिला का नाम .....

1. विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश फार्म वितरण की तिथि : .....
2. विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रवेश फार्म जमा करवाने की तिथि : .....
3. आर.टी.ई. एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत 'दुर्बल वर्ग' एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को 25 प्रतिशत निःशुल्क कैटेगिरी में प्रवेश देने की तिथि : .....
4. आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत प्रवेश पत्र लेने वाले बालकों के लिए लॉटरी निकाले जाने की तिथि : .....
5. शेष 75 प्रतिशत बालकों को प्रवेश देने की तिथि : .....
6. कॉलम 3 और 5 की कैटेगिरी में प्रवेश दिये गये बालकों की सूची जारी करने की तिथि : .....
7. शाला में आरटीई के अन्तर्गत प्रवेशित बालकों की सूची नॉडल प्रधानाध्यापक को भिजवाने की तिथि : .....
   (प्रवेश देने की अंतिम तिथि से 2 सप्ताह)

संस्था प्रधान
.....

23. नवीन पदों के सृजन का आदेश दि. 2.8.2011

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांकः प.21(1)शिक्षा-1/प्राशि/2010 जयपुर, दिनांक 2.8.2011

आदेश

वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या क्रमशः 101102360 दिनांक 22.07.2011 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् के प्रस्तावानुसार निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है–

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	पद
1.	उपनिदेशक	1	प्रधानाचार्य, उच्च माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष
2.	सहायक निदेशक	2	प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय अथवा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के समकक्ष
3.	सहायक परियोजना समन्वयक	33	प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय अथवा व्याख्याता स्कूल शिक्षा के समकक्ष

उक्त सृजित पद प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाएंगे। सृजित पद कार्यक्रम अवधि तक के लिए ही होंगे। प्रतिनियुक्त अधिकारी का पद मूल विभाग में प्रास्थागित रखा जावे। इन पदों का व्यय सर्व शिक्षा अभियान से वहन किया जावेगा। • ह. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) क्रमांक : प.21(1)शिक्षा-1/प्राशि/2010 जयपुर, दिनांक 02.08.2011

24. शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नवीन सृजित पदों के अधिकारियों का कार्य निर्धारण पत्र दि. 13.9.2011

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्
द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांकः राप्राशिप/जय/संस्था/पद सृजन/2011-12/7894 दिनांक 13.9.11 • **विषय** : शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नवीन पद सृजन के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 की वार्षिक कार्य योजना में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राज्य के सभी जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में एक सहायक परियोजना समन्वयक का पद सृजित किया गया है जो कि वित्त विभाग की आईडी संख्या 101102360 दिनांक 22.07.11 के द्वारा सहमति एवं स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के पत्रांक प.21(1)शिक्षा-1/प्राशि/2010 दिनांक 02.08.11 के तहत सृजित पद कार्यक्रम अवधि तक के लिए किया गया है एवं इनका वेतन कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान से देय होगा। नवसृजित सहायक परियोजना समन्वयक शिक्षा के अधिकार के तहत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा एवं जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान के कार्यालय एवं निर्देशन में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निम्नलिखित कार्यों के संदर्भ में जिले से तद्नुरूप समस्त सूचनाओं का संकलन, संधारण एवं प्रगति समीक्षा तथा उपलब्धि अर्जन हेतु समन्वयक का कार्य सम्पन्न करेंगे।

1. आयु अनुरूप बालकों के प्रवेश की मॉनीटरिंग। 2. आयु अनुरूप प्रविष्ट बालकों का विशिष्ट प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग। 3. बालक के आस-पड़ौस में विद्यालय की स्थापना से सम्बन्धित कार्य। 4. निजी संस्थाओं में 25% कमजोर वर्ग/असुविधाग्रस्त बालकों के प्रवेश सम्बन्धी कार्य। 5. निजी विद्यालयों को शुल्क का पुनर्भरण सम्बन्धित कार्य। 6. निजी विद्यालयों को मान्यता देना/मान्यता वापिस लेने सम्बन्धी कार्य। 7. आरटीई सम्बन्धी शिकायतें/आपत्तियाँ/सुझावों का निस्तारण (Grievance Redressel) 8. आरटीई एक्ट सम्बन्धी अन्य कार्य जो जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा निर्देशित किये जावें। • ह. आयुक्त • क्रमांक : राप्राशिप/जय/संस्था/पद सृजन/2011-12/7895 दिनांक 13.9.11

25. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम, 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत निजी विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि : राज्य में शिक्षा के विकास की दृष्टि से निजी शिक्षण संस्थाओं का योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा है। देश की आजादी से पूर्व राजस्थान की अनेक रियासतों में निजी शिक्षण संस्थाएं संचालित थीं तथा निःस्वार्थ सेवा भावना से शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थीं।

राज्य सरकार ने भी निजी संस्थाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए 1989 एवं 1993 में राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 अधिसूचित किये। इनके प्रभाव में आने से राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्तमान में राज्य में लगभग 30 हजार निजी विद्यालय संचालित हैं। ये शिक्षण संस्थाएं मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं–

1. अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाएं– ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित अनुपात में अनुदान दिया गया। वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को राजस्थान ग्राम्य शिक्षा सेवा नियम बनाकर सरकारी सेवा में समायोजित कर लिया जिसके परिणामस्वरूप अब अनुदानित शिक्षण संस्थाओं की संख्या राज्य में नगण्य है।

2. दूसरी प्रकार की संस्थाएं गैर सरकारी संस्थाएं हैं। इस श्रेणी की संस्थाओं को किसी भी प्रकार का राज्य सरकार से अनुदान नहीं दिया गया। इन्होंने अपना विकास स्वयं के आर्थिक स्रोत एवं अध्ययनरत बालकों से प्राप्त होने वाली फीस के माध्यम से किया।

भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को पारित करते समय भी अधिनियम में निजी शिक्षण संस्थाओं के योगदान को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है तथा यह

अपेक्षा की गई है कि राज्य में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाएं अपने सामाजिक दायित्व की दृष्टि से समाज के कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों की शिक्षा में एक निर्धारित सीमा तक अपना योगदान प्रदान करेंगे। इसी के अनुसार राज्य सरकार ने भी अपने नियम राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 अधिसूचित कर दिये हैं जिसके अनुसार राज्य में कोई भी गैर सरकारी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होगा तथा उन्हें कक्षा 1 से प्रारम्भ करते हुए क्रमशः आने वाले वर्षों में कक्षा 8 तक विद्यालय की निर्धारित सीटों के कम से कम 25 प्रतिशत बालकों को सरकार द्वारा अधिसूचित समाज के कमजोर वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देना होगा।

अधिनियम की इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को क्रियान्वित किये जाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2012-13 से इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। ये समस्त अधिसूचना/परिपत्र/दिशा-निर्देश वेबसाईट www.rajssa.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस संदर्भ में निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्तियाँ प्रकाशित की हैं।

उपरोक्त प्रयासों के बावजूद भी कतिपय संस्थाओं द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, फीस के पुनर्भरण आदि के सम्बन्ध में दूरभाष आदि पर जानकारी लेने के प्रयास किये जाते हैं। अतः इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए निजी संस्थाओं के उपयोग के लिए कुछ सामान्य दिशा-निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। ये दिशा-निर्देश मूल अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों के आधार पर संकलित किये गये हैं। यदि इनमें और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश में कोई विसंगति लगे तो मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश/आदेश ही मान्य होंगे।

2. प्रवेश प्रक्रिया : - प्रत्येक निजी विद्यालय को अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 के अनुसार कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा (जैसी भी स्थिति हो) में विद्यालय की सीटों की संख्या का 25 प्रतिशत सीटों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित असुविधाग्रस्त समूह एवं कमजोर वर्ग (Disadvantaged group and Weaker Section) के बालकों को प्रवेश देना होगा। अतः स्पष्ट है कि अब प्रत्येक विद्यालय को कक्षा 1 अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा, जैसी भी स्थिति हो, की सीटों की संख्या निर्धारित करनी होगी जैसा कि अधिनियम 2009 की धारा 12(1) में उल्लेखित किया गया है जो निम्न प्रकार है–

धारा 12(1)(ग) : धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट (Specified) कोई विद्यालय पहली कक्षा में, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की उसकी पूरा होने तक व्यवस्था करेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ धारा 2 के खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहाँ खंड (क) से खंड (ग) के उपबंध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश पर लागू होंगे।

उपर्युक्त धारा के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों में प्रवेश पूर्व प्राथमिक कक्षा से प्रारम्भ हो रहा है वहाँ पर बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षा में ही प्रवेश लेना होगा लेकिन यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि प्रवेश के समय बालक की आयु का निर्धारण पूर्व प्राथमिक कक्षा के स्तर के अनुसार विद्यालय द्वारा किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप– यदि किसी विद्यालय में 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा है तो वहाँ पर 3 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बालक प्रवेश योग्य माने जाएंगे जिससे कि 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक वे बालक वे प्राथमिक कक्षा पूर्ण कर लें तथा कक्षा 1 में प्रवेश के समय उनकी आयु अधिनियम 2009 के अनुसार 6 वर्ष की हो जाए।

- उपर्युक्त वर्णित 25 प्रतिशत सीटों के सम्बन्ध में असुविधाग्रस्त वर्ग और कमजोर वर्ग राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार अधिसूचित किये गये हैं–

(1) असुविधाग्रस्त समूह में निम्न सम्मिलित हैं– (i) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो। (iv) पीडब्लूडी एक्ट 1995 की धारा 2 में परिभाषित निःशक्तजन (Disabled person)

(2) कमजोर वर्ग में निम्न सम्मिलित हैं– (i) वह बालक जिसके माता-पिता राज्य के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची (केन्द्र एवं राज्य सूची) में सम्मिलित हैं। (ii) वह बालक जिसके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

- उपर्युक्त वर्गों के बालकों को प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जायेगा। वर्तमान में व्यवस्था के अनुसार इसके लिए सम्बन्धित तहसीलदार सक्षम अधिकारी है।
- निःशक्तता से सम्बन्धित बालकों के लिए प्रमाण पत्र पीडब्लूडी एक्ट के अन्तर्गत घोषित सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।
- बालक की आयु के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र, राज्य नियम 12 के अनुसार मान्य होगा जिसमें अस्पताल में कार्यरत ए.एन.एम. का रजिस्टर/आँगनबाड़ी का रिकार्ड/माता-पिता अथवा गार्जियन द्वारा की गई घोषणा भी आयु के प्रमाण के रूप में प्रवेश हेतु स्वीकार्य होगी।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर सत्र 2012-13 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश 3.11.2011 को प्रसारित कर दिये हैं। इन निर्देशों के साथ निजी विद्यालयों के उपयोग के लिए आवश्यक परिपत्र भी संलग्न किये गये हैं।
- प्रवेश के लिए विद्यालय द्वारा आवेदन जारी करने की तिथि, आवेदन प्राप्त करने की तिथि एवं लॉटरी निकाले जाने की तिथि पूर्व में ही घोषित की जाएगी।
- प्रवेश के लिए आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं गुलाबी रंग के प्रपत्र में प्राप्त किये जाएंगे तथा इनका अभिलेख एक अलग रजिस्टर में संधारित किया जाएगा।
- इन आवेदन पत्रों का एक अलग रजिस्टर में पंजीयन होगा तथा प्राप्ति रसीद अभिभावक को दी जाएगी।

• विद्यालय परिक्षेत्र– राज्य नियमों के नियम 10 के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय की सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के लिए सम्बन्धित नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पालिका का क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

• यदि विद्यालय परिक्षेत्र से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर निगम/ नगर परिषद/नगर पालिका से प्रवेश लेने वाले बालकों के आवेदन पत्र निर्धारित सीटों से अधिक हैं तो उस गांव/वार्ड के बालकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें वह विद्यालय स्थित है। जैसा कि राज्य नियम 2011 के नियम 10(3) में उल्लेखित हैं–

नियम 10 (3) : धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार किये गये प्रवेशों के प्रयोजनों के लिए आसपास का क्षेत्र या सीमाएं सम्बन्धित ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद/यथास्थिति, नगर निगम, जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है, की भौगोलिक सीमाएं होंगी–

परन्तु यदि किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या से अधिक हो तो वरीयता उस गांव/नगर पालिका वार्ड, जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है, के बालकों को दी जाएगी।

• उपर्युक्त नियम के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यालय को पहले प्राप्त आवेदन पत्रों की छँटनी करनी होगी जिसमें विद्यालय से सम्बन्धित वार्ड के आवेदन पत्रों की अलग से सूची बनाई जाएगी। यदि यह सूची निर्धारित सीटों की संख्या से अधिक है तो लॉटरी इसी सूची के आधार पर निकाली जाएगी और यदि यह सूची निर्धारित सीटों से कम है तो फिर परिक्षेत्र के अन्य वार्ड/गांव के बालकों को भी सम्मिलित करना होगा।

• निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रवेश कार्य पात्र आवेदकों में से लॉटरी के द्वारा सम्पन्न होगा। यह लॉटरी पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा निकाली जाएगी। लॉटरी की तिथि विद्यालय द्वारा पूर्व में घोषित की जाएगी जिससे सम्बन्धित अभिभावकों/बालकों व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को लॉटरी के समय उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो सके।

उपर्युक्त लॉटरी प्रक्रिया को निम्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है–

उदाहरण 1 : एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से सम्बन्धित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से सम्बन्धित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी– (i) विद्यालय की पूर्व प्राथमिक कक्षा में सीटों की संख्या = 40, (ii) अधिनियम 2009 के अनुसार 25% सीटों की संख्या = 10, (iii) ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र = 50, (iv) उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से सम्बन्धित गांव से प्राप्त आवेदन = 30, (v) ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन = 20

उपर्युक्त विवरण के आधार पर लॉटरी के लिए पात्र आवेदन 30 माने जाएंगे तथा लॉटरी द्वारा इन 30 में से ही 10 बालकों का चयन किया जाएगा क्योंकि नियमों में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार विद्यालय से सम्बन्धित गांव के छात्रों को प्राथमिकता देनी है। अतः अन्य गांवों/ढाणियों से प्राप्त 20 आवेदन पत्र लॉटरी के लिए पात्र नहीं हैं।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण 2 : एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से सम्बन्धित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांवों और ढाणियों से सम्बन्धित हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी– (i) विद्यालय की पूर्व प्राथमिक कक्षा में सीटों की संख्या = 60, (ii) अधिनियम 2009 के अनुसार 25% सीटों की संख्या = 15, (iii) ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र = 80, (iv) उपर्युक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से सम्बन्धित गांव से प्राप्त आवेदन = 10, (v) ग्राम पंचायत के अन्य गांव/ढाणी से प्राप्त आवेदन = 70

उपर्युक्त विवरण के आधार पर पहले विद्यालय से सम्बन्धित गांव से प्राप्त समस्त 10 बालकों को निर्धारित सीटों की संख्या 15 के विरुद्ध चयनित किया जाएगा। शेष रही 5 सीटों पर प्रवेश के लिए विद्यालय से सम्बन्धित गांव के अतिरिक्त अन्य गांव/ढाणी के 70 आवेदकों को लॉटरी के योग्य घोषित किया जाएगा तथा इन 70 में से लॉटरी द्वारा 5 सीटों को भरा जाएगा। इस प्रकार 15 सीटों पर 10 छात्र विद्यालय से सम्बन्धित गांव से तथा 5 छात्र शेष ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से चयनित होंगे।

यही उदाहरण शहरी क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण 3 : शहरी क्षेत्र के एक निजी विद्यालय किसी वार्ड में स्थित है। नगर पालिका में कुल 16 वार्ड हैं जिनमें से यह विद्यालय वार्ड नम्बर 7 में स्थित है। विद्यालय में अधिनियम के अनुसार आरक्षित सीटों की संख्या एवं प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है– (i) विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु कुल सीटों की संख्या 80, (ii) अधिनियम के अनुसार 25% आरक्षित सीटों की संख्या 20, (iii) नगर पालिका के समस्त वार्डों से प्राप्त आवेदन पत्र 17

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 20 सीटों के विरुद्ध सम्पूर्ण नगर पालिका परिक्षेत्र से मात्र 17 ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। अतः अन्यथा पात्र पाये जाने पर इन सभी बालकों का प्रवेश विद्यालय में होगा। शेष रही 3 सीटों के लिए पुनः प्रयास करके पारदर्शी तरीके से इन सीटों को भरना होगा। इन्हें भरने के लिए भी उक्तानुसार दी गई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

यही उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर भी समान रूप से लागू होगा।

उदाहरण 4 : बड़ी ग्राम पंचायतें/नगर पालिकाएं/नगर परिषद/ नगर निगम जिनके परिक्षेत्र में एक से अधिक निजी विद्यालय हैं वहाँ पर अभिभावकों को यह विकल्प होगा कि वे चाहे जिस विद्यालय के लिए

आवेदन करें। ऐसी स्थिति में अभिभावक एक से अधिक विद्यालयों में भी आवेदन कर सकेंगे। यहाँ यह भी सम्भव है कि उपर्युक्त उदाहरणों के अनुसार दी गई प्रवेश प्रक्रिया अपनाने से एक बालक का चयन एक से अधिक विद्यालयों में हो जाए। अतः ऐसे विद्यालयों के लिए लॉटरी के दिन आरक्षित सीटों की संख्या के बराबर क्रमानुसार एक आरक्षित सूची भी घोषित करनी होगी जिसका उपयोग भविष्य में रिक्त रही सीटों के लिए पूर्ण पारदर्शी तरीके से विद्यालय द्वारा किया जाएगा।

• लॉटरी निकाले जाने के बाद चयनित बालकों की सूची विद्यालय की वेबसाईट/नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी तथा अभिभावकों को इसकी लिखित सूचना प्रेषित की जाएगी।

• विद्यालय में प्रवेश हेतु शेष 75 प्रतिशत स्थानों के लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी एक तार्किक एवं पारदर्शी नीति घोषित करनी होगी जिसे वह विद्यालय अपनी वेबसाईट/प्रोसपैक्टस/नोटिस बोर्ड पर प्रसारित करेगा।

• विद्यालय में प्रवेश लेने वाले किसी भी बालक अथवा अभिभावक की समीक्षा (स्क्रीनिंग) एवं प्रवेश हेतु कैपिटेशन फीस लेना प्रतिबन्धित किया गया है। कृपया देखें अधिनियम की धारा 13–

(1) कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रहेगा।

(2) कोई विद्यालय या व्यक्ति, यदि उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में– (क) प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(ख) किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए पच्चीस हजार रुपए तक और पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए जो 50 हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

इसी आशय का उल्लेख राज्य नियम 10(5) में भी किया गया है–

(3) कोई विद्यालय या व्यक्ति, बालक को प्रवेश देते समय, कोई भी केपिटेशन फीस संगृहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता/संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग के अध्यधीन नहीं रखेगा।

3. शुल्क का पुनर्भरण : निजी संस्थाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश लेने वाले बालकों की फीस के पुनर्भरण की व्यवस्था राज्य नियम 11 में दी गई है जो निम्न प्रकार है– (1) राज्य सरकार द्वारा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप खण्ड (i) में निर्दिष्ट सभी विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर अपनी स्वयं की निधियों, और केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से उपगत कुल वार्षिक आवर्ती व्यय (Total Annual Expenditure incurred) सभी ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों की कुल संख्या से विभाजित करने पर राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रति-बालक-व्यय होगा।

स्पष्टीकरण : प्रति-बालक-व्यय का अवधारण करने के लिए धारा 2 खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट विद्यालयों और ऐसे विद्यालयों में नामांकित बालकों पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उपगत किया गया व्यय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति (Reimburshment) के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के सम्बन्ध में एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

(3) राज्य द्वारा उपगत प्रति-बालक-व्यय, राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा, प्रत्येक वर्ष संगणित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या सचिव से अनिम्न रैंक का उसका प्रतिनिधि इस समिति का सदस्य होगा। गैर-सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा इस समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। समिति इन नियमों के प्रवर्तन में आने के पश्चात तीन मास के भीतर और तत्पश्चात आगामी शैक्षणिक वर्ष के दौरान व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनों के लिए प्रति-बालक-व्यय के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष मई मास में बैठक करेगी।

(4) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट विद्यालयों में धारा 12 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालकों के सम्बन्ध में फीस की प्रतिपूर्ति के लिए समस्त जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को समिति का विनिश्चय संसूचित करेगा।

(5) प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। अप्रैल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जाएगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जाएगी।

(6) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह (Weaker Section and Disadvantaged group) के बालकों के सम्बन्ध में प्रति-बालक-व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला धारा 2 खण्ड (ढ) उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रैल मास में प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

• पुनर्भरण के प्रस्ताव प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा सम्बन्धित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रस्ताव विद्यालयों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को प्रेषित किये जाएंगे।

• शुल्क के पुनर्भरण के कार्य का जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर बीईईओ से प्राप्त प्रस्तावों एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करने का दायित्व भी जिला शिक्षा

अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा का होगा।

• पुनर्भरण प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी होगी। इसमें संस्था को यह परिवचन देना होगा कि– (1) 25 प्रतिशत की सीमा में किये गये बालकों का प्रवेश कार्य पूर्णतया विभागीय निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से किया गया है। (2) बालकों के माता-पिता एवं अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान किया जाएगा। (3) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की विसंगति अन्यथा बात प्रमाणित होती है। तो शिक्षा विभाग को संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

• उपर्युक्त विवरण के आधार पर शुल्क के पुनर्भरण का पंचांग निम्न प्रकार निर्धारित किया जा सकता है–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
1.	संस्था द्वारा बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) को प्रस्ताव प्रेषित करना	30 अप्रैल तक	30 अगस्त तक
2.	बीईईओ/डीईओ (माध्यमिक) द्वारा परीक्षणोपरांत प्रस्ताव डीईईओ को प्रेषित करना।	31 जुलाई तक	31 दिसम्बर तक
3.	डीईईओ द्वारा समेकित प्रस्ताव निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को भेजना	31 अगस्त तक	31 जनवरी तक
4.	निदेशालय द्वारा बजट आवंटन	30 सितम्बर तक	28 फरवरी तक
5.	संस्थाओं के खाते में राशि स्थानान्तरण	31 अक्टूबर तक	30 जून तक

4. निजी विद्यालयों को मान्यता देना/मान्यता वापिस लेना : – राज्य में अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व निजी शिक्षण संस्थाएं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के अधीन संचालित थी।

• इन नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे।

• अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 लागू होने पर उपर्युक्त नियम 1993 में आवश्यक संशोधन जून 2011 में अधिसूचित किये जा चुके हैं।

• अधिनियम 2009, राज्य नियम 2011 एवं निजी शिक्षण संस्था नियम, 1993 के अनुसार राज्य में अब कोई भी निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित नहीं होगा। यदि पूर्व से कोई विद्यालय बिना मान्यता के चल रहा है तो उसे भी अब मान्यता लेनी होगी।

• प्रतिवर्ष राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए मान्यता का कार्यक्रम प्रसारित करती है। उसी के अनुसार नवीन मान्यता/विद्यालय क्रमोन्नति के लिए आवेदन करना होगा।

• अब विद्यालयों को मान्यता अधिनियम 2009 की अनुसूची में उल्लेखित मान एवं मानकों (Norms and Standerds) के पूरा करने पर ही दी जा सकेगी। इससे स्पष्ट है कि अब मान्यता लिये जाने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण होगा।

• अधिनियम 2009 लागू होने से पूर्व के मान्यता प्राप्त (स्थायी अथवा अस्थायी) विद्यालयों को निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा मान्यता प्रदान करने के लिए अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। स्वघोषणा प्रस्तुत करने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम 2009 की अनुसूची में वर्णित मान एवं मानकों के संदर्भ में स्वघोषणा का परीक्षण करवाया जाएगा।

• जो विद्यालय मान एवं मानकों के आधार पर सही पाये जाएंगे उन्हें इस आशय का पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जाएगा लेकिन जो वर्तमान विद्यालय मान एवं मानकों की पूर्ति नहीं करते हैं उन्हें दिनांक 31.3.2013 तक मान एवं मानक पूर्ण करने का नोटिस दिया जाएगा। ये मान और मानक उन्हें समय पर पूर्ण करने होंगे अन्यथा अधिनियम 2009 के अनुसार शास्ति के पात्र होंगे।

• मान्यता देने एवं मान्यता वापिस लेने की प्रक्रिया राज्य नियम 14 एवं 15 सपठित राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम, 1993 में जारी संशोधन 8ए एवं 8बी के अनुसार होगी।

• जो विद्यालय अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करता पाया जाएगा उस पर अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं में उल्लेखित शास्ति कानूनी प्रक्रिया अपना कर अधिरोपित की जाएगी।

5. विद्यालय संचालन : निजी विद्यालय अपने नियम एवं व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं लेकिन उन्हें अधिनियम 2009 लागू होने से अब निम्न व्यवस्थाएं अपने विद्यालयों में सुनिश्चित करनी होंगी–

(1) भवन व्यवस्था : सभी मौसम के लिए उपयुक्त भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे– (i) प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय - सह भंडार - सह प्रधान अध्यापक कक्ष। (ii) बाधा मुक्त पहुँच (Barrier Free Access)। (iii) लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय। (iv) सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय जल। (v) खेल का मैदान एवं प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर (Equipment) प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। (vi) चार दीवारी या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं। (vii) आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र। (viii) पुस्तकालय : प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।

(2) छात्र-शिक्षक अनुपात : (अ) प्राथमिक कक्षाओं के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात निम्न प्रकार होगा– 60 तक - दो, 61-90 के मध्य - तीन, 91-120 के मध्य - चार, 121-200 के मध्य - पांच, 150 बालकों के ऊपर - पांच धन एक प्रधान अध्यापक, 200 बालकों के ऊपर - छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधान अध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा। (ब) उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापकों की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी– 1. कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक, इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो–

(i) विज्ञान और गणित, (ii) सामाजिक अध्ययन, (iii) भाषा। 2. प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। 3. जहाँ 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया है वहाँ– (i) एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, (ii) अंशकालिक शिक्षण के लिए– (अ) कला शिक्षा, (ब) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, (स) कार्य शिक्षा।

नोट : उपर्युक्त प्रस्तावित भवन और शिक्षकों के मानदण्ड न्यूनतम हैं, निजी विद्यालय अपने आर्थिक स्रोतों के आधार पर इससे अधिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र हैं।

• विद्यालय में पदस्थापित होने वाले शिक्षकों की योग्यता अधिनियम 2009 की धारा 23 एवं राज्य नियम के नियम 16 के अनुसार होगी। जो निम्न प्रकार है– (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित (Laid down) ऐसी न्यूनतम अर्हताएं (Qualifications) हैं, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। (2) जहाँ किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या उसमें प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं (Laid down minimum qualifications) रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं वहाँ केन्द्रीय सरकार, यदि वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं को पाँच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए शिथिल कर सकेगी, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट (Specified) की जाए–

परन्तु ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं (Laid down minimum qualifications) नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसके सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

• राज्य नियम 2011 के नियम 10 के अनुसार आरक्षित सीटों पर प्रविष्ट किये गये छात्र एवं अन्य छात्रों के मध्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। कृपया देखें नियम 10(1) एवं 10(2)– **10(1) :** धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय (reffered school) यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक को न तो कक्षाओं में अन्य बालकों से पृथक किया जाएगा और न ही उनकी कक्षाएं अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं से भिन्न स्थानों और समयों पर आयोजित की जायेगी। **10(2) :** धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय (reffered school) यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 12 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार प्रवेश दिये गये बालक का पाठ्यपुस्तकों, वर्दियों, पुस्तकालय और सूचना, संसूचना और प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सुविधाओं, अतिरिक्त पाठ्यचर्या और खेलकूदों जैसी हकदारियों (Entitlements) और सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी रीति में शेष बालकों से विभेद नहीं किया जाएगा।

• अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्णतया प्रतिबन्धित है। कृपया देखें धारा 17– (1) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। (2) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायी होगा।

• अभिभावकों द्वारा बालकों को अन्य विद्यालयों में पढ़ाने के लिए माँगे जाने वाले स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) के लिए मना नहीं किया जायेगा। उन्हें तत्काल टी.सी. उपलब्ध करानी होगी। इसमें विलम्ब के लिए सी.आर. नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

6. परिवेदना निस्तारण (Grievence Redressal) : • अधिनियम 2009 एवं राज्य नियम 2011 में उल्लेखित व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही नहीं करने पर अथवा दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति इसके लिए दोषी माने जायेंगे। इन परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए राज्य नियमों में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है– 1. अध्यापकों के लिए : इस संदर्भ में कृपया नियम 24(7) का अवलोकन करें जिसके अनुसार प्रत्येक निजी संस्था को अपना स्वयं का तंत्र विकसित करना होगा। यह व्यवस्था संस्था द्वारा पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक की जाएगी। 2. बालकों/माता-पिता के लिए : राज्य सरकार द्वारा परिवेदना निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 23.9.2011 को परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में अधिनियम के अनुसार बालकों को वैधानिक देयता एवं इसके लिए अधिकृत अधिकारी, परिवेदना निस्तारण अधिकारी एवं अपील अधिकारी का पूर्ण उल्लेख है। इसके अनुसार सामान्यतया प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों के लिए परिवेदना ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित परिवेदना सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को प्रस्तुत की जाएगी। इस व्यवस्था को निम्न तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए
1.	परिवेदना प्रस्तुति	बीईईओ	डीईओ (माध्यमिक)
2.	परिवेदना निस्तारण अवधि	विभागीय निर्देश अनुसार	विभागीय निर्देश अनुसार
3.	अपील	डीईईओ	उप निदेशक (माध्यमिक)
4.	अपील निर्धारण अवधि	एक माह	एक माह

• उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार संतुष्ट नहीं होने पर अपील एससीपीसीआर/एनसीपीसीआर को की जा सकेगी।

7. रोड मैप : • मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम से सम्बन्धित प्रावधानों को लागू करने के

लिए निम्न प्रकार समय सीमा निर्धारित की है–

गतिविधि	समय सीमा
(1) पड़ौस में विद्यालय की स्थापना	31 मार्च, 2013
(2) विद्यालयों को इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना	31 मार्च, 2013
- सभी मौसमों वाला विद्यालय भवन	
- प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षाकक्ष	
- प्रधानाध्यापक कक्ष कम कार्यालय कक्ष	
- लाइब्रेरी	
- बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय	
- सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल	
- बाधामुक्त पहुँच	
- खेल मैदान	
- बाउण्ड्रीवाल/फैन्सिंग	
(3) मानदण्डानुसार शिक्षक उपलब्ध कराना	31 मार्च, 2013
(4) अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण	31 मार्च, 2015
(5) गुणवत्ता शिक्षा सम्बन्धी गतिविधि एवं अन्य प्रावधान	तत्काल प्रभाव

• उपर्युक्त रोड मैप की अधिकांश गतिविधियाँ निजी विद्यालयों पर भी लागू हैं अतः उन्हें भी इस समय सीमा में अपने से सम्बन्धित कार्यों को विद्यालय में लागू करना होगा।

राजस्थान सरकार

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग

No. F.21(19)Edu-1/E.E./2009

निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए विशेष सूचना

- राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि अधिकांश निजी शिक्षण संस्थाओं ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार अपनी पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया घोषित कर दी है तथा 25 प्रतिशत सीटों को कमजोर वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिए आरक्षित कर दिया है। ऐसा करने वाली सभी शिक्षण संस्थाएं धन्यवाद की पात्र हैं क्योंकि उन्होंने अपने सामाजिक एवं वैधानिक दायित्व का निर्वहन किया है।
- लेकिन सरकार के ध्यान में यह भी आया है कि कतिपय निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है यद्यपि राज्य सरकार द्वारा सत्र 2012-13 के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं एवं विभागीय अधिकारी निजी शिक्षण संस्थाओं से नियमित सम्पर्क कर रहे हैं।
- उक्त अधिनियम में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में किए गए प्रावधानों की पालना न करना संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है तथा यह एक दण्डनीय अपराध है।
- समस्त निजी शिक्षण संस्थाओं को आगाह किया जाता है कि यदि प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशों की पूर्णरूपेण पालना तुरन्त नहीं की जाती है तो राज्य सरकार को संस्था के विरुद्ध मजबूरन कार्यवाही करनी पड़ेगी जिसका दायित्व स्वयं संस्था का ही होगा।

प्रमुख शासन सचिव
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

माह : जनवरी, 2012 — **प्रसारण समय : दोपहर 2.10 से 2.30 तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ का नाम
2.01.2012	सोमवार	उदयपुर	9	परीक्षामाला	अंग्रेजी
3.01.2012	मंगलवार	बीकानेर	9	परीक्षामाला	संस्कृत
4.01.2012	बुधवार	जयपुर	9	परीक्षामाला	विज्ञान
6.01.2012	शुक्रवार	जोधपुर	9	परीक्षामाला	गणित
7.01.2012	शनिवार	उदयपुर	9	परीक्षामाला	राजस्थान अध्ययन
9.01.2012	सोमवार	बीकानेर	11	परीक्षामाला	हिन्दी अनिवार्य
10.01.2012	मंगलवार	जयपुर	11	परीक्षामाला	अंग्रेजी अनिवार्य
11.01.2012	बुधवार	जोधपुर	11	परीक्षामाला	अर्थशास्त्र
12.01.2012	गुरुवार	बीकानेर	11	गैरपाठ्यक्रम	स्वामी विवेकानन्द जयन्ती राष्ट्रीय युवा दिवस
13.01.2012	शुक्रवार	उदयपुर	11	परीक्षामाला	राजनीति शास्त्र
14.01.2012	शनिवार	उदयपुर	11	गैरपाठ्यक्रम	मकर संक्रान्ति
16.01.2012	सोमवार	बीकानेर	11	परीक्षामाला	अंग्रेजी साहित्य
17.01.2012	मंगलवार	जयपुर	11	परीक्षामाला	इतिहास
18.01.2012	बुधवार	जोधपुर	11	परीक्षामाला	भूगोल
19.01.2012	गुरुवार	उदयपुर	11	परीक्षामाला	लेखाशास्त्र
20.01.2012	शुक्रवार	बीकानेर	11	परीक्षामाला	व्यवसाय अध्ययन
21.01.2012	शनिवार	जयपुर	11	परीक्षामाला	भौतिक विज्ञान
23.01.2012	सोमवार	बीकानेर	11	गैरपाठ्यक्रम	सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस
24.01.2012	मंगलवार	जोधपुर	11	परीक्षामाला	रसायन विज्ञान
25.01.2012	बुधवार	उदयपुर	11	परीक्षामाला	गणित
27.01.2012	शुक्रवार	बीकानेर	11	परीक्षामाला	कृषि विज्ञान
28.01.2012	शनिवार	जयपुर	11	गैरपाठ्यक्रम	बसंत पंचमी एवं सरस्वती जयन्ती
30.01.2012	सोमवार	जयपुर	11	परीक्षामाला	चित्रकला
31.01.2012	मंगलवार	जोधपुर	11	परीक्षामाला	हिन्दी साहित्य

• ह. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

विद्यालय की पाती बच्चों के नाम

❑ भवानी शंकर व्यास

श्री भवानीशंकर व्यास शिविरा के वरिष्ठ सम्पादक रहे हैं। आप आदर्श अध्यापक, कुशल अधिकारी, राष्ट्रीय ख्याति के कवि, लेखक, समीक्षक तथा संयोजक-संचालक हैं। दर्जनों पुस्तकों के लेखक श्री व्यास को यशस्वी पुरस्कारों से नवाजा गया है। आप केन्द्रीय साहित्य अकादमी की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आपका सामाजिक सरोकार गजब का है। विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के साथ ही उसकी सफलता को भी सुनिश्चित करती है।

शिक्षा के भी अपने पाँच सूत्र हैं। वह सहज हो, आनन्ददायी हो, गुणवत्ता वाली हो, प्राथमिक स्तर तक सभी बच्चों को निःशुल्क प्राप्त हो तथा बालक को हमेशा केन्द्र में रखकर चलने वाली हो। नेहरू युग के पंचशील की तरह ये सभी बिन्दु शिक्षा के पंचशील हैं। आँकड़ों की शोभायात्राएँ निकालते तो साठ वर्ष से ऊपर बीत गये। अब समय है यथार्थ के कठोर धरातल पर चलने व राष्ट्र को दिए गए आश्वासन को पूरा करने का। यह आश्वासन क्या है? यही कि छह से चौदह वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें जाति, वर्ग, लिंग, आर्थिक स्थिति तथा शहरी-ग्रामीण क्षेत्र को लेकर कोई भेदभाव नहीं होगा। पढ़ाई तो होगी पर पिटाई नहीं होगी। यानी बालक के व्यक्तित्व को पूरा सम्मान दिया जाएगा। उसकी जिज्ञासा, उसकी प्रश्नाकूलता और उसके रोमांच को बरकरार रखा जाएगा। जो काम पहले सिद्धान्तों के रूप में बघारा गया था, अब वह व्यावहारिक रूप लेगा। आज बालक शिक्षा के केन्द्र में तो है ही, केन्द्र और राज्य सरकारों के सोच के केन्द्र में भी है। देश में पहली बार एक ऐसा कानून सामने आया है जो सभी बालक-बालिकाओं को यह अधिकार देता है कि वे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। यानि शिक्षा अब खैरात न होकर वैसा ही अधिकार है जैसे संविधान में वर्णित अन्य मूल अधिकार हुआ करते हैं। नारों, आश्वासनों व घोषणाओं का स्थान अब सोच, संकल्प और सही दिशा में संधान ने ले लिया है।

बाल्यकाल : एक मूल्यवान थाती– आगे बढ़ने से पहले बाल्यकाल के महत्व को दर्शाने वाले दो मनीषियों के विचारों पर ध्यान दें तो समीचीन रहेगा। उनमें से एक हैं वैज्ञानिक आइन्स्टीन और दूसरे हैं शिक्षाशास्त्री गिजुभाई। आइन्स्टीन के अनुसार 'जब तक दुनिया का एक भी बालक दुःखी है, वंचित है तब तक कोई भी खोज महान नहीं है और कोई भी प्रगति महत्व की नहीं है।' उधर गिजुभाई का मानना है कि 'हम यदि बालक रूपी वसन्त को न समझ सके, उसके पराग को न सूँघ सके, उसके गान को न सुन सके तो हम बालक के पीछे खड़ी समूची जनता को थोड़े ही समय में अंधकार की ओर ले जाएँगे और गहरी खाईं में धकेल देंगे।' समय के पटल पर लिखी गई ये दो ऐसी इबारतें हैं जो जीवन को सार्थक और गतिशील बना सकती है। खुशी इस बात की है कि आज केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इसी दिशा में सोच रही हैं।

सही वातावरण मिले तो गरीब से गरीब घर का बच्चा भी आगे जाकर होनहार व प्रतिभावान बन सकता है। प्रतिभा किसी की बपौती नहीं है। धन, धर्म, बाहुबल या राज्य सत्ता के आधार पर कोई व्यक्ति प्रतिभावान बन ही जाए यह कतई जरूरी नहीं है। प्रतिभा चाँदी की प्लेट में रखकर किसी को सौंपी नहीं जाती, उसे तो अर्जित करना पड़ता है। आज देश में शिक्षा के उत्साह का या यों कहें शिक्षा में क्रान्ति का जो वातावरण बना है वह करोड़ों बच्चों को अवसर देने वाला है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा का सम्बन्ध है अब झोपड़ी और अट्टालिका के बीच कोई भेद नहीं। जो अक्सर पहले धनाढ्य लोग हड़प लेते थे। वे आज गरीब से गरीब बच्चे को भी प्राप्त है। इस बच्चे की हिमायत में आज जो आगे आये हैं या इसके लिए जो प्रतिबद्ध हैं उनमें शिक्षण संस्थाएँ भी हैं और शिक्षक भी, अभिभावक भी हैं और समाज भी, शिक्षाशास्त्री भी हैं और सरकारें भी। बच्चे में जिज्ञासा जगे, इसके लिए सभी प्रयत्नशील हैं। छह से चौदह वर्ष की आयु तक निर्बाध शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निष्कंटक शिक्षा, तभी तो शिक्षा की यह 'रथयात्रा' पूरी हो पाएगी। तभी हम जान सकेंगे कि शिक्षा का वास मुक्ति में है, बंधन में नहीं, आनन्द में है, बोझिलता में नहीं, सतत् प्रवाह में है, ठहराव में नहीं। शिक्षा नसीहत में नहीं लगाव में है और लगाव बचपन में ही पैदा किया जा सकता है।

गम्भीर प्रयासों की एक झलक– भारत सरकार ने 27 अगस्त, 2009 को तथा राजस्थान सरकार ने (पूरी रूपरेखा, प्रक्रियाएँ और संसाधनों का विवरण देते हुए) 29 मार्च 2011 को जो अधिसूचनाएँ जारी की, उनमें बच्चे के इस अधिकार को मान्यता दी गई है कि वह निःशुल्क, निर्बाध व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे। इससे लगभग एक करोड़ ऐसे बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो इस समय स्कूलों से बाहर हैं। केन्द्र सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्यों को इस वर्ष 25 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं। यह तो शुरुआत है। राशियाँ साल-दर-साल बढ़ती

चली जाएँगी। पूरा अनुमान एक सौ इकहत्तर लाख करोड़ रुपयों का है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की मनसा सही दिशा में है। टोटा संसाधनों का नहीं, इच्छा शक्ति का है और इच्छाशक्ति जो एक बार जाग जाए तो देश की शिक्षा-व्यवस्था का कायाकल्प हो सकता है। गम्भीरता और संकल्पबद्धता के साथ शिक्षा देने के इन प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए।

विद्यालय की पाती बच्चों के नाम– अब किसी बच्चे को जबरदस्ती विद्यालय में धकेलने की जरूरत नहीं, विद्यालय तो चलाकर खुद बुला रहे हैं। घर जैसा वातावरण यदि विद्यालय में मिले तो भला किसका मन नहीं हुलसेगा ? ऐसा लगता है कि विद्यालय मानों हर बच्चे से कह रहा है **'तू आ, देहरी पर कुंकुम के चरण धरते हुए आ, आँगन की किलकारियों से स्कूल के प्रांगण को सजाते हुए आ। अपनी मुस्कानें लिए आ। अपनी ताजगी लिए आ। अपनी मासूमियत लिए आ। नन्हें कुसुम ! अपनी सुगन्ध को फैलाते हुए आ।'** विद्यालय समाज से भी कुछ कहना चाहता है–

'बचपन खिड़कियाँ खोलना चाहता है। शब्दों के हाथ थाम कर सरपट भागना चाहता है। अंकों में रमना चाहता है। फिर आप उसे इन सबसे वंचित क्यों करना चाहते हो? सुनो ! पाटी कुछ कह रही है। सुनो ! स्कूल की घण्टी कुछ इशारा कर रही है। सुनो ! पोथी बच्चों से बतियाना चाहती है तो फिर देर किस बात की। लाओ अपने बच्चे को स्कूल में। स्कूल अगवानी करने को तैयार है।'

अधिकारों के आईने में– प्राथमिक शिक्षा (छह से चौदह वर्ष तक की शिक्षा) सर्वथा निःशुल्क होगी। शिक्षण मुफ्त, पाठ्यपुस्तकें मुफ्त सहायक सामग्री मुफ्त और विशेष मामलों में शिक्षण व्यवस्था भी मुफ्त। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तो होगी ही, स्कूलों तक पहुँचना भी कठिन नहीं रहेगा। बच्चा यदि पहली से पाँचवीं कक्षा तक का है तो विद्यालय घर से एक किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होगा यानी हँसते-खेलते पाँच-दस मिनटों में पहुँचा जा सकता है। कक्षा छह से आठ तक की अवधि (11 से 14 वर्ष की आयु) के लिए भी दूरी दो किलोमीटर तक की ही होगी। जब पाँचवीं तक के विद्यालय क्रमोन्नत हो जाएँगे तो दूरी भी पहले की तरह एक किलोमीटर तक ही रह जाएँगी। रेगिस्तानी पहाड़ी और दुर्गम स्थान हो और बस्ती में 150 व्यक्ति ही रह रहे हों तो बीस बच्चों के लिए भी विद्यालय उपलब्ध रहेगा। यह व्यवस्था पहली से पाँचवीं के बच्चों के लिए है। छठी से आठवीं के बच्चों के लिए भी सुविधाजनक रूप से विद्यालय खुल सकेंगे। जाहिर है कि इस अधिनियम की परिपूर्ति के लिए जो भी सुविधाएँ, जो भी संसाधन और जितने-कितने भी शिक्षक जरूरी हों, वे सब मुहैया करवाए जाएँगे। अब कमी किस बात की है। बच्चे आएँ, स्कूल चलें, शिक्षक मन लगाकर आत्मीयता से पढ़ाएँ तो सन् 2018 या अधिक से अधिक 2020 से पहले-पहले देश के सभी बच्चे (जो आज पहली कक्षा में है) आठवीं तक की अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ले पाएँगे।

सरकार व समाज की जुगलबन्दी– यह पहली बार है जबकि सरकार अपने साथ-साथ समाज को भी गम्भीरता से जोड़ने में लगी है ताकि शिक्षा एक संयुक्त अभियान बन सके। अव्वल तो माता-पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे विद्यालयों में प्रवेश लें तथा नियमित रूप से उपस्थित रहें। फिर अभिभावकों को जोड़ने के लिए दो प्रकार की प्रबन्ध समितियाँ भी होंगी। पहली का स्वरूप साधारण सभा जैसा होगा यानी उसमें प्रत्येक बालक के माता, पिता या अभिभावक, स्कूल के सारे अध्यापक, वार्ड के प्रतिनिधि तथा अन्य निर्वाचित व्यक्ति सदस्य होंगे। सभी बच्चों का नामांकन, निःशक्त बालकों की पहचान, दोपहर भोजन के क्रियान्वयन की देखरेख और बच्चों के अधिकारों के हनन या उनके उत्पीड़न की रोकथाम आदि महत्वपूर्ण विषय इस समिति के क्षेत्राधिकार में होंगे। दूसरी कार्यकारी समिति तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पन्द्रह सदस्यों में से ग्यारह को तो अभिभावकों में से ही लेने का प्रावधान है जबकि प्रधानाध्यापक, अध्यापकों का एक प्रतिनिधि, एक वार्ड सदस्य व एक शिक्षाविद् या छात्र प्रतिनिधि मिलाकर इस अधिकार प्राप्त समिति की संरचना होनी है। शर्त यह है कि पंद्रह में से कम से कम पचास प्रतिशत (सात या आठ) महिलाएँ हों। विकास योजना बनाने, प्रतिवर्ष नामांकन का प्राक्कलन करने, अतिरिक्त अध्यापकों के लिए आवश्यकतानुसार माँगपत्र तैयार करने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों व सहायक सामग्री के वितरण की देखरेख करने जैसे अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार इस समिति के पास हैं। जैसे ऊपर लिखा जा चुका है यह समाज और सरकार की एक ऐसी जुगलबन्दी है जिसमें संगीत के सुरों की तरह शिक्षा के सभी सुरों को साधा जा सकेगा।

मनमानी पर रोक– शिक्षा को व्यवसाय बनाने वाले अनेक ऐसे अनुदान प्राप्त या गैर अनुदानित निजी विद्यालय हैं जो सरकार से अनुदान के रूप में या फिर मुफ्त अथवा अत्यन्त कम कीमत पर भूमि प्राप्त करते रहे हैं। बच्चों से मनमाना शुल्क वसूलते हैं, प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर बच्चों में हीनभाव भरते हैं या दान व केपिटेशन के रूप में खूब अर्थोपार्जन करते हैं, अब उनकी मनमानी चलने की नहीं है। यदि अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं तो बच्चों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत प्रवेश कमजोर और निम्नवर्ग के बच्चों को देने के लिए बाध्य है। ऐसा न होने पर मान्यता रद्द व दण्ड के अतिरिक्त विधान का सामना करना होगा। जो नितान्त निजी खर्च से चलने वाले विद्यालय हैं, उन्हें भी 25 प्रतिशत प्रवेश तो निम्नवर्ग के बच्चों को देना ही होगा। हाँ राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन या पंचायत समितियाँ आदि उस खर्च का पुनर्भरण करेंगी ताकि कोई भी बालक कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करे।

गंगोत्री को तो पवित्र रहना ही होगा– गंगा यदि मैदानों में आकर प्रदूषित होती है तो उस प्रदूषण को तो दूर किया जा सकता है पर यदि गंगोत्री ही प्रदूषित हो जाए तो फिर कोई चारा नहीं है। इससे शिक्षा की इस गंगोत्री यानी अध्यापकों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि उन्हें गंगा की इस यात्रा को गंगोत्री से गंगासागर तक निर्बाध रूप से पूरा करवाना है। 'अध्यापक का संवेदनशील होना आवश्यक है। गिजुभाई ने एक जगह लिखा है– 'बालक कई प्रकार के होते हैं। अपंग, लूले-लंगड़े, मंद-बुद्धि, काले-कुरूप और अत्यन्त गरीब पर शिक्षक का मन जब तक उनके लिए नहीं पसीजे, सारी शिक्षा यात्रा अधूरी रह जाएगी। ऐसे किसी बालक के साथ भेदभाव न हो, न उसे अन्य बालकों से पृथक किया जाए, न उनके लिए आयोजित कक्षाएँ अन्य बालकों के लिए आयोजित कक्षाओं

से भिन्न स्थान या समय पर लगाई जाएँ और न उनमें उनकी कमजोरी को लेकर हीन भाव भरे जाएँ। शिक्षा के अधिकारों की अधिसूचना में ये सभी बातें विस्तार से सम्मिलित की गई हैं और इन्हें पूरा करने के लिए अध्यापक बाध्य हैं।

प्रवेश व स्थानान्तरण की सुगमता– विद्यालय बालक की आयु को लेकर अनेक अड़ंगे लगाते हैं। जब बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है तो फिर दृष्टि को तो उदार बनाना ही होगा। यदि जन्म प्रमाण पत्र हो तो ठीक अन्यथा आँगनबाड़ी के अभिलेख और यहाँ तक कि माता-पिता की घोषणा को मान्यता दी जाएगी ताकि व्यर्थ के अवरोध बालक की गति को नहीं रोक सकें। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अधिनियम की अधिसूचना (संख्या 35/2009) के अनुसार बालक ने यदि छह वर्ष की आयु के बाद प्रवेश लिया है या स्कूल को बीच में छोड़ दिया है तो उसे उसकी वर्तमान आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा अर्थात् आयु यदि 8 वर्ष की है तो कक्षा तीन में तथा 9 की है तो कक्षा 4 में प्रवेश मिलेगा।

जरूरत हो तो ऐसे बालक 14 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर सकेंगे। बालक के एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है। कोई भी विद्यालय अन्य विद्यालय से आये बालक को प्रवेश से नहीं रोक सकेगा। स्थानान्तरण की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र देना आवश्यक है। विलम्बकर्ता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही तो होनी ही है पर स्थानान्तरण प्रपत्र विलम्ब से प्राप्त हो तो भी प्रवेश देना आवश्यक है।

अन्य विशेषताएँ– (i) परीक्षाएँ होंगी पर किसी भी बालक को अनुत्तीर्ण करके रोका नहीं जा सकेगा। जरूरत पड़े तो उसके स्तर को सुधारने के लिए अतिरिक्त कक्षाएँ लगाई जाएँ ताकि वह अन्य बालकों की बराबरी में आ सके। (ii) अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जो अध्यापक वर्तमान में अर्हताएँ पूरी नहीं करता हो उसे तीन वर्ष का समय दिया जाएगा। (iii) बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय चल नहीं पाएगा। (iv) किसी भी बालक को किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। (v) नई स्कूल खोलने या स्तरोन्नयन करने के लिए विभागीय शर्तों के अनुसार मान्यता लेनी होगी। जो विद्यालय मानकों को पूरा नहीं करता हो, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। भारी जुर्माने की व्यवस्था भी की गई है।

मोतियों से महँगा अनुभव– अध्यापकों के लिए जो बात डेरिक इंसाक ने कही, वह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पीढ़ी को सँवारने का सुख मोतियों से भी महँगा होता है। दुनिया की कोई भी प्रणाली अध्यापक व छात्र के बीच के जीवन्त सम्बन्धों की बराबरी नहीं कर सकती। ध्यान रहे अंधकार चाहे कितना ही विराट क्यों न हो एक दीपक उससे डरता नहीं। यही स्थिति एक सच्चे, अच्छे और जीवट वाले शिक्षक की है। समाज जब शिक्षक पर भरोसा करके चल रहा है तो शिक्षक को भी उस भरोसे पर खरा उतरना होगा।

1-स-9, पवनपुरी, बीकानेर

बापू की सीख-8

अस्तेय

❑ मो. क. गाँधी

अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। चोर का सत्य को जानना या प्रेम-धर्म का पालन संभव नहीं है, तथापि हम सब थोड़ा-बहुत चोरी का दोष जाने-अनजाने करते हैं। दूसरे की चीज को उसकी आज्ञा के बिना लेना तो चोरी है ही; पर मनुष्य अपनी मानी जाने वाली चीज की भी चोरी करता है। जैसे, एक बाप अपने बच्चों जनाए बिना, उससे छिपाने की नीयत रखकर गुपचुप कोई चीज खा ले। आश्रम का भंडार हम सभी का कहलाएगा; पर उसमें से चुपके से गुड़ की एक डली भी लेने वाला चोर है। दूसरे लड़के की कलम लेने वाला लड़का भी चोरी करता है। सामने वाला जानता हो तो भी, कोई चीज उसकी आज्ञा के बिना लेना चोरी है। लावारिस समझकर कोई चीज लेने में भी चोरी है। पड़ुआ (राह में पड़ी) चीज के मालिक हम नहीं हैं, बल्कि उस प्रदेश का राज या वहाँ की सरकार है। आश्रम के नजदीक मिली हुई कोई भी चीज आश्रम के मंत्री को सौंपनी चाहिए। आश्रम की न होने पर मंत्री उसे पुलिस के हवाले करेगा।

यहाँ तक समझना तो अपेक्षाकृत सरल है; पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीज की जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकार में वह है उससे, चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी होगी। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिए। ऐसी चोरी संसार में ज्यादा-से-ज्यादा खाने की चीजों के सम्बन्ध में होती है। मुझे अमुक फल की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उसे खाता हूँ या जरूरत से ज्यादा खाता हूँ, तो यह चोरी है। वस्तुतः अपनी आवश्यकता की मात्रा को मनुष्य हमेशा जानता नहीं है और प्रायः हम सब, अपनी जरूरतों को आवश्यकता से अधिक बताते और इससे अनजाने चोर बन जाते हैं। विचारने पर मालूम होगा कि हम अपनी बहुतेरी जरूरतों को घटा सकते हैं। अस्तेय व्रत पालन करने वाला उत्तरोत्तर अपनी आवश्यकताएँ कम करता जाएगा। इस संसार में अधिकतर दरिद्रता अस्तेय के भंग से पैदा हुई है।

ऊपर बताई गई सब चोरियों को बाह्य अथवा शारीरिक चोरी समझना चाहिए। इससे सूक्ष्म और आत्मा को नीचे गिराने या रखने वाली चोरी मानसिक है। मन से हमारा किसी की चीज पाने की इच्छा करना या उस पर झूठी नजर डालना चोरी है। सयाने या बच्चे का, किसी अच्छी चीज को देखकर ललचाना मानसिक चोरी है। उपवासी व्यक्ति शरीर से तो नहीं खाता, पर दूसरों को खाते देखकर यदि वह मन से स्वाद लेता है तो चोरी करता है और अपना उपवास भंग करता है। जो उपवासी मन में उपवास के बदले भोजन के मनसूबे करता रहता है, उसके लिए कहेंगे कि वह अस्तेय और उपवास का भंग करता है। अस्तेय व्रत का पालनकर्त्ता भविष्य में मिलने वाली चीजों के चक्कर में नहीं पड़ता। अनेक चोरियों के मूल में यह लालची इच्छा पाई जाएगी। आज जो वस्तु केवल विचार में होती है, कल उसे पाने को हम भले-बुरे तरीके काम में लाते हैं।

वस्तु की भाँति ही विचारों की चोरी भी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझता, पर अहंकार पूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचार की चोरी करना है। संसार के इतिहास में ऐसी चोरी अनेक विद्वानों ने भी की और आज कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैंने आंध्र में नए ढंग का एक चरखा देखा, वैसा चरखा मैं आश्रम में बनाऊँ और फिर कहूँ कि यह तो मेरा आविष्कार है। तो इसमें मैं स्पष्ट रूप से दूसरे के आविष्कार की चोरी करता हूँ और इसमें असत्य का आसरा तो लेता ही हूँ। अतः अस्तेय व्रत का पालन करने वाले को बहुत नम्र, बहुत विचारशील, बहुत सावधान और बड़ी सादगी से रहने की जरूरत पड़ती है।

'मंगल-प्रभात' से

शिक्षा का अधिकार

भाषा, साहित्य और संस्कृति का शिक्षा में महत्त्व

□ श्याम महर्षि

श्री श्याम महर्षि का नाम साहित्यसृजकों की उज्ज्वल परम्परा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आप वर्षों प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी रहे लेकिन समान्तर आपका मन साहित्य में रमा रहा और अब सेवानिवृत्ति के उपरांत भाषा साहित्य व संस्कृति के उत्थान के लिए संलग्न हैं। आप राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रचार समिति, श्री डूँगरगढ़ के संस्थापक हैं। दर्जनों प्रकाशनों के आप लेखक/सम्पादक रहे हैं। आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं। आप राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर के अध्यक्ष हैं।

शिक्षा में मातृभाषा का उतना ही महत्व है, जितना किसी व्यक्ति के जीवन में संस्कृति का। महात्मा गाँधी ने 1928 में गुजरात में भाषण देते हुए कहा था, "हम इस (अंग्रेजी) भाषा का काम चलाऊ ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभाषा की उपेक्षा नहीं कर सकते। वह तो राष्ट्रीय आत्महत्या होगी। अगर हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई मातृभाषा के बजाय अन्य किसी भाषा के माध्यम से करते हैं तो वह सच्ची शिक्षा न होकर केवल रटन्त विद्या होगी।"

यूनेस्को ने इस सदी के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में एक नया बिन्दु जोड़ा है सहजीवन। क्या अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा के माध्यम की शिक्षा में सहजीवन संभव है। सहजीवन के लिए आवश्यक है दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना। मातृभाषाविहीन शैक्षणिक संस्था में पढ़ने वाले बच्चों को क्या सहज संस्कार मिल सकेंगे ? शिक्षा में निजीकरण रफ्तार से होता जा रहा है तथा वह एक उद्योग का रूप लेता जा रहा है, जो शिक्षा के लिए शुभ संकेत नहीं है। विनोबा भावे ने कहा था कि शिक्षा को सार्वजनीन बनाना हो तो उसका माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए, अन्यथा समाज में भेदभाव की दीवार खड़ी हो जाएगी। महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन ने स्पष्ट कहा है कि अपनी मातृभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का अधिकार हमारा वैसा ही जन्मसिद्ध अधिकार है, जैसा राजनीति स्वतंत्रता का। सामान्यतः बच्चा अगर अपनी मातृभाषा के अलावा किसी भी भाषा के माध्यम से पढ़ता है तो उसे दूसरी भाषा में पढ़ने का बोझ ढोना पड़ेगा और बहुत सारी बातें, जो उसकी मातृभाषा और संस्कृति से सम्बन्ध नहीं रखती, उन्हें सीखने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो उसके बालक मन को भीतर तक तो कतई नहीं छू सकेगी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 की अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि माध्यमिक विद्यालय स्तर तक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय शिक्षा आयोग 1986 में स्पष्ट मत प्रकट किया गया है कि संस्कृति और शिक्षा के विकास के लिए भारतीय भाषाओं तथा साहित्य को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बुद्धिजीवी वर्ग तथा सामान्य समाज में खाई बढ़ेगी। प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ अब विश्वविद्यालय स्तर तक भी शिक्षा मातृभाषाओं में दी जाए। राष्ट्रीय एकता कमेटी (1961) ने कहा है कि संविधान की धारा 350ए के अन्तर्गत राज्यों को प्रयास करना होगा कि प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बच्चे को अगर प्रारम्भिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जावे तो उसका सर्वांगीण विकास तेज गति से होगा। अपवाद को छोड़कर दुनिया के सभी बड़े देशों में प्राथमिक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में ही दी जाती है। करीबन 20 वर्ष पूर्व दिल्ली की राजस्थान परिवार नाम की संस्था द्वारा मेरा सम्मान हो रहा था। राजस्थान के वरिष्ठ नेता पंडित नवल किशोर शर्मा मुख्य अतिथि थे। साहित्यकार श्री अशोक चक्रधर समारोह का संयोजन कर रहे थे। सभा भवन प्रवासी राजस्थानियों से खचाखच भरा था। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी अपनी मातृभाषा और मातृभूमि दोनों से विमुख होते जा रहे हैं। आपकी मातृभाषा नहीं रहेगी तो आपकी संस्कृति नहीं बचेगी और संस्कृति नहीं रहेगी तो आपकी पहचान और अस्तित्व नहीं रहेगा। आजकल संस्कृति का अर्थ नाच, गान, संगीत और मनोरंजन होकर रह गया है, जबकि संस्कृति का अर्थ है हमारे जीवन में समाहित होता पूरा परिवेश, आदर्श परम्परा एवं लोकभाव है, जिसमें हमारा रहन-सहन, वेशभूषा, स्वादिष्ट भोजन, अतिथि सत्कार, मेले, नृत्य, संगीत, लोकगीत, त्यौहार, स्थापत्य कला, चित्र शैलियाँ, आखेट आदि सम्मिलित हैं। यदि हमारे जीवन से उपर्युक्त विशेषताएं न रहीं तो हमारा जीवन नीरस और सारहीन हो जाएगा। संस्कृति की परम्परा उस क्षेत्र की जलवायु, उसका जीवन दर्शन और जीवन पद्धति के मूल में बसती है। राजस्थान को हम अलग भू-भाग मानकर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र पर जलवायु तथा भूगोल का जितना प्रभाव रहा है, उतना अन्य किसी का नहीं। जैसे गर्मियों में काली-पीली आँधियाँ, भीषण गर्मी, सर्दियों में कड़ाके की सर्दी। राजस्थान का अधिकांश भू-भाग रेगिस्तान है। फलस्वरूप यहाँ की कठोर जलवायु ने यहाँ के लोगों में विपरीत परिस्थिति में भी सहज जीवन जीने की क्षमता प्रदान की है। जल और वृक्षों की बाहुल्यता न होते हुए भी अपने जीवन को विभिन्न रंगों में ढालकर सरस जिन्दगी जीना सीखा यहाँ के लोगों ने।

संस्कृति किसी उपादान से नहीं बनती बल्कि सबके द्वारा किए गए योगदान से प्रतिफलित होती है। समाज की प्रत्येक इकाई मिलकर संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करती है। इस संदर्भ में हमारी लोक परम्परा को महत्ता दी जाती है। शताब्दियों हमारे देश पर विभिन्न धर्मों, जातियों के लोगों के होने वाले अत्याचार के बावजूद हमारी संस्कृति आज भी जीवित है, जबकि दुनियाँ के अनेक देशों में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति लुप्त हो गई। लार्ड मेकाले जब भारत आया तो उसने देखा कि इस देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, परन्तु ये भाषाएँ अपने आप में सम्पन्न हैं, उसका कारण है उसका सांस्कृतिक आधार। उसने निश्चय किया कि सबसे पहले यहाँ के लोगों में अंग्रेजी का प्रचार-प्रसार किया जाए। भाषा और संस्कृति स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और अंग्रेज इसमें किसी हद तक सफल भी हुए।

आज हम देखते हैं कि अंग्रेज चले गये हैं अंग्रेजी हम पर इतनी हावी न हुई हो परन्तु अंग्रेजियत और पश्चिम सोच हमें निरन्तर प्रभावित करते जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें शिक्षा में मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन करवाना अनिवार्य करना होगा। संस्कृति स्वतः ही बच जाएगी।

समाज में भाषा, साहित्य और संस्कृति के महत्व को समझ कर ही सरकार ने विभिन्न भाषाओं की अकादमियाँ स्थापित की हैं, जो सम्बन्धित भाषाओं में विकास हेतु साहित्य सृजन, शोध अनुसंधान एवं उसके सांस्कृतिक पक्ष के संवर्द्धन हेतु कार्य कर रही हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि शिक्षा के सम्बन्ध में गठित आयोगों एवं कमेटियों ने मातृभाषा में शिक्षण करवाने की अनुशंसा करते हुए साहित्य और संस्कृति को पाठ्यक्रमों में उचित स्थान प्रदान किया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राजस्थान राज्य में लागू किये गये तत्सम्बन्धी नियम 2011 की पालना करते समय हमारे विद्वान शिक्षक इस ओर ध्यान देंगे तो निश्चय ही बालक का अधिगम सुगम होगा तथा उसे अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति का शानदार विरासत की जानकारी भी मिल सकेगी।

–अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर

इनोवेटिव टीचर्स लीडरशिप अवार्ड समारोह

❑ हरिकृष्ण आर्य

माइक्रोसॉफ्ट इण्डिया की ओर से 16 नवम्बर, 2011 को जयपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाँधीनगर में इन्नोवेटिव टीचर्स लीडरशिप अवार्ड-2011 समारोह का आयोजन किया गया।

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से शिक्षण को अधिक सुरुचिपूर्ण, प्रभावी एवं बेहतर बनाने वाले शिक्षकों को यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। अवार्ड प्राप्त करने वाले कुछ चयनित शिक्षकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ग्लोबल इन्नोवेटिव एजूकेटर्स फोरम में भाग लेने हेतु भी आमंत्रित किया जाता है।

इस वर्ष यह अवार्ड राज्य के तीन शिक्षकों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिलवाला खुर्द, हनुमानगढ़ के हरिकृष्ण आर्य, राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाली के रमेश कुमार खमराना तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मम्मड़ खेड़ा, श्रीगंगानगर के रोहिताश चुघ को प्रदान किया। अवार्ड के अन्तर्गत प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा सचिव श्री भास्कर ए. सावन्त द्वारा प्रदान किए गए। माइक्रोसॉफ्ट इण्डिया की एज्यूकेशन डायरेक्टर इरीना घोष ने अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया।

हरिकृष्ण आर्य को यह अवार्ड उनके प्रोजेक्ट 'एन्वायरमेन्ट : लैट अस एक्सप्लोर, केयर एण्ड सेव इट' के लिए दिया गया। पर्यावरण तथा इसके विभिन्न पहलुओं को सहजता एवं रुचिपूर्वक तरीके से समझने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उद्देश्य से यह प्रोजेक्ट बनाई गई है। यह प्रोजेक्ट हिन्दी में भी हैं। हरिकृष्ण आर्य वर्च्युएल क्लास रूम पर भी कार्य कर रहे हैं। इसके तहत दूरस्थ स्थानों के छात्र भी शहर के किसी विशेषज्ञ शिक्षकों से वेबकैम के जरिए रू-ब-रू हो सकते हैं। अध्यापकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों में यह प्रोजेक्ट बहुत लाभदायी साबित हो सकती है।

रमेश कुमार खमराना की प्रोजेक्ट 'मेटैलर्जी' में मल्टीमीडिया स्लाईड्स की मदद से विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण को बहुत ही आसानी से छात्रों को समझाया जा सकता है। खमराना ने सामान्य विज्ञान विषय की 2000 से भी अधिक मल्टीमीडिया स्लाइड्स तैयार की हैं, जिनका वो कक्षा-शिक्षण में भरपूर उपयोग करते हैं।

रोहिताश चुघ ने 'लिटिल हार्ट टू हार्ट' नाम से एक डिजिटल पाठ योजना तैयार की है, जिसमें मानव हृदय और रक्तवाहिनी प्रणाली के कार्य को समझाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इस अवसर पर www.innovativeteachers.com वेबसाइट का शुभारम्भ भी किया गया। इस साइट पर शिक्षकों के लिए अनेक इन्नोवेटिव आइडिया एवं टिप्स उपलब्ध हैं, जिनके उपयोग से वे अपने शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं। इस वेबसाइट पर शिक्षक फेसबुक की तरह अपने अनुभवों और लेसन प्लान को देश-दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं।

समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा सचिव श्री भास्कर ए. सावन्त ने शिक्षकों द्वारा तैयार इन प्रोजेक्ट्स को अनूठा बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक और उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, शिक्षकों को अपने शिक्षण में इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। यह एक अति शक्तिशाली माध्यम है, जिससे शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव सम्भव हैं।

माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी की एज्यूकेशन डायरेक्टर इरीना घोष ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट इण्डिया ने विद्यालयी छात्रों के लिए 2003 में 'प्रोजेक्ट शिक्षा' कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अन्तर्गत सॉफ्टवेयर का उपयोग कर नए-नए नवाचारों द्वारा बच्चों को पढ़ाने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना शुरू किया, ताकि बच्चे जल्दी समझ सकें और उन्हें रटना नहीं पड़े। उन्होंने बताया कि भारत में 12 राज्यों के साथ पार्टनरशिप करके 7 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। राजस्थान में अब तक 37 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ये शिक्षक बच्चों की आवश्यकतानुसार स्वयं रुचिकर पाठ तैयार करते हैं तथा इसे पॉवर पॉइन्ट एनिमेशन एवं अन्य सॉफ्टवेयर के द्वारा छात्रों को समझाते हैं। शिक्षकों को विदेश जाने का अवसर भी दिया जाता है।

–प्रधानाचार्य

78, गुरुनानक नगर, स्ट्रीट नं. 13, हनुमानगढ़ टाउन

बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009

बच्चों के नाम समर्पित एक कानून

❑ रवीन्द्र सिंह

विद्या का अर्थ है 'जानना'। इसे ग्रहण करने से व्यक्ति स्वयं तथा संसार को पहचानता है। पढ़ लिख जाना, विद्या का कोई जरूरी भाग नहीं है। कई व्यक्ति अक्षर नहीं पहचानते, फिर भी सयाने व विद्वान होते हैं। हाँ, पढ़ने-लिखने वालों को विद्या प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। गुरबाणी का फ़रमान है– 'विद्या विचारी तां परोपकारी' अर्थात् विद्या पढ़ने से नहीं बल्कि विचारने से ही लोक भलाई में सहायक हो सकती है। अतः बच्चे को दी जाने वाली प्रा. शिक्षा जगत की ही नहीं बल्कि मर्यादित जीवन की भी नींव है। दुनिया में पैदा होने वाला गरीब या अमीर बच्चा, प्रा. शिक्षा अवश्य प्राप्त करे, मानवता के नाते, बुनियादी हक तो उसका बनता ही है। पश्चिमी देशों में तो प्रा.शि. की अनिवार्यता 19वीं शताब्दी के मध्य से ही शुरू हो गई थी, लेकिन भारत में आजादी प्राप्त होने के बाद भी इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। सन् 2010 भारतीय संसद के सभी सम्मिलित स्वरों ने, एक ही सुर में 'बाल शिक्षा अधिकार नियम' की संविधानिक ध्वनि को मुखरित किया था। परिणामस्वरूप इस पुनीत कार्य के मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदम धीमी गति से चलते हुए प्रतीत होते हैं। डर है कहीं, देश के गलियारों व संसद में उठने वाली, आज की मुख्य आवाज 'भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल बिल' इस नियम के ऊर्जामयी कम्पनों को मन्द न कर दे। हर कोई चाहता है, देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, लेकिन यह भी समझना जरूरी है, देश की सारी समस्याओं का रास्ता, शिक्षा के द्वार से, प्रवेश होने के बाद ही मिल सकता है।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण, सर्व शिक्षा अभियान, नामांकन अभियान, ठहराव दर, शिक्षा अधिकार अधिनियम सभी एक दूसरे के पर्याय ही है। इससे पहले साक्षरता अभियान में हमें दायित्व सौंपा गया था। सभी गुरुजनों ने अपनी संचित ऊर्जा का अधिकांश भाग विभागीय खपत से हटकर इस समाज सेवा में लगाया था। आज फिर एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे सामने खड़ी है। इसकी सफलता हेतु देश की हर इकाई का सहयोग आपेक्षित है। लेकिन ज्यादा भार तो हम शिक्षकों के कन्धों पर है। शिक्षकों के पूर्ण सहयोग बिना यह कार्य सफल नहीं हो सकता। अभियान से संघर्ष करते गुरुजनों की धड़कती नब्जों से निकली आवाज मानो चुनौती से कह रही हो– लक्ष्य प्रेरित बाण है हम/ठहरने का काम कैसा।/लक्ष्य तक पहुँचे बिना/पथ में पथिक विश्राम कैसा।

आखिर क्या है ? बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम - 2010– गुरुजनों, सरल परिभाषा तो बस इतनी सी है कि इस नियम के अन्तर्गत देश के समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर स्थिति में प्रा.शि. सुनिश्चित करवानी है। लेकिन जटिलता इसके क्रियान्वयन में है। आओ, इसकी विवेचना पर मंथन करने का प्रयास करें।

हर बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रा. शिक्षा मिले। इसको प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों, अभिभावकों, राज्य कर्मचारियों, शिक्षा अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकारिणी समितियों, सामाजिक संगठनों एवं राज्य सरकारों को अपने उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु निर्देशित एवं बाधित किया गया है। शाला में प्रवेश लेने वाला बच्चा समाज का विभिन्न अंग है। बच्चा अन्य इकाइयों से नहीं बल्कि शिक्षक और अभिभावकों से प्रत्यक्ष जुड़ा है। हमारे पक्ष में सबसे अच्छी बात यही है कि हर माँ-बाप का सपना बच्चों को पढ़ाना तथा हर बच्चे का सपना शाला जाना अवश्य होता है। बस, इसी तथ्य को भुनाते हुए इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी, सबसे पहले अध्यापक से ही शुरू होती है। अध्यापक बच्चे को घर जैसा वातावरण प्रदान करें। अपनी प्रभावशाली कथनी एवं मधुर व्यवहार से बच्चों के दिल में अपना स्थान बनाएँ। बच्चे के उज्ज्वल भविष्य निर्माण हेतु अभिभावकों में आत्म विश्वास पैदा करें। ताकि प्रत्येक गरीब अभिभावक हर विषम परिस्थिति में अपने इस आशा के दीपक को बुझने न दें। अपने लाड़ले को नन्हीं सी उम्र में, बाल श्रमिक न बनाकर, समाज की लानत भरी बातों तथा कटु व्यवहार से बचा सके। अध्यापक अपनी सूझबूझता से कार्यकारिणी समितियों तथा सामाजिक एजेन्सियों से यथा संभव सहयोग प्राप्त कर सकता है। शाला से मिलने वाला ज्ञान व समाज से मिलने वाला आर्थिक सहयोग व मार्गदर्शन उसे उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित करता है। छात्र में समाज के हर वर्ग के साथ समन्वयता बनाने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। राज्य सरकारों की भागीदारी, जनप्रतिनिधियों एवं संगठनों की इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती है। बस, फिर इस स्थिति में अधिनियम अपने प्रभावी लागू होने का संकेत देने लगते हैं। धारा 6 के प्रयोजन में राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 1 किमी. तथा 6 से 8 तक बच्चों के लिए 2 किमी. पैदल दूरी की सीमा में विद्यालय स्थापित किया जाना है। वर्तमान परिपेक्ष में लड़कों के शाला जाने में समस्याएँ कम दिखाई देती है जबकि बालिकाओं के सन्दर्भ में यह भौगोलिक सीमाएँ विशेष महत्व रखती है। अक्सर नियमित, सुरक्षित व अनुशासित विद्यालयों में विद्यार्थी, इन सीमाओं को भेदते हुए निकट के विद्यालय का परित्याग कर देते हैं। जागरूक अभिभावक उच्च व संस्कारित शिक्षा के लिए अपनी समर्थता से निकलकर अन्यत्र शहर में भी बच्चों को भेजने का जोखिम उठा लेते हैं। वेदों की भाषा संस्कृत को अच्छी तरह समझ कर, इस ज्ञान को जन-जन तक प्रसारित किया जा सके इसलिए आज से 300 वर्ष से भी पहले भी गुरु गोविन्द सिंह जी ने अपने पाँच सिक्खों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा ताकि ज्ञान प्राप्ति में समता लाई जा सके। अतः शिक्षक शाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर दूरी की समस्या को कम कर सकते हैं।

निःशक्त बच्चों के क्रम में, राज्य सरकारें उनके उचित व सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु प्रयास करेगी। ताकि कोई भी सामाजिक व सांस्कृतिक कारण से बच्चे शाला पहुँचने में बाधित न हो सकें। ग्रामीण

क्षेत्रों से आने वाली माध्यमिक शाला की छात्राओं के लिए साईकिल वितरण व्यवस्था की गई है। जबकि उच्च प्रा. स्तर तक के बच्चों के लिए ऐसा नहीं हो पाया है। मेरे अपने विद्यालय की लगभग 20 छात्राएँ निकट के गाँव से शाला पैदल आती है। जब तक सरकारी सहायता बच्चों को मिले, शाला प्रबन्धन समिति अपने स्तर से कुछ प्रयास कर सकती है। हमारी शाला में आने वाली कक्षा 6 की छात्रा ममता 2 किमी. से भी ज्यादा दूर अपनी ढाणी से आती है। गर्मी के दिनों में एक बार उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अध्यापिका (मेरी पत्नि) ने मुझे कहा– इस छात्रा को आज मोटर साईकिल पर घर छोड़ आओ। घर छोड़ते समय, सुनसान व डरावना रास्ता देखकर, मुझे बड़ा आघात लगा कि गरीब घर की ये छात्रा प्रा.शि. लेने के लिए कितने जोखिम भरे रास्ते से चलकर आती है। माता-पिता से सम्पर्क करने पर पता लगा वे मजदूरी करते हैं। छात्रा को प्रतिदिन शाला लाना, ले जाना उनकी पहुँच की बात नहीं है। अगले दिन शाला आते ही स्टाफ से मिलकर, पास के गाँव से आने वाले बच्चों को आदेशित किया। छुट्टी के बाद उसे अपने साथ लेकर जाएँगे तथा ढाणी के निकट पहुँचने तक, वे कुछ समय खड़े होकर इन्तजार करेंगे। बच्चों की कुछ व्यक्तिगत समस्याएँ हो सकती हैं उसे शिक्षक विशेष छूट देते हुए अपने स्तर पर समाधान कर सकते हैं। जैसे कोई एक छात्र साईकिल पर किसी निःशक्त बच्चे को साथ बिठाकर ला सकता है।

धारा 8, 9 व 12 के प्रयोजनों में शाला में उपस्थित होने वाला प्रत्येक बालक, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों व लेखन सामग्री का हकदार है। राज्य सरकार द्वारा बड़े विस्तृत स्तर पर बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें विवरण की जा रही हैं जिससे इस अभियान को गति प्रदान करने में काफी बल मिल रहा है। जबकि निःशुल्क लेखन सामग्री, कापी, स्टेशनरी आदि न मिलने से, बहुत बच्चों को हीन भावना व शिक्षकों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विशेष कर समस्त गुरुजनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने व्यक्तिगत प्रयासों से यदि गरीब बच्चों को लेखन सामग्री, गणवेश व खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके तो न केवल हम नियमों की पालना में कार्य करेंगे बल्कि अपनी कमाई के हिस्से को शामिल करके पुण्य भी कमा सकेंगे। ध्यान रहे, स्पष्टीकरण उपनियम, धारा के उपखण्ड अन्तर्गत बालक को निःशुल्क हकदारी प्रदान करने का उत्तरदायित्व निर्दिष्ट शाला का भी है।

पड़ौसी विद्यालय के निर्धारण हेतु दूरस्थ, असुविधाग्रस्त व दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए शाला मानचित्रण व चिह्नीकरण किया जाना है। विद्यालय स्थान की योजना बड़ी सतर्कता के साथ अध्यापक अपने प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को प्रेषित करे। किसी भी जाति, वर्ग धर्म या लिंग सम्बन्धी बालक के साथ दुर्व्यवहार न हो। प्रायः देखा जाता है किसी विशेष पिछड़ी व दुर्बल जाति के बच्चे ही प्रा.शि. से वंचित रह जाते हैं। मेरे शहर में माँग कर पेट भरने वाले 90% बच्चे शाला जाने से वंचित हैं जबकि उनके वास स्थान में शाला खुले हैं। शाला खुलने के समय से भी बहुत पहले, अंधेरे सबेरे ये बच्चे हाथ में थैला लिए कचरा बीनने निकल पड़ते हैं। एक ओर शाला में जहाँ स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाता है वहीं दूसरी ओर ये बच्चे मैरिज पैलेसों के बाहर पड़े कूड़ेदान में खाली किए गए खाद्य पदार्थों के डिब्बे व जूठी प्लेटों पर बच्चे पदार्थों को चाटते नजर आते हैं। समाज के मुँह पर तमाचा नहीं तो और क्या है। शिक्षक होने के नाते मुझे सच स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि ये बच्चे शाला के भय व दुर्व्यवहार से अधिक प्रभावित है।

श्री गुरु अंगद देव जी ने इनकी गरीब व बेसहारा बच्चों को अपनी गोद में बिठाकर तालिम प्रदान की तथा गुरमुखी लिपि को प्रचलित किया। सिक्ख धर्म के महान विद्वान भाई गुरदास जी तो विद्या के दान को अपने कवित्त में इस तरह ब्यान करते हैं।

'जैसे सत मंदर कंचन के ऊसार दीने।/तैसा पुन सिख कऊ इक शबद सिखाए का।। (सिक्ख का अभिप्राय विद्यार्थी से है)।

शिक्षक तो अभी सेवा देने की श्रेणी में आते हैं। स्कूल समय के बाद का ज्ञान, दान देने में गिना जाएगा।

इन बच्चों को शाला में लाने के लिए यह अति आवश्यक है कि घर-घर सर्वेक्षण के दौरान ऐसे बच्चों का पारदर्शिता से अभिलेख संधारित किया जावे तथा पढ़ाई बाधित होने के कारण को प्रमुखता से चिह्नित कर निर्धारित शाला के श्यामपट्ट पर नाम प्रदर्शित किया जाए। ताजा जनगणना में आर.टी.आई. लागू होने के डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के 81 लाख 50 हजार 61 बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर है। बच्चों को नामांकित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरलीकरण कर दिया गया है। धारा 14 के प्रयोजन में आयु के प्रमाण में यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो माता-पिता या संरक्षक के शपथ पत्र घोषणा से प्रवेश दिए जा सकेंगे। प्रवेश की अवधि शैक्षिक वर्ष के प्रारम्भ से 6 मास तक की होगी। आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा ऐसे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। इस छूट के कारण बहुत से ऐसे बालक-बालिकाएँ जिनकी उम्र अधिक होने की वजह से छोटी कक्षाओं में बैठने में शर्म महसूस करते थे। शिक्षा से वंचित ये विद्यार्थी पुनः पढ़ना चाहते हैं वे शाला से जुड़ गए। हमारी शाला की कक्षा आठ की छात्रा काजल भी उनमें से एक है। कक्षा सात में अनुत्तीर्ण होने के बाद पढ़ाई छोड़कर चली गई। दो वर्ष बाद उच्च शिक्षा के लिए उसमें फिर उत्साह जागा। अधिनियम का लाभ उठाते आज कक्षा 8 में अध्ययन कर रही है। शिक्षा से पुनः जुड़कर खुशी महसूस करती हुई कक्षा के अन्य बच्चों से आगे निकलना चाहती है।

धारा 31 के निमित्त बालकों के अधिकारों के अनुश्रवण के लिए परिवेदनाएँ सीधे विभाग या राज्य आयोग को भेजी जा सकेगी। देश के अभी 12 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है। 21% ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं। जिससे गुणवत्ता शिक्षा प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। धारा 23(2) के अधीन 5 वर्ष की अवधि में ऐसे शिक्षकों को अर्हताएँ अर्जित करवाना है।

(शेष पृष्ठ 72 पर)

बीकानेर राज्य में शिक्षा की स्थिति, अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में 'अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ऐक्ट'

❑ डॉ. महेन्द्र खड़गावत

डॉ. महेन्द्र खड़गावत राजस्थान के नामचीन इतिहासविद् हैं। इतिहास में प्रथम श्रेणी से अधिस्नातक करने के बाद आपने एम.फिल. एवं पीएच.डी. की उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। आप इतिहास विषयक अनेक समितियों के सदस्य तथा पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे हैं। शोध एवं अनुसंधान से जुड़े आपके आलेख शीर्ष पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। आपने महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन किया है। आप क्रिकेट के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। वर्तमान में आप राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर के निदेशक पद पर कार्यरत हैं।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व तत्कालीन राजपूताना में स्थित देशी रियासतों के राजा महाराजाओं द्वारा भी अपने उपलब्ध साधनों एवं सामर्थ्य के अनुसार बालक-बालिकाओं के शिक्षक की व्यवस्था की जाती थी। वे न केवल अपने-अपने रजवाड़े के क्षेत्रों, गाँव-कस्बों में विद्यालय खोलने का ही कार्य करते थे अपितु प्राइवेट तौर पर पढ़ाने-लिखाने का कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राज्य की ओर से अनुदान भी देते थे। अपनी रियासत के होनहार छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजपूताना से बाहर बनारस, बंगाल, बम्बई, इलाहाबाद आदि स्थानों पर भी भिजवाते थे। इस हेतु सम्पूर्ण अथवा आंशिक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य द्वारा की जाती थी। रियासतकालीन दौर में कतिपय प्रगतिशील रियासतों ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाकर शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। इनमें मेवाड़ (उदयपुर), मारवाड़ (जयपुर), ढूँढाड़ (जयपुर), हाड़ौती (कोटा) आदि प्रमुख हैं।

बीकानेर रियासत के 21वें महाराजा गंगासिंह तो इन सबमें अग्रणी थे। उन्हें ब्रिटिश शिक्षा अधिनियम 1870 एवं 1881 की जानकारी थी जिनसे ब्रिटेन में शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया था। यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में 1870 में ब्रिटिश शिक्षा अधिनियम पारित कर काउण्टी प्राधिकारियों को अनिवार्य शिक्षा के बारे में उप नियम लिखने का अधिकार प्रदान किया लेकिन वस्तुतः 1881 के अधिनियम में ही शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। भारत में लगभग 100 वर्ष पहले श्री गोपालकृष्ण गोखले ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में भारतीय जनमानस को शिक्षा का अधिकार देने का कानून बनाने की माँग की थी। इन सबसे प्रभावित होकर बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1929 बनाकर विस्तृत नियमों के साथ लागू किया था। जो तत्कालीन दौर की एक अभूतपूर्व घटना थी। सम्पूर्ण भारत में इतना स्पष्ट कानून (1929) एवं नियम (1933) बनाने वाला बीकानेर पहला राज्य था।

बीकानेर राज्य में महाराजा डूंगरसिंह के शासनकाल से शिक्षा पर ध्यान देना प्रारम्भ हुआ उससे पूर्व खानगी पाठशालाओं में प्रारम्भिक शिक्षा और हिसाब-किताब से सम्बन्धित पढ़ाई होती थी। संस्कृत शिक्षा पंडितों के यहाँ तथा फारसी व उर्द मौलवियों के घरों पर पढ़ाई जाती थी। सन् 1872 ई. में महाराजा डूंगरसिंह जी द्वारा सर्वप्रथम खोले गये स्कूल में हिन्दी, संस्कृत, फारसी और देशी तरीके से हिसाब की पढ़ाई होती थी। 275 विद्यार्थियों वाली इस स्कूल में सन् 1882 ई. में उर्द व सन् 1885 ई. में अंग्रेजी भी विद्यालय में पढ़ाई जाने लगी। दो-तीन वर्ष पश्चात् ही लड़कियों के लिए स्कूल भी बीकानेर में प्रारम्भ किया गया। सन् 1891-92 ई. तक राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की संख्या 12 व विद्यार्थियों की संख्या 644 तक पहुँच गई थी। सन् 1993 ई. में राज्य के जागीरदानों व अमीरों के लड़कों की शिक्षा के लिए कर्नल सी.एम. वोल्टर के नाम पर 'वाल्टर नोबल्स स्कूल' की स्थापना की गई। सन् 1929-30 ई. में स्कूल में छात्रों की संख्या 280 तक पहुँच गई। श्री जुगल सिंह खिंची स्कूल के प्रधानाध्यापक थे सन् 1930 में शिक्षा हेतु विदेश जाने पर पंडित चिमनलाल गोस्वामी को प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। स्कूल में छात्रों की संख्या 1928-29 व 1929-30 में निम्नानुसार थी–

कक्षा	सन् 1928-29	सन् 1929-30
I	26	23
II	33	28
III	25	32
IV	34	27
V	20	37
VI	28	19
VII	12	18
VIII	18	7
IX	9	15
X	5	10

बीकानेर राज्य में शिक्षा का प्रारम्भ, प्रचार व प्रसार अत्यंत कठिन कार्य था क्योंकि राज्य बहुत फैला हुआ था तथा एक गांव की दूसरे से बहुत दूरी थी। शिक्षा के विकास व जन-जन तक शिक्षा से जुड़ाव के लिए 1912 में डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन का पद सृजित किया गया। दिसम्बर 1928 ई. में नई शिक्षा योजना को लागू किया गया जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर जोर दिया गया– (1) कॉलेज शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रारम्भ करना। (2) वाल्टर नोबल्स स्कूल को दसवीं तक करना। (3) डूंगर कॉलेज व एलो वर्नाकूलर स्कूल की स्टॉफ में वृद्धि। (4) प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु नवीन स्कूलों

की स्थापना। निजी संस्थाओं को स्कूल खोलने हेतु अनुमोदन देना। (5) महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिका विद्यालय खोले गये इस हेतु भी निजी संस्थाओं को बालिका विद्यालय खोलने हेतु अनुदान दिया गया। (6) संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजधानी में पाठशालाएं खोली गई जो कि संस्कृत विद्वानों द्वारा संचालित की जाती थी। जिसमें ज्योतिष, व्याकरण व कर्मकाण्ड विषयों के लिए स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना। (7) स्थानीय लोगों को कला एवं अन्य व्यवस्थाओं में पारंगत होने के लिए राज्य व राज्य के बाहर जाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

उक्त योजना के अन्तर्गत 1935-36 ई. में निजी विद्यालयों को अनुदान मिला। 39 निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दी गई। 170 निजी शिक्षण संस्थाएं थी, जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसके फलस्वरूप अनुदानित व मान्यता प्राप्त स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 6752 व मान्यता रहित विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 9540 तक पहुँच गई।

बीकानेर रियासत में स्कूल शिक्षा में प्रगति निम्नानुसार है–

Year	*No. of State School*	*No. of Teacher*	*No. of Pupils*	*Expenditure*
1897-98	26	49	1,606	18,125
1911-12	43	96	3,056	62,040
1918-19	60	169	3,512	84,299
1920-21	74	205	5,238	14,162
1925-26	71	211	4,795	1,38735
1930-31	108	328	7,701	2,41537
1935-36	122	386	9,361	2,92357

1929-30 में बीकानेर राज्य में स्कूलों व छात्रों की संख्या निम्नानुसार थी।

Kind of School	*State School*		*School under State supervision*		*Total*	
	School	*Scholars*	*Schools*	*Scholars*	*School*	*Scholars*
College	1	1123	-	-	1	1123
High School	2	430	-	-	2	430
Anglo-Vernacular Schools	14	2378	1	143	15	2521
Secondary Vernacular Schools for boys	1	62	-	-	1	62
Primary Vernacular Schools for boys	41	1358	1	46	42	1604
Secondary Vernacular Schools for girls	1	201	-	-	1	201
Secondary Vernacular School for girls	1	130	-	-	1	130
Primary Vernacular School for girls	13	915	-	-	13	915
Banika Schools	19	-	2	-	21	-
Sanskarit Pathshala	1	00	-	-	1	60
Girls reading in boys Schools	-	43	-	-	-	45
Total	94	6902	4	189	98	7091
Total for the Previous years	84	61	4	158	88	6342

Kind of School	*Aided Private Schools*		*Private Schools*		*Total*	
	School	*Scholars*	*Schools*	*Scholars*	*School*	*Scholars*
High School	1	259	-	-	1	259
Anglo-Vernacular Schools	1	40	16	2272	17	2312
Primary Vernacular Schools for boys	18	820	12	860	30	1680
Primary Vernacular School for girls	4	228	8	532	12	760
Banika Schools	7	428	40	1525	47	1953
Sanskarit Pathshala	-	-	18	342	18	342
Special School	-	-	13	567	13	567
Library	3	-	-	-	3	-
Total	34	1775	107	6098	141	7873
Total for the Previous years	25	1431	95	5888	120	7319

श्री एम.एम. वर्मा, निदेशक, शिक्षा विभाग के पद पर कार्यरत थे। श्रीमती डी. गुप्ता, बालिका विद्यालय को इन्स्पेक्ट ऑफ गर्ल्स स्कूल थीं तथा श्री पी.एम. देसाई, शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक थे।

गंगानगर में स्थानीय बोर्ड को प्राथमिक स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 5 नये छात्र विद्यालय खोले गये। जिन विद्यालयों में एक अध्यापक था वहाँ एक ओर प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति की गई। प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकालयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया गया। किंग जार्ज पंचम की याद में एक केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाराजा गंगासिंह 1929 ई. में चार बालिका विद्यालय मोमासर, छापर, रतनगढ़ व नापासर में

खुलवाये। 1930-31 के बजट में चार और बालिका विद्यालय खोलने हेतु बजट स्वीकृत करवाये।

लेडी एल्गिन गर्ल्स स्कूल में अंग्रेजी विषय पढ़ाना प्रारम्भ किया व स्कूल को एग्लो वर्नाकुलर मिडल स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया। राजधानी में बालिका शिक्षा की बढ़ती माँग को देखते हुए अनुभवी प्रधानाध्यापिका को देख-रेख में उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय, राजधानी में खोला गया। इसके अतिरिक्त कुछ वर्ष पहले पाँच वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूलों को विभिन्न गांवों में प्रारम्भ किये गये।

शिक्षकों की कॉन्फ्रेंस भी प्रारम्भ की गई जिसमें रिफ्रेशर कोर्स भी सम्मिलित था। 1929-30 ई. में तीन चल पुस्तकालय विभिन्न गांवों में प्रारम्भ किये गये गांवों में पुस्तकालय को बढ़ावा देने के लिए राज्य की ओर से उदारतापूर्वक अनुदान दिये गये।

महाराजा गंगासिंह ने निजी शिक्षण संस्थाओं को भी खेल व शारीरिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिया। तथा स्कूल के विद्यालयों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई।

1929-30 ई. में चूरू हाई स्कूल का परिणाम तीसरी से पांचवीं तक का शत प्रतिशत रहा। चूरू हाई स्कूल में छात्रों की संख्या 150 थी। 1929-30 ई. में राजकीय एग्लो वर्नाकुलर स्कूल में 2521 छात्र-छात्राएं थे। 1637 अंग्रेजी पढ़ते थे। इन स्कूलों की कुल संख्या 15 थी।

बीकानेर राज्य की शिक्षा की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन महाराज गंगासिंह जी के शासनकाल 1887 से 1943 ई. में हुआ। सन् 1928-29 ई. में महाराजा गंगासिंह जी द्वारा राज्य में सर्वप्रथम 'अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट' लागू किया गया। नगरपालिकाओं को उदारतापूर्वक अनुदान राशि उपलब्ध करवाई गई प्राथमिक शिक्षा एक्ट को राज्य में अमली जामा पहनाने के लिए। राजपूताना में बीकानेर प्रथम राज्य बना जिसने न केवल प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया बल्कि उसे लागू भी किया गया।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट में 21 दफाएं सम्मिलित हैं इसमें हलके के स्थानीय हाकीम, म्युनिसिपल बोर्ड, शिक्षा विभाग तथा स्कूल स्तर पर बनाई गई समिति को विभिन्न दफाओं के माध्यम से पाबंद किया गया कि किसी भी स्थिति में बालक या बालिका प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे। इस एक्ट में प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य पढ़ने लिखने की, हिसाब की और दूसरे विषयों की ऐसे दर्जे तक की पढ़ाई से है जो शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक स्कूलों में लागू किया गया हो। 9 सदस्यों की एक स्कूल कमेटी का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य स्थानीय हकीम के द्वारा, एक सदस्य प्रमाणित गैर सरकारी स्कूलों के रजिस्ट्रीशुदा मालिकों और मैनेजरों की ओर से तथा बाकी सदस्य राज्य की ओर से नियुक्त किये गये। स्कूल कमेटी का कार्य एक्ट की धाराओं को राज्य में पूर्णतया लागू करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बालक या बालिका बगैर किसी ठोस कारण के बगैर शिक्षा के ना रह जाएं। एक्ट की धारा 11 की 7 बिन्दुओं में वो कारण दिये गये हैं जिसके तहत किसी भी बालक या बालिका को प्राथमिक शिक्षा से मुक्त रखा जा सकता है। एक्ट की धारा 14 में स्पष्ट किया गया है यदि कोई भी व्यक्ति स्कूल जाने वाले बालक को किसी अन्य कार्य में लगायेगा तो उसके विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर जुर्माना लगाया जाएगा। एक्ट की धारा 12 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी माँ-बाप ने जानबूझकर स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने नहीं भेजा तो उनको सुनवाई का एक मौका देने के पश्चात् सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बीकानेर राज्य में प्राथमिक शिक्षा एक्ट सन् 1929 ई. में लागू कर दिया गया। जबकि राज्य सरकार में राईट टू एज्यूकेशन एक्ट अब लाया गया है। यह एक्ट महाराजा गंगासिंह की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है।

बीकानेर राज्य के द्वारा प्राथमिक शिक्षा एक्ट लागू करने के पश्चात् राजपूताना के अन्य राज्यों ने भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट को लागू किया। जयपुर राज्य ने सन् 1938 ई. के अन्दर एज्यूकेशन कोड लागू किया, सन् 1944 ई. में बूंदी राज्य ने प्राथमिक शिक्षा एक्ट लागू किया तथा शाहपुरा रियासत ने सन् 1946 ई. के अन्दर शिक्षा-विधान लागू किया। इस प्रकार बीकानेर राज्य राजपूताना का प्रथम राज्य था जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट को लागू किया।

–निदेशक
राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर

(पृष्ठ 69 का शेष)

भाग 6 धारा 29 के संदर्भ में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया पर चिन्तन करना है। प्राथमिक शिक्षा हेतु सुसंगत और आयु अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण कर, शिक्षण सामग्री तैयार करना चुनौती से कम नहीं है। नीरस, जटिल पाठ्यक्रम तथा अर्थहीन मूल्यांकनों ने हमारे बच्चों को हमसे छीना है। पाठ्यक्रम में बच्चों के जीवन मूल्यों व परिवेश से जुड़ें, लुभावने, संगीत, नृत्य, साहित्य व खेलकूद आदि आनन्ददायी प्रयोगार्द्ध बिन्दुओं का समावेश कर हम इन्हें दुबारा शाला में निमंत्रण दे सकते हैं। इसके लिए सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का लाभ उठाते हुए योग्य अध्यापकों से आरेख विकसित करवाया जाए।

सभी बच्चों को उत्तीर्ण करने के प्रश्न में हमारी मानसिकता में बदलाव लाने का भी प्रश्न है। इस विषय पर खुली आवाज से कहना चाहूँगा। आठवीं बोर्ड के हटते ही शिक्षक व छात्र दोनों अपनी जिम्मेदारियों से आजाद होते दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर आगे आने वाले समय में हम गरीब अभिभावकों को एक नई समस्या में डालने जा रहे हैं। वो चाहते हुए व प्रयास करते हुए भी बच्चों को आगे नहीं पढ़ा पाएँगे।

बन्धुओं, हमारा प्रयास केवल इन्हें प्राथमिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र देना ही नहीं है बल्कि इन्हें इस योग्य भी बनाना है कि वे अपेन पाँव स्वस्थ तन व मन से उच्च शिक्षा के द्वार तक रख सके। गिरते व लड़खड़ाते कदमों से वे इस दूरी को कैसे तय कर पाएँगे। अतः इसके लिए आपकी विवेकमयी व पारखी दूर दृष्टि से सतत् मूल्यांकन की जरूरत है। अब आप ही बताएँ जब प्रतिदिन आपका ज्ञान भरा स्नेह व मार्गदर्शन ही उसके मूल्यांकन का आधार बन जाए तब क्या कोई छात्र प्रा.शि. से अनुत्तीर्ण हो पाएगा। कदापि नहीं।

फिर आओ, मिलकर यह अधिनियम बच्चों के नाम समर्पित कर दें।

–रा.उ.प्रा.वि. नं. 3,
रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर (राज.)

पवित्र बाइबल के अनुसार 'शिक्षा'

❑ अरनी रॉबर्ट्स

पवित्र शास्त्र बाइबल सीखने, समझने, बोलने व विचारों का अभिव्यक्त करने में दिशा निर्देशन देता है। सम्पूर्ण बाइबल दो भागों में विभक्त है– ओल्ड टेस्टामेंट व न्यूटेस्टामेन्ट।

ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर के महान सेवक मोसेज की परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा यहूदियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाने के लिए चुना। मोसेज एक प्रखर बुद्धिवाला, गुणी व सफल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। निश्चय ही वह शिक्षित व ज्ञानी पुरुष था। मिस्र पर राज करने वाला राजा था फरोहा– उसके राज्य ने ज्ञानी, ध्यानी, शिक्षित व ज्योतिष तथा पंडित लोग थे। उस काल में शिक्षा का महत्व था। मोसेज को ही परमेश्वर (यहोता) ने दस आज्ञाएं (टेन कमांडमेंट्स) दीं जिनका ईसाई धर्म में अत्यंत महत्व है। मूसा पढ़ा लिखा, विद्वान एवं शिक्षित था तभी उसने इन आज्ञाओं को जो यहोता ने उसे दो पत्थर की पाटियों पर दी थी इस्रालियों को पढ़कर सुनाई।

बाइबल में सबसे सशक्त राजा डेविड को बताया गया है। वह परमेश्वर का चुना हुआ व अभिगिनत व्यक्ति था। बाइबल की एक पुरतन जो भजनों के रूप में 'भजन संहिता' इसे राजा डेविड के द्वारा रचा गया है। राजा डेविड ने स्वयं भी शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा को बढ़ावा भी दिया। डेविड ने अपने एक भजन में लिखा है– 'परमेश्वर अपने सत्य पर मुझे चला और शिक्षा दे।'

राजा डेविड के पुत्र राजा सालोमन की सबसे प्रखर बुद्धिवाला एवं ज्ञानी पुरुष कहा गया है। वह शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ संवाहक था। उसके द्वारा लिखी गई बाइबल की पुस्तकें नीतिवचन (प्रोवर्बस) तथा 'सभोपदेशक' (एक्लेसियास्टिस) बाइबल की श्रेष्ठ पुस्तकें हैं जिनमें नीतिगत, धार्मिक व आचरण शुद्ध बनाए रखने हेतु शिक्षाएं हैं। इन पुस्तकों में कहावतों एवं लोकोक्तियों के रूप में नैतिक शिक्षाओं का संग्रह है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को बुराइयों से बचाना एवं सद्मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करना।

श्री अरनी रॉबर्ट्स का नाम संवेदनशील व सृजनशील शिक्षक एवं कुशल प्रशासक के रूप में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपकी मर्मस्पर्शी रचनाएँ शिविरा सहित विभिन्न समाचार पत्र/पत्रिकाओं में छपती रहती है। आप अनेक संस्थाओं से सम्मानित हुए हैं जिनमें राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार सम्मिलित है। आपकी चार कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं।

नीतिवचन अध्याय 1 के दूसरे वर्स (आयत) में वर्णित है। 'नीतिवचनों के द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, काम करने में प्रवीणता, धर्म और न्याय में निष्पक्षता की शिक्षा पाए, भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले और बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए।

नीतिवचन 1:7 'बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं।'

नीतिवचन 4:10 'बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा।'

नीतिवचन 4:13 'शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है।'

नीतिवचन 7:2 'शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान।'

बाइबल पवित्रशास्त्र के दूसरे भाग न्यू टेस्टामेंट में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं और उपदेश हैं। बाइबल उन्हें उत्तम गुरु की संज्ञा देती है। तत्कालीन समय में 'गुरु' व 'रब्बी' अत्यंत बुद्धिमान, पढ़े-लिखे, आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण एवं विद्वान व्यक्ति को कहा जाता था। प्रभु यीशु को धर्म का श्रेष्ठ ज्ञान था। अपने उपदेशों में वे अद्भुत बातें बताते थे जो यह सिद्ध करता है कि उन्हें शिक्षा से बहुत लगाव था। सिनेगॉग (यहूदियों के मंदिर) में कई बार उपदेश देते हुए वे धर्मशास्त्र में पढ़कर उसकी व्याख्या करते थे। उनके सभी शिष्य प्रारम्भ में तो निरक्षर थे, पर बाद में शिक्षित होकर ही उन्होंने संसार में मसीही धर्म फैलाया और बाद में सेंट की पदवी पाई। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े-बड़े स्कूल-कॉलेजों तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानों के नाम इन्हें सेंट्स के नाम पर रखे जाते हैं सेंट जॉन, सेंट पॉल, सेंट थॉमस आदि। सेंट पॉल ने अपने हाथ से विभिन्न शहरों में अपने सहकर्मियों को पत्रियाँ लिखीं (एपिसल्स) और उन्हें ज्ञान और सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। रोमन्स के नाम अपनी एक पत्री में उन्होंने लिखा– 'हमें विभिन्न वरदान मिले हैं जिसको भविष्यवाणी का दान वह भविष्यवाणी करे, यदि सेवा का तो सेवा करे और जो शिक्षक है वह शिक्षा देने में लगा रहे।'

ये सभी सेंट्स शिक्षा के हिमायती थे और वे जानते थे कि बगैर शिक्षा के व्यक्ति को सही जीवन जीने का सलीका नहीं आ सकता था। एक दिवस प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पाँव धोए और कहा– 'तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होते हुए तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए।'

नये नियम (न्यू टेस्टामेंट) में सेंट पॉल ने महिलाओं के विषय में स्पष्ट आदेश दिए हैं 'प्रत्येक स्त्री चुपचाप और सम्पूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे।'

भारत में भी, भले ही अंग्रेजों ने हमारा बहुत अहित किया हो, पर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। आज भारत सर्वधर्म सम्पन्न देश है। इतने सारे धर्मों के होते हुए हमारी राष्ट्रीय एकता अपने आप में श्रेष्ठ उदाहरण है, और सभी धर्म शिक्षा के महत्व को मानते हैं। क्योंकि सब जानते हैं शिक्षा वह सीढ़ी है जो जीवन में हमें ऊँचाइयों की ओर ले जाती है।

–पोस्ट ऑफिस रोड,
नानक चौमगंज मंडी के सामने, कोटा-324002

बेशक मिले सभी को शिक्षा का हक

❑ सम्पत लाल शर्मा 'सागर'

शिक्षा एक ऐसी अमर बूटी है जो मस्तिष्क की ज्वाला और पेट की आग को बुझाती है, वह आत्मा और शरीर दोनों के लिए रामबाण है। गाँधीजी के शब्दों में– "By education, I mean the all round development in child-mind, body and spirit." अर्थात् बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का विकास ही शिक्षा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के छह दशक बाद सन् 2002 में भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान संसद में पेश किया गया बाल शिक्षा का यह मूल अधिकार 4 अगस्त 2009 को संसद में पास करने के बाद पहली अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक नई प्रभात लेकर आया है।

वर्तमान भारत सरकार व राज्य सरकार 'शिक्षा' के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील दिखाई पड़ रही है। अभी हाल ही में 11 सितम्बर 2011 को देश के प्रथम शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस पर 'शिक्षा का हक' अभियान का आगाज किया गया। इस अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, 'संविधान की धारा 21-ए में दिया गया शिक्षा का बुनियादी हक भी 01 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है। शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों तथा जिला और ग्रामीण स्तर की सरकारों को इस साझा राष्ट्रीय प्रयास में मिलकर काम करना होगा' साथ ही डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि आज वह जो कुछ भी है शिक्षा की बदौलत है। अपनी जिन्दगी की हकीकत को व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने बताया 'मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। बचपन में स्कूल जाने के लिए मुझे एक लम्बा रास्ता तय करना पड़ता था। बिजली के अभाव में मिट्टी के तेल का दिया जलाकर पढ़ना पड़ता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देश के हर बालक को शिक्षा सहजता से मिले, उसके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हो और उसका हर सपना साकार हो।'

इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 15 फरवरी, 2010 को जोधपुर में दो दिवसीय ऑल राजस्थान तालीमी कान्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए कहा– 'शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है जिसके घर में पढ़ाई नहीं होती है वहाँ अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता।' शिक्षा के सद्प्रभाव को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस क्षेत्र में जागृति लाने का आह्वान किया तथा दिली ख्वाहिश व्यक्त की कि राजस्थान में एक भी बच्चा अनपढ़ न रहे।

इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को संसद में पारित किया है। राजस्थान सरकार ने भी इस अधिनियम को हृदय से अंगीकार करते हुए राज्य में इसे लागू किया है। यह विधेयक केन्द्र सरकार द्वारा भारत में सभी राज्यों में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर समान रूप से लागू किया गया है। इस विधेयक में लगभग 38 धाराएँ दी गई हैं तथा इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है कि किसी भी परिस्थिति में बालक के शिक्षा के हक पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, क्योंकि सम्पूर्ण राष्ट्र में शिक्षा का परिवेश मूल्यों के संक्रमण से प्रदूषित हो रहा है। छात्र जीवन प्रदूषण का शिकार हो रहा है, युवक बिगड़ नहीं रहे, बिगाड़े जा रहे हैं। अतः शिक्षा के परिवेश के परिमार्जन की आवश्यकता व परिष्कार की अपेक्षा के साथ इस अधिनियम में लिखा है कि 'यह अधिकार इस बात का आश्वासन देता है कि प्रत्येक गाँव, मजरा, ढाणी में एक राजकीय/गैर राजकीय विद्यालय होगा जिसमें बालक की शिक्षा की मूलभूत आवश्यकतापूर्ण करने के समस्त संसाधन मौजूद होंगे। जिससे सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर, दलित, पिछड़े वर्ग के बालकों को शिक्षा की सर्व-सुलभताएँ प्राप्त होंगी।'

इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए राजकीय एवं निजी संस्थाओं के लिए निम्नांकित प्रावधान रखे गये हैं– (1) राज्य के समस्त सामान्य विद्यालयों में 6-14 वर्ष तक के समस्त वर्ग के बालकों को अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क पाने का अधिकार है। स्पष्ट है कि यह प्रावधान 6-14 वर्ष के सभी बालकों को उनके बाल अधिकार दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। यह विधेयक सर्व शिक्षा अभियान की तरह ही देशव्यापी परिवर्तन लाने में सक्षम होगा, ऐसी उम्मीद है। (2) निजी विद्यालयों द्वारा प्रवेश के लिए कैपीटेशन शुल्क लेना प्रतिबंधित है, ऐसा करने पर दस गुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है। (3) गरीबों व दलितों के उत्थान की भावना को ध्यान में रखते इस अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया है कि सभी केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, गैर अनुदानित विद्यालयों में दलित व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के बालकों के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। इस प्रावधान से बीपीएल परिवार तथा निम्न वर्ग के बच्चे अपनी प्रतिभा को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे साथ ही उनकी प्रतिभा का लाभ समाज को प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यह विधेयक इन वर्ग के बालकों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि इस विधेयक की धारा-16 में वर्णित किया गया है कि 6-14 आयु के बालकों की शिक्षा का व्यय राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। (3) प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की पूर्व परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता। इसका उल्लंघन करने पर 25 से 50 हजार रुपये दण्ड दिया जा सकता है। निःशक्त बालकों, मन्दबुद्धि एवं आयु के अनुसार पिछड़े बालकों को आगे बढ़ाने हेतु इस विधेयक की धारा 14 में स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी विद्यालय किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकता है। किसी भी संस्था-प्रधान को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी बालक को टी.सी. नहीं लाने पर विद्यालय में प्रवेश न दे। अतः यह विधेयक बालक को हर स्थिति में शिक्षा का अधिकार देता है। (4) प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक बोर्ड परीक्षा का प्रावधान समाप्त कर दिया है। साथ ही इस

स्तर तक की पूरी होने तक किसी भी छात्र को फेल करना, विद्यालय से निष्कासित करना प्रतिबंधित है। विधेयक की धारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि चाहे कोई बालक बीच में पढ़ाई छोड़ दे तथा फिर से पढ़ना चाहें तो उसे उनकी उम्र के आधार पर उचित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। (5) शिक्षकों के लिए working hours बढ़ाने का प्रावधान भी इस अधिनियम के तहत रखा गया है साथ ही शिक्षकों को जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा प्रबन्धन के राष्ट्रीय सरोकार के मुद्दों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखा गया है। वैसे working hours बढ़ाने से बालकों को शिक्षक के साथ रहने का ज्यादा अवसर मिलेगा परिणामस्वरूप वे अपनी व्यक्तिगत, शैक्षिक व सहशैक्षिक समस्याओं का निराकरण आसानी से कर सकेंगे। (6) शिक्षकों के लिए ट्यूशन करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इससे गरीब व मानसिक रूप से कमजोर छात्रों को फायदा मिलेगा क्योंकि इस अधिनियम के तहत कमजोर छात्रों के लिए संस्था प्रधान द्वारा विशेष शिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। (7) बगैर राज्य सरकार की मान्यता विद्यालय नहीं खोला जा सकता है। यदि ऐसा पाया जाता है तो एक लाख रुपये के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। साथ ही कानून लागू होने के छः महीने के भीतर टी.ई.टी. उत्तीर्ण शिक्षकों से निर्धारित पदों को भरना आवश्यक होगा। इससे शिक्षा के स्तर में गुणात्मक वृद्धि होगी ऐसी विश्वास है। (8) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए छात्र शिक्षक अनुपात अर्थात् पाँचवीं कक्षा तक 30 बच्चों पर एक शिक्षक तथा 6 से 8 कक्षा में प्रति विषय पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। इससे शिक्षकों की कमी दूर होगी साथ ही शिक्षित बेरोजगारी भी कम होगी। (9) कक्षा पाँच तक 200 दिन और कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन स्कूल चलना अनिवार्य है। इन प्रावधानों के पर्यवेक्षण के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तथा नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की व्यवस्था की गई है।

इन सभी प्रावधानों में जिस आदर्श शिक्षण व्यवस्था की रूपरेखा निर्धारित की गई है उसे मूर्त रूप प्रदान करना आज की विषम परिस्थितियों में एक बहुत बड़ी चुनौती है।

हम देखते हैं कि आज दिन-प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शैक्षिक वातावरण शनैः-शनैः लुप्त सा हो गया है। लम्बे प्रयासों के बाद भी बच्चे वास्तविक शिक्षा से वंचित ही रह जाते हैं। शैक्षिक वातावरण के अभाव में वे बिना पढ़े-लिखे सदृश्य ही बने रहते हैं। हमारा आज का पाठ्यक्रम स्वार्थों से परिपूर्ण व राजनीति से प्रेरित है जिसके कारण छात्रों को सही दिशा-निर्देश नहीं मिल पाते हैं।

जब हम बेसिक पाठ्यचर्या पर विचार करते हैं तब देखते हैं कि आज मिड-डे मिल की व्यवस्था ने पढ़ाई बिल्कुल चौपट कर दी है। जनसाधारण के हितार्थ स्थापित शिक्षा के विशाल प्रासाद की आधारभित्ति प्राथमिक शिक्षा जिसकी सुदृढ़ता, स्थायित्व पर गाँधीजी सहित अनेक शिक्षाविदों, शिक्षाप्रेमियों, राष्ट्रोत्थान के लिए समर्पित मनीषियों ने विशेष ध्यान दिया है को जर्जर, निष्प्राण बनाने की हमारी नीयत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। क्योंकि जनगणना, निर्वाचन, पोलियो, मतदाता सूची निर्माण और अन्य प्रकार की समय पर आने वाली नित्य नई योजनाओं के क्रियान्वयन प्रचार-प्रसार सब कुछ तो प्राथमिक शिक्षक की सेवा का अनिवार्य अंग बना दिया है।

आज हमारे समक्ष दुरन्त प्रश्न बुद्धि को व्यथित कर रहा है– 'एक ध्वज, एक संविधान, फिर क्यों नहीं है शिक्षा एक समान ?' समाजवाद की पृष्ठभूमि पर खड़े होकर समता का शंखनाद और शिक्षा की तिहरी व्यवस्था? अमीर के साथ गरीब पढ़ भी नहीं सकता? श्री कृष्ण-सुदामा की आदर्श परम्परा को तिलांजलि और समाजवाद का घोष। क्या ऐसे में सबको मिलेगा शिक्षा का समान हक, लगता है धरातल पर कदमों को संभाल कर रखे बिना आकाश के तारागण को निहारते हुए दौड़ना स्वभाव बन गया है बल्कि हम भली-भाँति जानते भी है कि यथार्थ अनुसंधान के बिना आदर्श सदैव अप्राप्य होता है। फिर यथार्थ का परित्याग करके मात्र औपचारिकता पर विश्वास करना किस नियति को निमन्त्रण है।

काश कितना अच्छा होता शिक्षक को सभी भारों से मुक्त करके स्वस्थ मनमस्तिष्क से नई-नई तकनीक और मनोविज्ञान की मनोमयी ज्ञान-विज्ञान की युक्तियाँ सिखाकर हर प्रकार से शिक्षा प्रदान करने में ही प्रयोग किया जाता। साथ ही शासनाधीन सभी संस्थानों को साधन-सम्पन्न बनाकर अद्यतन मानसिकता के अनुकूल आकर्षण का केन्द्र बनाने में शक्ति का प्रयोग किया जाता। जिससे शिक्षा को महँगी दुकानों पर लुटने-लुटाने से रोका जा सकता।

'शिक्षा का हक' अभियान सफल हो इसके लिए वर्तमान शिक्षा की दुर्दशा जो इस प्रकार है पर विचार करना नितान्त आवश्यक होगा।

(1) सरकार की उदार शिक्षा नीति के चलते प्राइवेट स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं। (2) विद्यालयों में बिल्डिंग है, साज-सज्जा है, मनोरंजन के साधन है लेकिन शैक्षिक वातावरण का अभाव दिखाई पड़ता है। (3) शिक्षकों की इतनी कमी है कि एक साथ दो या तीन कक्षाओं को बिठाकर शिक्षण करवाया जाता है जिससे कालांश व कक्षा का अनुपात तो गड़बड़ाता है ही साथ ही प्रभावी शिक्षण एक चुनौती लगता है। (4) शैक्षिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार ने दस्तक दे दी है। परिणामस्वरूप न छात्र स्कूल जाना चाहता है और न अध्यापक क्लास में जाना चाहता है। परीक्षा पास करने में नकल को मुख्य हथियार बनाकर सफलता का प्रयास विद्यार्थी द्वारा किया जाता है।

ऐसी विषम परिस्थितियों में भी 'शिक्षा का हक' व बाल शिक्षा अधिनियम सफल हो इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार किए जाएँ। क्योंकि शिक्षा के मानदण्ड व मापदण्ड परिवर्तित होते चले गए हैं। सैद्धान्तिक शिक्षा ही सम्प्रति शिक्षण संस्थाओं में दी जा रही है। उसे व्यावहारिक फलक प्रदान करने की आवश्यकता है। अर्थात् व्यावसायिक शिक्षा, जीवन-मूल्यों की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की महती आवश्यकता है।

आइए, हम सभी अपने-अपने स्तर से अद्यतन परिवेश में चाहे जैसी भी स्थिति परिस्थिति है 'शिक्षा का हक' अभियान को सफल बनाने का संकल्प लें।

जन-जन को शिक्षा का, अधिकार दिलाये।
सबको मिले शिक्षा, ऐसा वातावरण बनाये॥

–रा.उ.प्रा.वि. सोनियाना
पो. गिलूण्ड, राजसमन्द

शिविरा विचार मंच

शिक्षा का अधिकार : एक रास्ता यह भी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया है। इस महत्वपूर्ण कानून की क्रियान्विति के लिए राजस्थान सरकार ने विस्तृत नियम तैयार कर 29 मार्च 2011 को जारी कर दिए हैं। शिक्षा का हक अभियान भी चल रहा है ताकि अभिभावकों तक इस कानून की जानकारी पहुँच सके। बैठकें, कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षकों के सुझाव प्राप्त करने के लिए शिविरा विचारमंच से 'शिक्षा का अधिकार : एक रास्ता यह भी' के अन्तर्गत प्राप्त विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। –ब.सं.

करें बच्चे का स्वागत

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होते ही सबके लिए शिक्षा का बिगुल बज चुका है। वर्षों से शिक्षा के प्रकाश का इंतजार कर रहे लोगों के द्वार पर शिक्षा की रोशनी आ चली है। आईए इल्म के इस अद्भुत अभियान का स्वागत करें। स्वागत उसका भी करें जिसे पढ़ना है तथा स्वागत व सत्कार उनका भी करें जिन्हें पढ़ाने के यज्ञ में पुरोहित की भूमिका निभानी है। स्वागत में मंगलगान, वंदनवार, रोली-मोली, अक्षत, पुष्प वृष्टि सब होना चाहिए। आज वो बालक सज सँवर कर स्कूल आ रहा है जिसने अब तक स्कूल का रास्ता नहीं देखा था। निदा फाजली ने कितना सटीक कहा है– *घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें।/किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाये।*

माँ-बाप और अभिभावकों को समझना है वक्त के इस नूतन मोड़ को। समय ने अंगड़ाई ली है। अध्यापकों को अपने हुनर को अजमाने का अद्भुत अवसर मिला है। वे ज्ञान के संवाहक हैं। वे चार्जर हैं। अपनी ऊर्जा से बच्चों को चार्ज करना है। माँ-बाप से दोस्ताना सम्बन्ध बनाकर बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाना है। अध्यापक का परिवार बहुत बड़ा होता है। आखिर सभी बच्चे उन्हीं के तो हैं। उन्हें वात्सल्य भाव देकर अपना बनाना है। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना है। भामाशाहों का सहयोग प्राप्त करता है। पढ़ाई में नए-नए प्रयोग करने हैं। परीक्षा के भय से उन्हें मुक्त करना है लेकिन मूल्यांकन बराबर करते रहना है। छूट न जाए कोई बालक। कोई चूक न हो जाए उनकी खिदमत करने में। आखिर वे हमारे भगवान ही तो हैं। बच्चे को भगवान कहा जाता है। खेल के मैदान में बच्चों को खेलने-कूदने का अवसर दें। उन्हें गाने, गुनगुनाने, बोलने, हँसने की आजादी दें। उन्हें अहसास करवाएँ कि वे कमजोर नहीं हैं। फिर भी कभी-कभार वे कमजोरी की कोई बात कहेंगे; मगर हमें तरीके (मनोवैज्ञानिक) से उनकी कमजोरी का इलाज करना है। नया सत्र शीघ्र ही आने को है। हमें नए कानून के अनुसार सभी काम करने हैं। बच्चे की महिमा को स्वीकार कर स्वयं को महिमावान सिद्ध करना है। जय शिक्षा ! जय बालक ! जय जय बालक !!

–ज्ञान चन्द मौर्य, उप निदेशक (माध्यमिक)
जयपुर सम्भाग, जयपुर

अभिभावकों का मिले सहयोग

शिक्षा का अधिकार कानून के जरिए मिल पाना निःसंदेह बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया था कि आगामी दस वर्षों में राज्य द्वारा 6-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार 1960 तक इस आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के अध्ययन-अध्यापन की मुकम्मल व्यवस्था की जानी थी। यद्यपि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध करवाने की दिशा में प्राथमिकतापूर्वक कार्य किए गए तथापि जिस प्रकार अब बकायदा एक कानून बनाकर प्रारम्भिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया गया है, वह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। इस कदम का असर आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से दिखाई देगा।

अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार में सरकार ने अपने उत्तरदायित्व को बखूबी स्वीकार कर तद्नुसार व्यवस्थाएं की है। उदाहरण के लिए कक्षा आठवीं तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा; पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है; स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है, निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई हेतु नियमों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है आदि-आदि। इस प्रकार सरकार ने अपने पक्ष को अच्छी तरह समझकर पूरा करने का प्रयास किया है। विद्यालय एवं शिक्षकों के लिए भी करणीय कार्य स्पष्ट कर दिये गये हैं। विद्यालय स्तर पर प्रबन्ध समितियों (School Management Committees) का भी गठन किया गया है।

बच्चों की शिक्षा में विद्यालय एवं शिक्षकों के साथ उनके माता-पिता की अहम् भूमिका होती है। उम्मीद की गई है कि वे शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं एवं कानून को देखते हुए अब अपने सभी बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। विद्यालय प्रबंध समिति एवं शिक्षक ऐसा करने के लिए माता-पिता को समझाइश करेंगे (जहाँ आवश्यकता होगी)। वास्तव में देखा जाए तो बच्चे की पढ़ाई के लिए सबसे पहले उसके अभिभावक का जागरूक व सहमत होना जरूरी है। अध्यापक कब तक उन्हें समझाते बच्चों को लाते रहेंगे। यदि यही काम वे करते रहे तो फिर पढ़ाने का समय कब मिलेगा? अतः अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की सफलता के लिए लक्ष्य समूह के बालक-बालिकाओं के माता-

पिता एवं अभिभावकों का अन्तःप्रेरणा से जागरूक होकर सहयोग करना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रभावी शाला प्रबन्धन समितियाँ भी बच्चों को नामांकित करवाकर पक्के ठहराव का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

–बी.के. शर्मा, प्रधानाध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रेजीडेंसी, जयपुर

प्रभावी हो शाला प्रबन्ध समितियाँ

किसी भी कल्याण-कारी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व यह होता है कि वह प्राथमिकता से शिक्षा, चिकित्सा एवं रोजगार की सुविधाएँ अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाएँ। इनमें शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है क्योंकि शिक्षा में वह ताकत है जो अन्य सुविधाओं की संप्राप्ति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देती है। शायद इसी कारण से विद्यादान को महादान कहा गया है। इसी महत्व के कारण शिक्षक को समाज में इतना ऊँचा स्थान प्राप्त है। उसे भगवान से भी बड़ा माना जाता है।

अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लागू होना न केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही अपितु मानव संसाधन विकास की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हुआ है। इसमें शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, अभिभावकों आदि सबके लिए करणीय कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। सबसे बड़ा काम इस व्यवस्था में विद्यालय प्रबन्धन समितियों के गठन का है। इससे स्कूलों के कार्यों में लोकतांत्रिक ढंग से अभिभावकों एवं आमजन की सक्रियता सुनिश्चित हो जाएगी। अनुभव कहता है कि जहाँ कहीं भी विद्यालय विकास समितियाँ अथवा अध्यापक-अभिभावक परिषदें सक्रिय रही हैं; वहाँ स्कूलों में संसाधन जुटाने से लेकर दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों में भी पर्याप्त सुविधा मिली है। अतः शाला प्रबन्ध समितियों को प्रभावी बनाकर शैक्षिक एवं सहशैक्षिक वातावरण को सरस बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विद्यालयों के भौतिक पक्ष, विशेषकर नये निर्माण एवं मरम्मत कार्यों, फर्नीचर एवं अन्य संसाधन जुटाने में शाला प्रबन्धन समितियाँ बहुत ही कारगर भूमिका निभा सकती हैं।

शाला प्रबन्ध समितियों को कारगर बनाने के लिए आवश्यक है कि इनके सदस्यों की न केवल विधान में वर्णित प्रावधान के अनुसार यथा समय आवश्यक बैठकें ही हों वरन् इनके सदस्यों का व्यापक प्रशिक्षण एवं समय-समय पर आमुखीकरण भी किया जावे ताकि वे अपने रोल के बारे में स्पष्ट होकर प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें।

–गुरजीत सिंह बराड़, प्रधानाचार्य
रा.उ.मा.वि., तामकोट (श्रीगंगानगर)

महत्वपूर्ण है जन सहभागिता

शिक्षा की Basic Philosophy यह है कि शिक्षा की जिम्मेदारी समाज की है और उसे इस उत्तरदायित्व को स्वीकार भी करना चाहिये। समाज ही बालक-बालिकाओं को विद्या अध्ययन के लिये शालाओं में प्रवेश दिलाए तथा उनका नियमित आना सुनिश्चित करे। यहाँ तक की बालक-बालिकाएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें इसकी निगरानी भी समाज करें। इसी के मद्देनजर राजस्थान के प्रत्येक विद्यालय में School Management Committee (S.M.C.) (शाला प्रबन्ध समिति) का गठन अनिवार्य रूप से किया गया है जो रजिस्टर्ड संस्था के रूप में कार्यरत है। इस समिति में अधिकांश अभिभावक हैं जिसमें महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व है तथा सभी जातिवर्ग के सदस्यों को भी जोड़ा जाने का प्रावधान किया गया है। इस समिति का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी अभिभावक ही होता है। सचिव विद्यालय का संस्थाप्रधान होता है। यह सत्य है कि आज भी कई बालक-बालिकाएं विद्यालय से जुड़ना शेष है तथा जो प्रवेश ले चुके हैं उनका विद्यालय में नियमित बने रहना जरूरी है, क्योंकि SMC में अधिकांश सदस्य अभिभावक तथा जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वे गाँव की परिस्थिति तथा परिवारों की वस्तुस्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं अतः वे RTE शिक्षा के अधिकार कानून के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए समिति के सचिव जो विद्यालय का संस्था प्रधान है उसके लिए जरूरी है कि वह समन्वय व सहयोग प्राप्त करने की सोच पर बल देवें, समिति को गतिशील बनायें, नियमित बैठकें करें, सभी को अपने विचार रखने का अवसर मिले। सकारात्मक व विकासात्मक सोच का वातावरण तैयार करें। शाला प्रबन्धन समिति का गठन कर लेना ना काफी है वरन् इसका सक्रिय होना जरूरी है यदि ऐसा होता है तो प्रत्येक बालक-बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार वास्तव में मिल जायेगा। इसके लिए केवल शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपकर इतिश्री नहीं समझी जावे। हाँ, शिक्षक व संस्था प्रधानों को समिति के साथ पूर्ण मनोयोग से जुड़कर समग्र सम्पर्क अभियान चलाना होगा। प्रत्येक बालक-बालिका की विद्यालय पहुँच का ध्यान रखना होगा, उसके लिए जरूरतमंद पोशाक, अध्ययन सामग्री व अन्य सुविधाओं को जुटाने के लिए तत्पर रहना होगा। मिडडेमील की पौष्टिकता व आवश्यकताओं की भी निगरानी करनी होगी। शिक्षकों की कक्षाओं में उपस्थिति व शिक्षण की प्रभावशीलता पर भी चर्चा करती रहनी होगी। विद्यालय परिवेश को बच्चों के अनुकूल बनाना होगा। बच्चों के स्वास्थ्य व खेलकूद सभी तथ्यों की जाँच भी जरूरी है। बच्चों के लिए लागू सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उनको मिल जाये इसके प्रति भी सतर्क रहना होगा। पारदर्शिता के साथ यह सब जिम्मेदारी शाला प्रबन्ध समिति को लेने के लिए तैयार रहना चाहिए।

–ओम प्रकाश झँवर,
प्रधानाचार्य, भीलवाड़ा

प्रबन्ध सूचना तंत्र हो मजबूत

अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात् हमारे प्रान्त के अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी विस्तृत नियम अधिसूचित होकर प्रभावी हो गए हैं। यह देश एवं प्रदेश के शैक्षणिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका सकारात्मक प्रभाव निःसंदेह आने वाले कल में दिखाई देगा।

प्रबन्ध व प्रशासन यह कहता है कि आप जिस कार्य को करना एवं करवाना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित सूचनाएं यथा समय-यथा विधि कार्य करने के लिए उत्तरदायी हाथों में पहुँचे। इन सूचनाओं में अधिनियम (Act), नियम (Rule), आदेश, परिपत्र, निर्देश आदि सम्मिलित हैं। कई बार देखा जाता है कि सम्बन्धित सूचनाएं विलम्ब से पहुँचती हैं। ऐसी स्थिति में उनका पालन कैसे होगा? जब अनुश्रवण (Follow up) करने का वक्त आता है; तब तो सूचना मिलती है। शिक्षा विभाग की विशालता के कारण ऐसा होना ज्यादा सम्भावित रहता है। स्वयं के जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा रहने के कारण मेरा यह अनुभव है।

अनिवार्य शिक्षा अधिकार कार्य में इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस कार्य को हमारे विभाग की प्रतिष्ठित पत्रिका शिविरा अंजाम दे सकती है। मेरा एक अनुभव बाँटना चाहता हूँ। वर्तमान सत्र 2011-12 की जिले की प्रधानाध्यापक वाक्पीठ में हमारे जिले के सभी संस्था प्रधान (मावि/उमावि) शिविरा पत्रिका के एक साथ ग्राहक बने। सदस्य बनने के पीछे कारण हमारे तत्कालीन शिक्षा आयुक्त श्री भास्कर ए. सावन्त द्वारा शिक्षकों के नाम लिखी भावपूर्ण पाती थी जो उन्होंने स्वयं ग्राहक बनकर जारी की थी, यानी पहले स्वयं पर लागू किया तथा बाद में दूसरों को सदस्यता लेने के लिए आग्रह किया। वे तो प्रधान सम्पादक थे। उन्हें पैसा जमा करवाकर ग्राहक बनने की कहाँ आवश्यकता थी, लेकिन Charity begins at home के सिद्धान्त को उजागर करते हुए उन्होंने ऐसा किया। आयुक्त महोदय की यह पाती फोटो स्टेट करवाकर हमने वाक्पीठ में सभी संस्था प्रधानों को बाँटी जिसका बहुत प्रभावी असर हुआ। इस प्रकार निजी तौर पर सदस्यता लेने वाले संस्था प्रधानों की संख्या लगभग 350 है।

मैंने यह अनुभव किया है कि विगत वर्षों में जितने फोन/व्यक्तिगत सम्पर्क संस्था प्रधानों द्वारा अमुक-अमुक सूचनाओं के लिए किये जाते थे; वह आवृत्ति अब शून्य प्रायः हो गई है बल्कि इसके विपरीत कई बार किसी संस्था प्रधान के मिलने अथवा फोन पर बातचीत के दौरान यदि किसी सूचना के बारे में याद दिलाते हैं तो वह तपाक से कह उठता है– अजी, यह तो हमने शिविरा में पढ़ ली। यह मेरा स्वयं भोगा यथार्थ है। शिविरा पत्रिका विभाग की प्रबन्ध, सूचना तंत्र (MIS) की मेरुदण्ड है। अतः इस मेरुदण्ड को मजबूत किए जाने से हमारी सूचना, सम्प्रेषण तथा उनके प्रबन्ध व प्रबोधन की अनेक समस्याएँ स्वतः ही हल होती चली जाएगी। मुझे अपने जिले के प्र.अ./प्रधानाचार्यों पर गर्व है। क्योंकि वे स्वाध्यायी एवं सृजनशील हैं। आखिर वे शत-प्रतिशत शिविरा के निजी तौर पर सदस्य जो हैं।

–जगदीश चन्द्र दशौरा, शै.प्र.अ.
कार्यालय जि.शि.अ. (माध्यमिक), चित्तौड़गढ़

शिक्षक में करें विश्वास

बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक कानून के रूप में मिल जाना निःसंदेह इस दौर की बड़ी घटना है। यह उल्लेखनीय है कि इंग्लैण्ड में बच्चों को शिक्षा का हक सन् 1870 में ही मिल गया था। भारत में एक सदी पहले श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में भारत के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का कानून बनाए जाने की माँग की थी। जब देश आजाद हुआ और हमारा अपना संविधान बनाया जाने लगा तब शिक्षा व्यवस्था के बारे में काफी चिन्तन-मनन हुआ। तब संविधान के नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 45) में सम्मिलित किया गया कि सरकार 14 वर्ष के सभी बालक-बालिकाओं हेतु आगामी दस वर्षों यानी 26 जनवरी 1960 तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इस प्रकार भारत सरकार का अनिवार्य शिक्षा की तरफ अवधान शुरू दिन से ही रहा है।

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू हो चुका है। इसमें विभिन्न पहलुओं को यथा स्थान स्पष्ट किया गया है। अब उनकी पालना करने तथा करवाने का काम शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं आम आदमी को करना है। इनमें भी शिक्षक प्रमुख है। यद्यपि हमारे चिन्तन में शिक्षक को एक उच्च आदर्शवान व्यक्ति के रूप में देखा गया है तथापि शिक्षक होने से पहले वह भी एक इंसान है। उसके भी अरमान होते हैं। उसकी भी सीमाएँ होती हैं। उसमें विश्वास किया जाना आवश्यक है। वह बच्चे को सहारा देने वाला है लेकिन उसे भी तो किसी के सहारे की जरूरत हो सकती है। उसे सम्मान चाहिए। प्रेम व आत्मीयता के दो शब्द चाहिए। स्वयं अपने तथा परिवार के भरण-पोषण व सुरक्षा का इंतजाम चाहिए। वेतन, भत्ते एवं प्रमोशन भला किसे लालायित नहीं करते। विशेषकर प्राईवेट स्कूलों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षक को इतना कुछ मिले कि अन्य वैकल्पिक रोजगार अथवा साइड बिजनेस ढूँढ़ने का विचार ही उसके मस्तिष्क में न आये। शिक्षक में विश्वास करने तथा व्यावसायिक एवं विषयगत कौशल के विकास के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। वस्तुतः जिला स्तरीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) से लेकर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों (IASE'S) तक का प्रभावी संचालन किया जाना आवश्यक है। इन्हें साधन सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने के साथ शोध एवं अनुसंधान हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए। सार बात यह है कि अच्छे शिक्षकों से अच्छा समाज और अच्छे समाज से अच्छा राष्ट्र बनेगा।

–दुली चन्द शर्मा
जि.शि.प्र.सं. (डाईट), हनुमानगढ़

झोला पुस्तकालय-6

सरकारी स्कूल में सरकार

❑ शिवरतन थानवी

पत्र-पत्रिकाएं पढ़ता हूँ तो लगता है कभी कि जो मिले उसको भी यह लेख या इसका यह अंश पढ़वा दूँ। जैसे सिनेमा में होता है, टी.वी. सीरियल में होता है, और पुस्तकों में भी होता है, कि हमने जो देखा-पढ़ा है उसे हमारे मित्र-बंधु भी देखें-पढ़ें ऐसी हमारी तीव्र इच्छा होती है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो हमने पढ़ी तो और पढ़ने के पश्चात मित्रों से देकर कहा कि तुम भी पढ़ो। सिनेमा और टी.वी. सीरियल तो देने-लेने की चीज नहीं होती किन्तु दिल को छू जाती है कोई बात, या मस्तिष्क को झकझोर देती है कोई बात, तो कहे बगैर रहा नहीं जाता।

पुस्तकों की तरह पत्रिकाओं में भी कोई नई बात ऐसी पढ़ने को मिल जाती है जो आप सबको बताने को मेरा मन हो जाता है। आपको भी ऐसे अनुभव जब भी हों, मित्रों को जरूर बताते होंगे? बताते रहना चाहिए। मित्रों को लाभ होगा, वे आपका उपकार मानेंगे। मैं भी खुश होता हूँ जब मुझे कोई आ कर कहता है कि अमुक पत्रिका में ऐसा छपा है, पढ़ा कि नहीं? ऐसा अक्सर होता है कि वह मैंने नहीं पढ़ा होता है। या तो मेरी नजरों से निकल गया होता है या वह अंक मेरे एरियर की पत्रिकाओं में कहीं दब गया होता है। आप जानते ही हैं हम जितना अधिक जागृत रहेंगे उतना ही अधिक चूकेंगे भी। जितना अधिक जानेंगे उतना ही अधिक अनजाना भी पड़ा रहेगा। चरैवेति, चरैवेति।

ज्ञान अब पूँजी का अनुचर : आर्थिक उथल-पुथल के संदर्भ में आइए पढ़ें हम प्रख्यात कवि-लेखक अशोक वाजपेयी की मीमांसा ज्ञान और पूँजी पर दिल्ली की मासिक 'आउटलुक' (हिंदी) में।

'ज्ञान/सूचना और कौशल में हमारे समय में लगातार घालमेल हो रहा है। ज्ञान का नए किस्म का पूँजीवाद विकसित हो रहा है। ज्ञान अब पूँजी का अनुचर है। अगर पास में रुपया हो तो ज्ञान मिलेगा अन्यथा अधिक से अधिक कौशल और जानकारी से ही संतोष करना पड़ेगा। हमारे समय का चालू मुहावरा है, जितना पैसा उतना ज्ञान। अधिकांश लोग, खासकर युवा, इस मानसिकता के चलते ज्ञान पाने की महत्वाकांक्षा भी नहीं रखते। अपार, अथक और असामान्य जानकारी मिल रही है। उसे समझने और नम्बर कर ज्ञान में बदलने का कौशल ज्यादातर के पास नहीं है। सोचने-विचारने पर नहीं, करने पर जोर है। सोचने विचारने का काम हममें से अधिकांश के लिए दूसरे ही करते हैं। ये दूसरे काम ही हैं, कमतर होते जाते हैं। बिना सोच-विचार के ज्यादातर जिंदगी ठीक ही चलती है। भूमंडलीकरण का, जिसे कवयित्री अनामिका ने उचित ही भूमंडीकरण कहा है, एक फल यह है कि हमारी नकल-चीपन की परम्परा बहुत पुष्ट और सशक्त, बहुत व्यापक और लोकप्रिय हो गई है। भूमंडलीकरण दरअसल पश्चिमीकरण का ही एक नया संस्करण है। बल्कि पश्चिमीकरण का नहीं, अमेरिकीकरण का। हमारा पढ़ा-लिखा, लेकिन दिन-ब-दिन सांस्कृतिक रूप से निरक्षर हो रहा, मध्यवर्ग भूमंडलीकरण से सबसे अधिक लाभान्वित और उत्साही अनुयायी है। इस स्थिति का एक अंतर्विरोध यह है कि एक ओर तो वह अधिकांशतः निजी सफलता और लोभ से परिचालित है और दूसरी ओर उसमें निजी व्यक्तित्व या किसी तरह की निजता का कोई अहसास या जरूरत नहीं है।...

'समूची दुनिया में भूमंडीकरण ने 'व्यक्ति' और 'समाज' जैसे मानवीयता के नियामक और क्रांतिकारी आविष्कारों को गायब होने की हद तक पहुँचा दिया है। समाज को बाजार अपदस्थ कर रहा है। सार्वजनिकता इस कदर बढ़ रही है कि निजता के लिए कोना-अंतरा भी नहीं बच पा रहा है। यह सार्वजनिकता कई मायनों में सामाजिकता का क्षरण प्रकट कर रही है। हम अब सार्वजनिक अधिक हैं, सामाजिक कम। बढ़ती साम्प्रदायिकता, धर्मांधता और जातीय कट्टरता इसी सार्वजनिकता के अधिक हिंसक और खतरनाक रूप हैं।...

'हम इस कदर विश्व नागरिक हो रहे हैं कि भारतीय होना हमारे लिए जरूरी और वांछनीय नहीं रह गया है। अपनी सारी स्थानीयताओं का लोप होते देखकर, जिनमें दरअसल सदियों से हमारी सच्ची भारतीयता, बहुलता आदि रची-बसी रही हैं, हम एक पंचमेल भारतीयता विकसित कर रहे हैं जिसमें जोर एकतानता और एकरूपता पर, एकात्मता पर है, हमारी समय-सिद्ध बहुलता पर नहीं। अजब विडंबना है कि ऐन उस वक्त जब दुनिया में बहुलता का स्वीकार और आदर करने के लिए भारत के उदाहरण को अनुकरणीय या कम से कम विचारणीय माना जा रहा है स्वयं भारत का मध्यवर्ग, उसका अधिकांश, उस बहुलता को अपनी सफलता के स्वर्णस्वप्न के आड़े ला रहा है। भाषायी, धार्मिक, सांस्कृतिक बहुलता से वह छुटकारा पाना चाह रहा है।'

–आउटलुक (हिंदी) अगस्त 2011

ठीक कहा अशोकजी ने कि हम अब सार्वजनिक अधिक हैं, सामाजिक कम। इसी सार्वजनिकता की अधिकता का ही फल है कि हम अधिक से अधिक सांप्रदायिकता, धर्मांधता और जातीय कट्टरता के हिंसक और खतरनाक रूप की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। हर शिक्षक के लिए क्या यह सोचनीय बात नहीं?

इरोड का अनुकरणीय कलेक्टर : एक खास बात चार पत्रिकाओं में नजर आई मुझे। बात है पश्चिमी तमिलनाडु के पिछड़े हुए जिले इरोड के कुमलन कुट्टई ग्राम पंचायत संघ की वीरप्पांचतंत्रम पंचायत प्राथमिक स्कूल की। इसमें प्रवेश दिलाने आये कलेक्टर स्वयं श्री आर. आनन्दकुमार अपनी छह साल की बच्ची गोपिका को। साथ में थी उनकी पत्नी श्रीमती एम. श्रीविद्या और दोनों चुपचाप खड़े थे प्रवेश दिलाने आये अन्य अनेक माता-पिताओं के बीच एक लम्बी लाइन में। पहनावा बता रहा था कि बाकी सब के सब गरीब थे। रंगरेज, ऑटो रिक्शा चालक, जुलाहे, दैनिक मजदूरी करने वाले आदि। प्रधानाध्यापिका समझी स्कूल का

निरीक्षण करने आये होंगे। किन्तु बाहर आकर देखा तो पता चला कि वे अपनी बच्ची को प्रवेश दिलाने आये थे। वे लाइन में ही खड़े रहे और बारी आने पर ही प्रवेश कराया। कोई भाषण नहीं दिया, अपने मातहतों को भी सरकारी स्कूल में भरती कराने को मजबूर नहीं किया। जिज्ञासा किसी ने की तो मात्र इतना ही उत्तर दिया कि 'यह मेरा निजी निर्णय है।' इसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा।

पूरे हिंदुस्तान ने दाँतों तले अंगुली दबाई। अखबारों की यह पहले पेज की खबर बनी, टी.वी. चैनलों ने बढ़-चढ़ कर बताई यह बात अपने दर्शकों को। दिल्ली की साप्ताहिक पत्रिका 'शुक्रवार' का संपादकीय लिखा प्रसिद्ध साहित्यकार और संपादक विष्णु नागर ने। शीर्षक दिया ''इस कलेक्टर की 'हिम्मत' तो देखो'' और पूरे एक पेज की टिप्पणी लिखते हुए व्यक्त किया– देखते हैं इस कलेक्टर के इस उदाहरण का कहाँ क्या असर पड़ता है। ...उम्मीद है कि आनन्दकुमार की यह बेटी भी जब बड़ी होगी तो अपने माता-पिता को धन्यवाद देगी कि उन्होंने इतना साहसिक फैलता लेकर उसकी जिंदगी को ही बदल दिया। और क्या पता वह आदर्शवादिता में अपने माता-पिता से भी आगे कुछ कर दिखाए।

'इस उदाहरण के बाद कम से कम यहाँ की सरकार को तो सोचना चाहिए कि वह सरकारी अधिकारियों के बच्चों का इन स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य करे ताकि इन स्कूलों का ही नहीं, भविष्य में देश का नक्शा भी बदले। ज्यादातर निजी स्कूल तो एक तरह के नरक हैं, ऐसे नरक जिनमें अपने बच्चों को भेजना हम अनिवार्य मान चुके हैं। लेकिन तमिलनाडु का एक युवा जोड़ा इस सोच के बाहर आ सकता है तो बाकी क्यों नहीं?

–शुक्रवार 24-30 जून 2011

खबर है कि जब पंचायत को पता चला कि इस स्कूल में कलेक्टर की बच्ची पढ़ेगी, तो सरपंच आदि ने वहाँ सारी सुविधाएँ मुहैया करा दीं, जो कि जाहिर है कि इससे पहले भी मुहैया कराई जा सकती थीं मगर नहीं कराई गई थीं।

दूसरी पत्रिका है जोधपुर का दैनिक 'जलते दीप', इसमें श्री प्रमोद भार्गव ने संपादकीय पृष्ठ पर एक बड़ा लेख लिखा जिसमें उन्होंने कहा– 'जब राजनेताओं, नौकरशाहों और यहाँ तक कि आम आदमी में भी उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमों के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जद्दोजहद चरम पर हो, तब एक जिलाधीश द्वारा तमिल माध्यम के साधनविहीन विद्यालय में बेटी का नाम दर्ज कराना एक ऐसी आदर्श और अनूठी पहल है, जिसे समान शिक्षा का कारगर उपाय माना जा सकता है।... कलेक्टर आनन्द का आचरण इसलिए भी अनुकरणीय है क्योंकि उन्होंने बेटी का दाखिला पत्नी श्रीमती विद्या के साथ कतार में लग कर एक साधारण नागरिक की तरह तो कराया ही, शाला के अध्यापकों को निर्देश भी दिया कि उनकी बेटी के साथ अन्य बच्चों जैसा ही बर्ताव किया जाए।'

समान शिक्षा लागू करने की आवश्यकता पर बल देते हुए लेखक ने नीति-नियंताओं व सत्ता संचालकों को यह याद दिलाया है कि वे 'हर नागरिक को शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के समान अवसर मुहैया कराएँ ताकि दलित, पिछड़े व अभावग्रस्त वर्गों के बच्चों को शिक्षा हासिल करने के एक समान अवसर मिल सकें। ...

'ऐसे में इरोड के कलेक्टर डॉ. आनन्दकुमार ने अपनी बेटी को तमिल भाषी स्कूल में भरती कराकर एक ऐसा पाठ प्रस्तुत किया है, जिससे सबक लेकर हमारे नीति नियंता शिक्षा में आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। इस उपाय में दम तोड़ रही मातृ भाषाओं को जीवनदान मिलेगा।

–जलते दीप, 2 अगस्त 2011

बदलाव की बुनियाद : तीसरी पत्रिका है दिल्ली का दैनिक 'जनसत्ता'। इसमें एक राज्य के शिक्षामंत्री रहे स्वामी अग्निवेश ने इरोड कलेक्टर के इस कदम का स्वागत कर खुशी प्रकट की है और कहा है– 'एक कलेक्टर का अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाना समूचे देश के लिए प्रेरणा है। इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए।'

उनका कहना है कि अमेरिका जैसे पूँजीवादी देश में राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक का बच्चा एक साथ ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सभी स्कूल सरकारी हैं। निजी स्कूल तो न के बराबर हैं। हमारे यहाँ इसका उल्टा है। अमेरिका पूँजीवादी देश है जबकि हम अपने देश को समाजवादी कहते हैं। अग्निवेश ने लिखा है, 'कहने के लिए हमारा देश समाजवादी है, पर हमारी व्यवस्था पूँजीवादी हो गई है। हम अमेरिका या यूरोप की उन नीतियों को तो आसानी से अपना लेते हैं जो हमारे देश के लिए हानिकारक हैं, पर जो हमारे लिए उपयुक्त और सही हैं उसे हाशिए पर रख देते हैं।'

बहुत गहरे विचार की है यह स्वामी जी की बात। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। स्वामीजी ने सच ही कहा है– 'हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी या सरकार से वेतन लेने वाले खुद स्कूल के अध्यापकों तक को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना निम्न स्तर का लगता है। उनके विचार में सरकारी स्कूलों में केवल गरीब तबके के लोग ही अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब खुद सरकारी स्कूल के शिक्षकों का सोच ऐसा होगा तो इन स्कूलों की हालत कैसे सुधरेगी?

और यह सब कहकर स्वामीजी कामना करते हैं– 'ऐसे कलेक्टर पूरे देश में क्यों नहीं हो सकते यह हमें सोचना चाहिए।'

–जनसत्ता 18 अगस्त 2011

सरकारी स्कूल में सरकार : चौथी पत्रिका है रायपुर (छत्तरगढ़) से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक-वैचारिक मासिक पत्रिका 'अक्षर पर्व'। इसके संपादक श्री सर्वमित्रा सुरजन ने शीर्षक दिया 'सरकारी स्कूल में सरकार' और इस घटना पर अपनी और से एक लेख लिख दिया। शीर्षक में इन्होंने उचित ही लिखा ऐसा क्योंकि कलक्टर किसी जिले का अध्यक्ष होने के नाते वहाँ वह सरकार का एक मात्र प्राधिकृत प्रमुख प्रतिनिधि होता है। सरकार की ओर से वह पूरे जिले का शासक होता है। यदि वह एक मामूली सरकारी स्कूल में अपनी पुत्री को प्रवेश

दिलाने चला आए तो प्रतीकात्मक रूप से यह स्वतः प्रमाणित है कि स्वयं सरकार ही चली आई है उस स्कूल में। श्री सुरजन ने लिखा– 'आजादी के बाद से अब तक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई आयोग बिठाए गए लेकिन किसी की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। सुझाव वहीं तक सुने गए, जब तक कि वे निजी क्षेत्र के लिए असुविधाजनक न बनें। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा जगत में निजी क्षेत्र पर जनता का भरोसा बढ़ता गया और सरकारी स्कूल केवल उन विद्यार्थियों के लिए रह गए, जिनके माँ-बाप महँगे स्कूलों की फीस नहीं दे सकते, उनके खर्चा नहीं उठा सकते। सरकारी स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान कम होने से उनका स्तर गिरता जा रहा है और उसे उठाने की चिंता किसी को नहीं है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर एक सीधा सरल सुझाव यह दिया जाता है कि अगर सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के बच्चे वहाँ पढ़ने लगें, तो स्तर अपने आप सुधर जाएगा।'

सुधर गया। जिलाधीश की बच्ची पढ़ने आई है यह खबर जब पंचायत वीरप्पांचतंत्रम के अधिकारियों को लगी तो वे दौड़े आये और यह सुनिश्चित कर लिया कि उस विद्यालय में सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हों। श्री सुरजन की टिप्पणी है– 'सरकारी संस्थाओं का स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, यह इसका छोटा सा प्रमाण है। गरीबों के बच्चों की कोई विशेष जरूरतें नहीं होती हैं। विद्यालय में पीने का पानी साफ रहे, शौचालय रहे, बिजली रहे, मध्याह्न भोजन की उचित व्यवस्था हो और इन सबके ऊपर पढ़ाने के लिए समर्पित शिक्षक रहे। इतना ही उन्हें मिल सके तो उनका पढ़ना और देश का बढ़ना आसान हो जाए।'

–अक्षर पर्व, जुलाई 2011

स्मरण रहे, कलक्टर श्री आनन्द कुमार ने विद्यालय के शिक्षकों को सूचना दी कि उनकी बच्ची को अलग से कोई नाश्ता घर से नहीं भेजा जाएगा, विद्यालय में 'मिड-डे मील' नाम से जो नाश्ता दिया जाता है, उनकी बच्ची को भी वही नाश्ता दिया जाए।

क्या हमारा समाज इनसे कोई शिक्षा लेगा?

–मोची स्ट्रीट, फलोदी-342301, जोधपुर, राजस्थान

शिविरा पंचांग माह जनवरी, 2012

कार्य दिवस 24 • रविवार 05 • अवकाश 02 • उत्सव 06– 5 जनवरी– गुरू गोविन्द सिंह जयंती (अवकाश–उत्सव)। **12 जनवरी**– स्वामी विवेकानन्द जयन्ती (राष्ट्रीय युवा दिवस उत्सव), केरियर डे का आयोजन (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय)। **14 जनवरी**– मकर सक्रांन्ति (उत्सव)। **14–31 जनवरी**– जीवजन्तु संरक्षण पखवाड़े का आयोजन। **19 जनवरी**– महाराणा प्रताप पुण्य तिथि, अभिभावकों एवं शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम के प्रगति पत्रों का वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार–विमर्श। **20–22 जनवरी**– विद्यार्थियों की द्वितीय स्वास्थ्य जांच एवं अभिलेख संधारण (शारीरिक शिक्षक एवं अध्यापकों द्वारा)। **23 जनवरी**– सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, देश प्रेम दिवस (उत्सव)। **24 जनवरी**– बालिका दिवस। **26 जनवरी**– गणतंत्र दिवस (अवकाश–उत्सव अनिवार्य), एनपीईजीईएल अन्तर्गत श्रेष्ठ विद्यालय/शिक्षक को पुरस्कार, डाइस स्कूल रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन। **28 जनवरी**– बसन्त पंचमी एवं सरस्वती जयन्ती (उत्सव) गार्गी पुरस्कार समारोह। **30 जनवरी**– शहीद दिवस (प्रातः 11.00 बजे दो मिनट का मौन), संस्था प्रधान द्वारा स्टॉफ की बैठक लेकर परीक्षा परिणाम उन्नयन की कार्य योजना बनाना। **नोट** :– 1. लिंग्वालैब प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण। 2. प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना।

देश की माटी देश का जल

देश की माटी, देश का जल
हवा देश की, देश के फल
सरस बनें प्रभु, सरस बनें।

देश के घर और देश के घाट
देश के वन औ देश के बाट
सरल बनें प्रभु सरल बनें।

देश के तन औ देश के मन
देश के घर के भाई बहन
विमल बनें प्रभु, विमल बनें।

देश की इच्छा, देश की आशा
काम देश के, देश की भाषा
एक बनें प्रभु, एक बनें।

देश की माटी, देश का जल
हवा देश की, देश के फल
सरस बनें प्रभु, सरस बनें।

–रवीन्द्रनाथ टैगोर

रूपान्तर : भवानी प्रसाद मिश्र

कैसे नहीं मिटेगा सूखा

दुनिया के तमाम हिस्से गाहे-बगाहे सूखे की समस्या से दो-चार होते रहते हैं। ऐसे में हवा से पानी निकालने की ऑस्ट्रेलियाई युवक की खोज एक क्रांतिकारी कदम मानी जा सकती है। रेगिस्तान में भी हवा से पानी निकालने में सक्षम यह उपकरण सूखा प्रभावित कृषि भूमि के लिए काफी उपयोगी हो सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व छात्र एडवर्ड लिनाकरे की खोज एयरड्रॉप सिंचाई प्रणाली को काफी कमाल का माना गया है। यह एक पंपनुमा उपकरण है जो पाइप के नेटवर्क से जुड़ा होता है। साइकिल में हवा भरने वाले पंप की तरह काम करने वाले इस उपकरण से पाइप के नेटवर्क में हवा भरी जाती है और फिर उससे पानी बनाकर पौधों की सिंचाई की जाती है। यह उपकरण काफी सस्ता भी है और इसे आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है।

अवार्ड की दौड़ में कई और प्रतिभागियों को पीछे छोड़ देने वाले स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र एडवर्ड ने सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रकृति की ओर ही रुख किया था। उन्होंने नामिब बीटल नामक जीव से प्रेरणा लेकर इस दिशा में अध्ययन किया और फिर नतीजा सामने है। हाल ही में आस्ट्रेलिया का अंतरराष्ट्रीय डिजाइन अवार्ड जीतने वाले एडवर्ड कहते हैं कि डायसन अवार्ड के तहत मिली राशि उन्हें इस सिस्टम को और उन्नत बनाने में मदद करेगी।

हवा बुझाएगी पानी की प्यास

हवा से पीने का पानी पैदा किया जाएगा, सुनने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन उत्तराखंड में यह अनूठा प्रयोग किया जा रहा है। पेयजल की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश में ऐटमॉसफेयरिक वाटर जेनेरेटर की खास मशीनें लगाई जा रही हैं, जो वातावरण में मौजूद आर्द्रता यानी नमी को खींचकर पानी में बदल देंगी। अमरीकी तकनीक से बनी यह मशीन एक बड़े कूलर की तरह है और इसमें पानी वैसे ही आता हुआ दिखता है जैसे कि दूध के सार्वजनिक बूथ से।

यह प्रयोग उन जगहों में कामयाब होगा जहाँ वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा 40 से 70 प्रतिशत होगी। प्रतिदिन इससे 500 से 1000 लीटर पेयजल की आपूर्ति हो पाएगी। उत्तराखंड का पेयजल विभाग फिलहाल प्रदेश के आठ जगहों में पायलट प्रोजक्ट के तौर पर इस प्रयोग को शुरू कर रहा है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ इस बात को लेकर आशंकित हैं कि तत्काल राहत देने वाली यह तकनीक जलवायु तंत्र को बिगाड़ न दे। उत्तराखंड के मौसम विभाग के निदेशक आनंद शर्मा का कहना है कि इस प्रयोग को लागू करने के पहले वायुमंडल पर इसके संभावित प्रभावों का समुचित अध्ययन होना चाहिए। जब आप वायुमंडल से नहीं निकालेंगे तो हवा का संतुलन बदलेगा। दूसरे जलवाष्प भी एक ग्रीनहाउस गैस है और उसके रेडिएशन में भी क्या बदलाव आएगा, यह भी देखना होगा। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के प्रयोग स्थायी विकल्प नहीं हो सकते। फिर जिस तरह की व्यवस्था में हम काम करते हैं, इसकी निगरानी बहुत जरूरी होगी कि ये जेनरेटर कहाँ लगाए जा रहे हैं। पहाड़ का पर्यावरण बहुत संवेदनशील है। नमी मिट्टी और खेती के लिए भी जरूरी है और इसमें कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।

अब पानी से चलेंगी कारें

पैट्रोलियम के बढ़ते दामों के बीच मेरठ के एक इंजीनियर ने एक ऐसा उपकरण तैयार करने का दावा किया है, जिसमें पानी के उपयोग से वाहन चलाकर ईंधन की सौ फीसदी बचत की जा सकती है और यह काफी किफायती भी है। इंजीनियर राजेश कुमार गुप्ता ने अपने इस अनोखे प्रयोग को 'एक्वा-आक्सी-ए' नाम दिया है। इस प्रयोग के तहत उन्होंने ब्राउन गैस थ्यौरी पर आधारित एक उपकरण तैयार किया है। यह उपकरण सम्बन्धित वाहन के इंजन के पास फिट किया जाता है। इंजन चालू होने पर उपकरण अपना काम शुरू करता है। इंजन बंद होने पर यह स्वतः बंद हो जाता है। पिछले पाँच सालों से इस पर काम करने का दावा करने वाले गुप्ता के अनुसार उन्होंने यह प्रयोग फोर स्ट्रोक कायनेटिक नोवा के अलावा मारुति एवं डीजल की इंडिका कार आदि पर किया है, जो पूरी तरह सफल रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रयोग में वाहन में पानी का उपकरण अलग से लगाया जाता है। साथ ही पैट्रोल की लाइन के बराबर से पानी की लाइन वाहन के कार्बोरेटर में दी जाती है। इसके लिए वाहन में अधिक स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको किसी भी पैट्रोल और डीजल चालित वाहन में आसानी से फिट किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में मैकेनिक पद पर तैनात गुप्ता ने बताया कि पानी के इस उपकरण की एक खास बात यह भी है कि इससे वाहन के इंजन पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं इससे 60 से 70 फीसदी प्रदूषण कम किया जा सकता है। इसके प्रयोग से वाहन का इंजन ठंडा रहता है। इंजन में कार्बन नहीं बनता जिससे इंजन की लाइफ बढ़ती है। उन्होंने बताया कि इस उपकरण को लगवाने में दो पहिया वाहन पर छह और चार पहिया वाहन पर करीब पन्द्रह हजार रुपये का खर्चा आता है।

वाह ! प्लास्टिक से बना दिया पेट्रोल

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जाने वाले प्लास्टिक से पेट्रोलियम बनाने की नई प्रौद्योगिकी विकसित की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे पेट्रोल बनाने पर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचता है। करीब एक दशक के लम्बे प्रयोग के बाद आईआईपी के छह वैज्ञानिकों की टीम को अपने निदेशक मधुकर ओंकारनाथ गर्ग के नेतृत्व में यह कामयाबी मिली।

'वेस्ट प्लास्टिक्स टू फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल्स' नाम की इस परियोजना पर 2002 में कार्य शुरू किया गया था।

इस तथ्य तक पहुँचने में चार साल का वक्त लगा कि बेकार हो चुके प्लास्टिक को ईंधन में बदलना संभव है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस परियोजना का प्रायोजक गेल भी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करने के लिए परियोजना की आर्थिक व्यवहारिकता तलाश रही है।

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक आलोक गुप्ता द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : आलोक गुप्ता

अभिभावकों की ओर से...

एब्राहम लिंकन का पत्र प्रधानाध्यापक के नाम

आदरणीय गुरुजी,
सभी आदमी न्यायप्रिय नहीं होते
होते नहीं सब सत्यनिष्ठ।
मेरा बेटा सीखेगा यह
कभी-न-कभी।
मगर उसे यह भी सिखाइए :
दुनिया में हर बदमाश की तरह
होता है एक साधुचरित पुरुषोत्तम भी।
स्वार्थी राजनैतिक होते हैं दुनिया में जैसे,
होते हैं उसी तरह पूरी जिन्दगी निछावर करने वाले नेता भी।
होते हैं घात में बैठे दुश्मन अगर
तो मेहरबान मित्र भी होते हैं।

मैं जानता हूँ
सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनतीं...
फिर भी, हो सके तो उसके मन में जमाइए
'पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा भी
फोकट में मिले खजाने से ज्यादा मूल्यवान है।'
सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार
और सिखाइए, जीत की खुशी में संयम।
अगर आपमें ताकत हो तो
सिखाइए उसे
ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना।
सिखाइए उसे
अपना हर्ष भी संयम से दिखाना।

कहना, गुंडों से मत डर जाना,
क्योंकि सबसे आसान होता है
उन्हें झुकाना।

जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे
किताबों में छिपा अद्भुत खजाना,
पर साथ-ही-साथ
दीजिए उसके जी को जरा फुरसत
कि सृष्टि की सनातन सुन्दरता महसूस कर पाए।
देख पाए वह

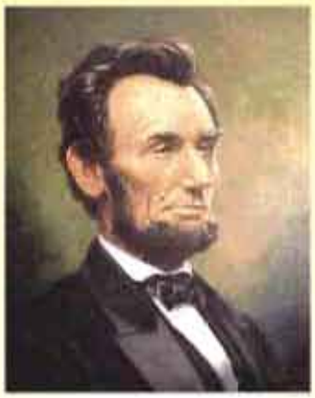

चिड़ियों की ऊँची उड़ान...
सुनहली धूप में मँडराते भौंरे ...
और हरीभरी पहाड़ी की ढलान पर
झूमते जन्हें-जन्हें फूल।

पाठशाला में उसे सबक मिले :
'बेईमानी से पाई सफलता से
हजार अच्छी है
असफलता।'

यह सिखाइए कि
अपने विचारों और अपनी सूझ-बूझ पर
पक्का विश्वास रखे,
भले ही सब लोग उसे गलत ठहराएँ।
वह भलों के साथ भलाई बरते और
टेढ़ों को सबक सिखाए।

मेरे बेटे को विश्वास दीजिए कि
विजय के झंडे के नीचे खड़े होने को दौड़ती भीड़ में
शामिल न होने का साहस जुटाए।
और यह भी समझाइए उसे
कि सुने सबकी, हर एककी...
पर छान ले उसे सत्य की चलनी में,
और छिलका फेंककर
ग्रहण करे विशुद्ध सार।

बन पड़े तो उतारिए उसके मन में :
'हँसते रहो हृदय का दुख दबाकर।'
कहिए कि आँसू बहाते शरमाए नहीं वह...
सिखाइए उसे,
ओछेपन को ओछा मानना
और चाटुकारी से सावधान रहना।

उसे पक्की-पूरी तरह समझाइए कि
खूब कमाई करे ताकत और अक्ल की लागत से,
लेकिन कभी भी न बेचे अपना हृदय, अपनी आत्मा।
धिक्कारती हुई आती है भीड़ अगर,
तो अनदेखा करना सिखाइए उसे,
और लिखिए उसके हृदय पर
जो सत्य जान पड़े, न्यायोचित लगे
उसकी खातिर धरती में गड़ाकर पाँव लड़ता रहे
अंत तक।

उसे ममता दीजिए मगर
लाड़ करके मत बिगाड़िए।
आग में जल-तपकर निकले बिना
लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता।
उसे आजमा डालिए कि
अधीर होने का धीरज सँजोए,
और धीरज से काम ले वह
अगर दिखानी है बहादुरी...
हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत
तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मनुष्य जाति के प्रति।

क्षमा कीजिए गुरुजी,
मैं बहुत बोल रहा हूँ,
बहुत-कुछ माँग रहा हूँ...
फिर भी देखिए... जितना बने, कीजिए जरूर।

–एब्राहम लिंकन

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक) जनवरी, 2012
प्रकाशन तिथि : 2 जनवरी, 2012 पृष्ठ 84

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66

हमारी धरोहर

जन-गण-मन... 100 वर्ष पूर्व, 27 दिसम्बर, 1911 को सर्वप्रथम इसके रचयिता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जिसे 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया।

जन-गण-मन अधिनायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा-द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय-गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।

206 फीट की ऊँचाई पर 72 फीट लम्बे और 48 फीट चौड़े इस तिरंगे को जयपुर स्थित सेंट्रल पार्क में 24 अक्टूबर को लहराया गया। जयपुर देश में 24वाँ और राज्य में पहला शहर है, जहाँ गृह मंत्रालय की विशेष अनुमति से इतनी ऊँचाई पर राष्ट्रीय ध्वज 24 घंटे लहराएगा।